सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा)
भारतीय समाज (Indian Society)

विषय-सूची

MODULE - I

1. भारतीय समाज : पारिभाषिक शब्दावली
2. भारतीय समाज की आधारभूत विशेषताएँ
   - परंपरागत भारतीय समाज के आधार
     - धर्म
     - पुरुषार्थ
     - कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत
     - ऋण तथा यज्ञ का सिद्धांत
     - हिन्दू संस्कार
     - आश्रम व्यवस्था
     - वर्ण व्यवस्था
     - जाति-व्यवस्था
     - धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह एवं संयुक्त परिवार
   - भारतीय समाज में परिवर्तन और निरंतरता
   - हिन्दू सामाजिक संगठन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव
   - हिन्दू सामाजिक संगठन पर इस्लाम धर्म का प्रभाव
   - भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएँ
     - संस्कृतिकरण
     - पश्चिमीकरण
     - आधुनिकीकरण
   - आधुनिक भारतीय समाज के लक्षण
   - भारतीय समाज की आधारभूत विशेषताएँ : समकालीन मुद्दे
     - भारत में परंपरा, आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण
     - आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण
     - भारत में आधुनिकीकरण की शुरूआत
     - भारत में आधुनिकीकरा की प्रक्रिया का स्वरूप
     - भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की समस्याएँ
   - जनसंचार के साधनों का भारतीय समाज पर प्रभाव
     - भारतीय संस्कृति पर प्रभाव
     - भारतीय समाज की संरचना पर प्रभाव
     - जनसंचार साधन-जनित परिवर्तन की चुनौतियाँ
3. भारत में जाति व्यवस्था
   - जाति व्यवस्था : अर्थ एवं लक्षण
   - जाति-व्यवस्था के गुण एवं दोष
   - जाति व्यवस्था में परिवर्तन एवं इसके कारक
     - जाति की संरचना में परिवर्तन
     - जातिगत निषेधों में परिवर्तन
     - जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन
     - जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारक
   - जाति व्यवस्था की निरन्तरता एवं इसके कारक
     - सामाजिक क्षेत्र में निरंतरता
     - आर्थिक क्षेत्र में निरन्तरता
     - राजनीतिक क्षेत्र में निरन्तरता
     - जाति व्यवस्था की निरन्तरता के कारक
   - प्रभुजाति की अवधारणा
   - जजमानी प्रणाली
   - भारत में अस्पृश्यता
   - भारत में जातिवाद
     - भारत में जातिवाद के स्वरूप
     - भारत में जातिवाद के कारण
     - जातिवाद के परिणाम
     - जातिवाद को दूर करने के उपाय
   - भारत में जाति एवं राजनीति
     - राजनीति में जाति की भूमिका
     - जाति में राजनीति की भूमिका
   - भारत में समानता एवं जाति आधारित आरक्षण
     - जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क
     - जाति आधारित आरक्षण के विरोध में तर्क
   - जाति आधारित जनगणना
   - भारत में जाति संघर्ष
4. भारत में विवाह
   - भारत में विवाह के प्रकार
   - हिन्दू विवाह : एक धार्मिक संस्कार
   - हिन्दू विवाह सम्बन्धी नियम व निषेध
     - अनुलोम विवाह
     - प्रतिलोम विवाह
   - हिन्दू विवाह में आधुनिक परिवर्तन
   - भारत में अन्तर्जातीय विवाह
     - अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाले कारक
     - अन्तर्जातीय विवाह से लाभ
   - भारत में विवाह-विच्छेद की समस्या
   - भारत में समलैंगिकता

5. भारत में परिवार - संयुक्त परिवार

- संयुक्त परिवार : अर्थ एवं लक्षण
- संयुक्त परिवार में होने वाले आधुनिक परिवर्तन एवं इसके कारक
  - संरचना में परिवर्तन
  - अन्त:पारिवारिक सम्बन्धों में परिवर्तन
  - प्रकार्यों में परिवर्तन
  - अन्य नवीन परिवर्तन
  - संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक
- सामाजिक विधानों का हिन्दू विवाह एवं परिवार पर प्रभाव

6. भारत में धर्म

- भारत में धार्मिक समुदाय
- अंत:धार्मिक क्रियाएँ और उनकी अभिव्यक्ति
- समकालीन मुद्दे : धार्मिक पुन:प्रर्वतनवाद
- समकालीन मुद्दे : भारत में धार्मिक रूढ़िवाद
- समकालीन मुद्दे : भारत में धर्म-परिवर्तन

7. वैश्वीकरण : एक परिचय

- स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप
- स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के आर्थिक विकास की दशा
- आर्थिक सुधार के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप
- भारत में आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि
- आर्थिक सुधार और इसका स्वरूप
- आर्थिक सुधार का आर्थिक प्रभाव

8. वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव

- ग्रामीण समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- जनजातीय समुदाय पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय धर्म पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय विवाह एवं परिवार व्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय लोकतंत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय राष्ट्र राज्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारत के श्रमिक वर्ग पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारत के कृषि श्रमिकों पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारत के औद्योगिक श्रमिकों पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारत के महिला श्रमिकों पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारत में बालश्रम पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारत के किसान वर्ग पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय मध्यम वर्ग पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- भारतीय वृद्धों पर वैश्वीकरण के प्रभाव

9. भारत में विविधता

- भारतीय समाज में विविधता
  - धार्मिक विविधता
  - भाषायी विविधता
  - सांस्कृतिक विविधता
  - जनजातीय विविधता
  - जातीय विविधता
- भारतीय समाज में विविधताओं में मौलिक एकता
- भारतीय समाज में विविधताजनित चुनौतियाँ

10. जनसंख्या संबंधी मुद्दें

- पारिभाषिक शब्दावली
- भारत में जनांकिकी संक्रमण
- भारत की जनसंख्या-आकार, संगठन एवं वितरण
- भारत में जनसंख्या वृद्धि/विस्फोट
  - जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारक
  - जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक परिणाम
- भारत में जन्म दर
  - उच्च जन्म दर के सामाजिक निर्धारक
  - उच्च जन्म दर के सामाजिक परिणाम
- भारत में मृत्यु दर
  - उच्च मृत्यु दर के सामाजिक कारक
- भारत में प्रवास
  - भारत में उच्च प्रवास की प्रवृत्ति के सामाजिक कारक
  - उच्च प्रवास के परिणाम
- भारत में विवाह की आयु
  - कम आयु में विवाह के कारण
  - कम आयु में विवाह के परिणाम
- जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन
  - राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000
  - परिवार नियोजन
  - अमर्त्य सेन का केरल मॉडल
  - चीनी मॉडल
- भारत में शिशु मृत्यु दर
  - उच्च शिशु मृत्युदर के परिणाम
  - उच्च शिशु मृत्युदर के सामाजिक कारक
- भारत में लिंगानुपात
  - घटते लिंगानुपात के सामाजिक परिणाम
  - घटते लिंगानुपात के सामाजिक कारक
- भारत में शिशु लिंगानुपात
- भारत में आयु संरचना

MODULE – II

11. भारत में नगरीकरण

- पारिभाषिक शब्दावली
- भारत में नगर की परिभाषा एवं वर्गीकरण
- नगरीय समाज एवं नगरीकरण का अर्थ
- भारत में नगरीकरण
  - औद्योगीकरण तथा नगरीय केन्द्रों का विकास
  - भारत में नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव
  - नगरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता
  - नगरीय पड़ोस का उद्भव
- नगरीकरण पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट
- भारत में नगरीकरण की समस्याएँ
  - सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएँ
  - अतिनगरीकरणजनित समस्याएँ
  - नगरीय समस्याओं के कारण
  - नगरीय समस्याओं के समाधान के प्रयास

12. भारत में मलिन बस्तियाँ

- भारत में गंदी बस्ती की समस्या का स्वरूप
- गन्दी बस्तियों के विकास के कारक
- गन्दी बस्तियों के दुष्परिणाम
- गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु किये गये प्रयास
- गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु सुझाव
- राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम
- मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन
- प्रधानमंत्री आवास योजना

13. नगरीय विकास : एक विस्तृत विवेचन

- शहरी विकास : एक परिचय
- शहरी विकास : प्रमुख योजनाएँ
  - राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम
  - कम लागत व्यक्तिगत शौचालय योजना
- बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना
  - स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्लू.ई.पी.)
  - नगरीय क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास
  - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
  - स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
  - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
  - शहरी आवास विकास
  - शहरी परिवहन विकास
  - राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति
  - राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
  - स्मार्ट सिटी मिशन
  - AMRUT मिशन

14. विकास संबंधी मुद्दे

- विकास एवं विषमता
- विकास और वैयक्तिक विषमता
  - वैयक्तिक विषमता के कारण
  - वैयक्तिक विषमता कम करने हेतु सुझाव
- विकास और क्षेत्रीय विषमता
  - क्षेत्रीय विषमता के कारण
  - क्षेत्रीय विषमता को कम करने हेतु सुझाव
- विकास और शहरी-ग्रामीण विषमता
  - शहरी-ग्रामीण विषमता का कारण
  - शहरी-ग्रामीण विषमता को कम करने हेतु सुझाव
- विकास एवं पर्यावरण
  - पर्यावरणीय समस्याओं का स्वरूप
  - पर्यावरणीय जागरुकता का विकास पर प्रभाव
  - भारत में विकास एवं पर्यावरण में संतुलन हेतु सुझाव
- विकास एवं विस्थापन
  - विकासजनित विस्थापन का स्वरूप
    - ➥ बांध से विस्थापन
    - ➥ शहरी नवीकरण और विकास से उत्पन्न विस्थापन
    - ➥ प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से विस्थापन
  - विस्थापन से उत्पन्न समस्याएँ
  - विकासजनित विस्थापन तथा जनजातीय समूह
  - विस्थापन की समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास
  - जनजातीय विस्थापन से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव
- किसान आत्महत्या
  - किसान आत्महत्या का स्वरूप
  - किसान आत्महत्या के कारण
  - किसान आत्महत्या को दूर करने के लिए किए गए प्रयास
  - किसान आत्महत्या की समस्या को दूर करने हेतु किए गए प्रयासों का मूल्यांकन एवं सुझाव

15. भारत में क्षेत्रवाद

- भारत में क्षेत्रवाद का स्वरूप
- क्षेत्रवाद का महत्त्व

- भारत में क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम
- भारत में क्षेत्रवाद के कारण
- क्षेत्रवाद की समस्या की रोकथाम हेतु सुझाव

16. भारत में धर्मनिरपेक्षता
  - धर्मनिरपेक्षता का उद्भव एवं विकास
  - भारत में धर्मनिरपेक्षता
  - एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत
  - भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण का सामाजिक प्रभाव
  - धर्मनिरपेक्षीकरण की समकालीन चुनौतियाँ

17. भारत में सांप्रदायिकता
- सांप्रदायिकता की अवधारणा
- भारत में सांप्रदायिकता
  - भारत में सांप्रदायिकता के कारण
  - भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम
  - भारत में सांप्रदायिकता निवारण हेतु किए गए प्रयास

MODULE – III

18. भारत में महिलाएँ
- भारत में महिलाओं की स्थिति
- भारत में महिलाओं के सीमान्तीकरण के कारण
- महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किए गए प्रयास
  - संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास
  - नीतिगत एवं योजनागत प्रयास
  - मूल्यांकन एवं सुझाव
- शहरी एवं ग्रामीण समाज में महिलाओं में भूमिका संघर्ष की समस्या
  - भूमिका संघर्ष का महिलाओं पर प्रभाव
  - महिलाओं में भूमिका संघर्ष रोकने के उपाय

19. दहेज प्रथा: महिलाओं की प्रमुख समस्या
- महिलाओं की एक प्रमुख समस्या के रूप में दहेज प्रथा
  - दहेज प्रथा के कारण
  - दहेज प्रथा के दुष्परिणाम
  - दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु किए गए उपाय
  - मूल्यांकन एवं सुझाव

20. भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा
- महिलाओं के प्रति हिंसा : परिचय
- बलात्कार, यौन शोषण और दुर्व्यवहार
- जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट एवं सिफारिशें
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
  - यौन सुरक्षा का औचित्य
  - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
  - यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013
- पारिवारिक उत्पीड़न और दहेज हत्या
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005
- वेश्यावृत्ति तथा अनैतिक व्यापार
- अश्लील साहित्य
  - महिला अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम
- कन्या भ्रूण हत्या
  - पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट-1994
- भारत में तेजाब हमला
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) द्वारा शरणार्थी महिलाओं के लिए पहल
- लैंगिक समानता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'यूएन वीमेन'
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला हिंसा विरोध घोषणा-पत्र

21. भारत में वेश्यावृत्ति
- भारत में वेश्यावृत्ति की समस्या
  - भारत में वेश्यावृत्ति का स्वरूप
  - वेश्यावृत्ति का भारतीय समाज पर प्रभाव
  - वेश्यावृत्ति का कारण
  - वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपाय
  - मूल्यांकन एवं सुझाव
- महिलाओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम-1956
- भारत में वेश्यावृत्ति : एक सर्वेक्षण

22. वैश्वीकरण एवं महिला स्थिति में परिवर्तन
- वैश्वीकरण का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव
- वैश्वीकरण का महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव

23. भारत में महिला संगठन एवं महिला आंदोलन
- भारत में महिला आंदोलन : स्वरूप
  - प्रथम काल (1930 -1932 तक)
  - द्वितीय काल (1947-1970)
  - तृतीय काल (1970-1985 तक)
  - चतुर्थ काल (1985 से आगे)
- भारत में महिला आंदोलन के कारण

24. भारत में कमजोर वर्ग: महिलाएँ
- भारत में अतिसंवेदनशील वर्ग के रूप में महिलाएँ
- विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का सीमान्तीकरण

- आर्थिक क्षेत्र में सीमान्तीकरण
    - राजनीतिक क्षेत्र में सीमान्तीकरण
    - सामाजिक क्षेत्र में सीमान्तीकरण
- महिलाओं के सीमान्तीकरण से जुड़ी समस्याएँ
- महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत, योजनागत एवं अन्य प्रयास
    - संवैधानिक प्रयास
    - कानूनी प्रयास
    - विभिन्न आयोग एवं समितियाँ
    - महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु नीतियाँ, योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा किए गए प्रयास

25. भारत में शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

- शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण
    - स्वतंत्रता पूर्व महिला शिक्षा हेतु किये गये प्रयास
    - स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा हेतु किए गए प्रयास
    - मूल्यांकन एवं सुझाव
- महिलाओं के शैक्षिक उत्थान हेतु कार्यक्रम/योजनाएँ

26. भारत में आरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण

- आरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण
- भारत में आरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण : समसामयिक मुद्दे एवं आंकड़े
    - महिला आरक्षण विधेयक
    - संसद में आरक्षण से महिलाओं पर प्रभाव

27. भारत में पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण

- पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण
- भारत में पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण: समसामयिक मुद्दे एवं आंकड़े

28. समान नागरिक संहिता एवं महिला सशक्तिकरण

- समान नागरिक संहिता एवं महिला सशक्तिकरण
    - समान नागरिक संहिता की आवश्यकता
    - निजी कानूनों का महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव
    - समान नागरिक संहिता न बन पाने के कारण
    - समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव
- लिंग संबंधी मुद्दों पर स्वामीनाथन समिति की संस्तुतियाँ

✪✪✪✪✪

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

11

भारत में नगरीकरण (Urbanisation in India)

पारिभाषिक शब्दावली (gLOSSARY OF tERMS)

- ***बस्ती (Colony):*** मानव द्वारा निर्मित आवासों का संगठित स्वरूप बस्ती कहलाता है।
- ***गाँव (Village):*** घरों का एक ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित स्थानीय सीमा तथा एक नाम होता है। यह ऐसा लघु समुदाय है जो प्राथमिक, अनौपचारिक संबंधों की प्रधानता एवं समरूपता से युक्त होता है। जनसंख्या की दृष्टि से कम घनत्व वाला होता है और व्यवसाय की दृष्टि से कृषि प्रधान होता है।
- ***कस्बा (Town):*** मानवीय आवास का वह स्वरूप जो अपने जीवनक्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के तत्वों को संजोये रखता है या जब बड़े गांव/केन्द्रीय गांव में नगरीय गतिविधियाँ विकसित होने लगती हैं तो यह कस्बा कहलाता है।
- ***नगर (City):*** एक नगर अत्यधिक वृहद् आकार तथा जनसंख्यात्मक घनत्व वाला एक ऐसा समुदाय है, जिसके निवासी विविध और अकृषिक कार्यों में संलग्न होते हैं, जिनकी विशिष्ट जीवन शैली होती है, जो प्राय: ग्रामीण जीवन शैली से भिन्न होती है।
- ***नगरवाद (Urbanism):*** नगरीय जीवन के साथ व्यक्तियों के समायोजन की प्रक्रिया अर्थात् नगर के लोगों के जीवन का तरीका, नगरीयता/नगरवाद कहलाता है।
- ***नगरीकरण (Urbanisation):*** नगरवाद के लक्षणों के विकास (विचारों एवं व्यवहारों के रूप में) एवं प्रसार की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है।
- ***शहरी विकास (Urban Growth):*** मानव की आखेट अवस्था से नगरीय अवस्था तक की यात्रा, जहाँ नगर की संख्या में वृद्धि होती है शहरी विकास कहलाता है।
- ***नगरीकरण चक्र (Cycle of Urbanisation):*** नगरीकरण चक्र वह प्रक्रिया है, जिसमें कोई राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवस्था से औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। इस संदर्भ में यदि विचार किया जाए तो नगरीकरण की वक्ररेखा अंग्रेजी के S शब्द का अनुकरण करती है।
- ***अतिनगरीकरण (Over Urbanisation):*** विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में नगरों के विकास की प्रक्रिया भिन्न रही है। जहाँ विकसित देश में नगर की ओर गई जनसंख्या, नगर के साथ समायोजित हो गयी वहीं विकासशील देशों में इसका समायोजन नगर के साथ नहीं हो पाया है। नगर की आर्थिक एवं संरचनात्मक क्षमता से अधिक जनसंख्या का नगर में केन्द्रीकरण हो गया है और इन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने में नगर असहाय महसूस कर रहा है।
- ***उपनगर (Suburbs):*** किसी बड़े नगर की परिधि पर बसा हुआ अपेक्षाकृत एक लघु समुदाय जो सामान्यत: अपनी आर्थिक आवश्यकता आदि के लिए मुख्य नगर पर निर्भर रहता है, किन्तु राजनीतिक इकाई की दृष्टि से वह मुख्य नगर से स्वतंत्र होता है।
- ***उप-नगरीकरण (Sub-Urbanisation):*** उपनगरीकरण की यह प्रक्रिया नगरों के परिधीय विस्तार को प्रकट करती है। प्रारम्भ में यह विस्तार जनसंख्या के बाह्य प्रवास एवं आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा घने नगरीय क्षेत्रों से कम घनी, सटी हुई बस्ती के रूप में होता है।
- ***नगरीय फैलाव (Urban Sprawl):*** जब नगर से बाहर कम नगरीय घनत्व वाले क्षेत्रों (जो क्षेत्र कृषि के लिए प्रयोग किये जाते हैं) पर अनियोजित रूप में नगर का विकास हो तो यह शहरी फैलाव कहलाता है।
- ***जीवन निर्वाह नगरीकरण (Substantial Urbanisation):*** भारत में गांव से नगरों की ओर प्रवासित व्यक्ति नगरों के साथ पूर्णता से समायोजित नहीं हो पाये हैं और उन्हें झुग्गी-झोपड़ी या मलिन बस्तियों में जीवन बिताना पड़ रहा है। यद्यपि वे नगरों में ही रहते हैं तथापि वे इस अर्थ में वहां से अनुपस्थित होते हैं कि इनके पास न तो नगरीय जीवन में किसी तरह का कोई योगदान देने की और न ही नगरीय सुख सुविधाएँ भोगने की क्षमता एवं साधन होते हैं। यह स्थिति निर्वाह शहरीकरण कहलाती है।
- ***प्रति-नगरीकरण (Counter Urbanism):*** नगरीय क्षेत्र से दूर जनसंख्या एवं आर्थिक कार्यकलापों का संक्रमण प्रति-नगरीकरण कहलाता है। प्रति नगरीकरण हेतु, धकेलने वाले कारक एवं खींचने वाले कारक दोनों जिम्मेवार हैं। नगरों की आंतरिक भाग की भीड़-भाड़, आवास की कमी, जहाँ धकेलने वाले कारक का कार्य करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र व नगरों के बाहरी भागों का शांति प्रिय वातावरण एवं सस्ती आवास सुविधा खींचने वाले कारक का कार्य करते हैं। प्रति-नगरीकरण को अतिनगरीकरण की समस्या के निदान के रूप में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ***विरोधी-नगरीकरण (Anti-Urbanism):*** नगरीकरण के प्रति नकारात्मक मनोभाव का प्रदर्शन तथा गाँव के प्रति मोहक लगाव को Anti-Urbanism कहा जाता है।

- ***Metro Polis/Metro Politan City:*** एक विशाल मुख्य नगर, जो सामान्यतया आस-पास की नगरीय बस्ती एवं कस्बों से घिरा हो, ये बस्तियाँ एवं कस्बे आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से Metro Polis पर निर्भर हो तथा Metro Politan area का केन्द्रीय नगर हो और इसकी जनसंख्या 10 लाख या अधिक हो Metro Polis कहलाती है।
- ***मेगालो पोलिस (Megalo Polis):*** इसे ममफोर्ड नगरों की सभ्यता एवं संस्कृति के पतन का आरम्भ मानते हैं यहाँ पूंजीवाद अपने चरम पर होता है। उत्पादन के क्षेत्र में विशाल मशीनों का प्रयोग, सर्वहारा का शोषण, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, सामूहिकता की भावना का ह्रास और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का विकास इस अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं।
- ***ग्राम्य-नगरीकरण (Rurbanisation):*** ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय की पारस्परिक अंत:क्रिया द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली के घुलने-मिलने तथा मिश्रित ग्रामीण-नगरीय क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया को ग्राम्य- नगरीकरण कहा जाता है।
- ***ग्रामीण शहरी सातत्य (Rural Urban Continuum):*** इसमें ग्राम्य और नगरीय अंतर को दो ध्रुवों के बीच सम्मिलिन को देखा जा सकता है जहाँ प्रत्येक ध्रुव की विशेषताएँ दूसरे ध्रुव में घुली मिली होती है।
- ***नगरीय पुंज (Urban Agglomaration):*** 1961 की जनगणना में समीप स्थित दो या दो से अधिक विधिक नगरों के समूह को टाउन समूह कहा गया है, जिसे 1971 Agglomeration कहा गया।
- ***गन्दी बस्ती (Slums):*** नगर का वह स्थान जहाँ आवश्यक सुविधाओं (स्वास्थ्य, वातावरण पानी, बिजली आदि) का अभाव होता है तथा जहाँ अनेक प्रकार की सामाजिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक समस्याओं का उद्‌भव होता है वह Slums कहलाता है। गंदे एवं जर्जर मकान, क्षमता से अधिक लोगों का जमावड़ा, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब आदि यहाँ के प्रमुख लक्षण हैं।
- ***नगरीय नियोजन (Urban Planning):*** नियोजित तरीके से नगरों का निर्माण/नगर निर्माण हेतु नियोजन नगर नियोजन कहलाता है। भौतिक नियोजन में Washington DC विश्व में सर्वप्रथम नियोजित नगर का प्रतिनिधित्व करता है और मध्यकाल में इसी सन्दर्भ में चार दीवारी के भीतर नगर fort raise town का विकास हुआ।

भारत में नगर की परिभाषा
(Definition of City in India)

वर्ष 1961 में अन्य प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं (Demographic Characteristics) के साथ-साथ आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया गया। 2011 में भी यह परिभाषा अपवर्तित रही। इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित शहरी क्षेत्र हैं:-

1. वह स्थान जो या तो नगर निगम हो अथवा निगम क्षेत्र हो, या नगर पालिका, अथवा अधिसूचित नगर क्षेत्र या छावनी बोर्ड के अधीन हो।
2. वह कोई भी स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो।

- कम से कम 5000 व्यक्ति
- कम से कम 75% कार्य व्यवसाय कृषि-भिन्न हो।
- जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किमी. से कम न हो।
- ऐसे किसी भी स्थान पर कुछ शहरी विशेषताएँ और सुविधाएँ होनी चाहिए। जैसे नए स्थापित क्षेत्र, बड़ी आवास बस्तियाँ, पर्यटन महत्व के स्थान और नागरिक सुविधाएँ।

स्पष्ट प्रकार से परिभाषित नगरों/शहरों के अतिरिक्त, इनके साथ तेजी से बढ़ते हुए बाहरी हिस्से भी नगरी इलाके कहलाते हैं। 1961 के जनगणना में 'नगरीय समूहों' (Urban Groups) की अवधारणा अपनायी गयी, जिससे नगरों के फैलाव का अंदाजा लगाया जा सके। 1971 में नगरी इलाकों की अवधारणा को अपनाया गया, जिससे शहरीकरण (Urbanization) से संबंधित प्रक्रियाओं को ठीक से समझा जा सके। 2011 की जनगणना तक यही विचार चलता आ रहा है। नगरीय इलाके से तात्पर्य है नगर का बाहरी फैलाव, जिसमें नगर तथा उसके बाहरी हिस्सों को शामिल किया जाता है, अथवा दो या दो से अधिक नगर, पड़ोसी नगर तथा उनसे जुड़े बाहरी हिस्से।

भारत में नगरों का वर्गीकरण
(Classification of Cities in India)

1. 5 हजार से कम जनसंख्या-ग्रामीण बस्ती
2. 1 लाख से कम तथा 5 हजार से अधिक-कस्बा (Town)
3. 1 लाख या अधिक जनसंख्या-नगर (City)
4. 10 लाख से अधिक जनसंख्या-महानगर (Metropolitan)

नगरीकरण का स्तर (जनगणना-2011 के अनुसार)

सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सर्वाधिक नगरीकृत हैं जिनकी नगरीय जनसंख्या क्रमशः 75.5% तथा 97.25% है इसके बाद दमन और द्वीव (75.2%) तथा पुदुचेरी (68.3%) हैं।

राज्यों में गोवा 62.2% नगरीय जनसंख्या के साथ सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम (51.5%) सर्वाधिक नगरीकृत है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु (48.4%) सर्वाधिक नगरीकृत है। इसके बाद केरल (47.1%) तथा महाराष्ट्र (45.2%) का स्थान है। हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीकृत है। इसके बाद बिहार (11.3%), असम (14.1%) तथा ओड़ीसा (16.7%) का स्थान है।

नगरों में रहने वाली कुल जनसंख्या के सन्दर्भ में महाराष्ट्र (50.8 मिलियन लोग) का प्रथम स्थान है जो देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 13.5% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश (44.4 मिलियन) तथा तमिलनाडु (34.9 मिलियन) का स्थान है।

नगरीय जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ें भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति (1901-2011)						
वर्ष	नगरों की संख्या	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	नगरीय जनसंख्या (करोड़ में)	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का %	दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर % में	नगरीय जनसंख्या में % वार्षिक वृद्धि दर
1901	1,827	23.83	2.59	10.84	–	–
1911	1,815	25.21	2.59	10.29	0.35	0.03
1921	1,49	25.13	2.81	11.18	8.27	0.79
1931	2,072	27.89	3.35	11.99	19.12	1.75
1941	2,250	31.87	4.42	13.86	31.97	2.77
1951	2,843	36.10	6.24	17.29	41.42	3.47
1961	2,365	43.92	7.89	17.97	26.41	2.34
1971	2,590	54.82	10.91	19.91	38.23	3.21
1981	3,378	68.33	15.95	23.34	46.14	3.83
1991	3,768	84.43	21.72	25.72	36.19	3.09
2001	5,161	102.87	28.61	27.81	31.72	3.13
2011	7,935	121.05	37.71	31.16	31.2	3.18

नगरीय समाज एवं नगरीकरण का अर्थ
(Meaning of Urban Society and Urbanization)

नगरीय समाज का अर्थ (Meaning of Urban Society)

नगरीय समाज का तात्पर्य विशिष्ट जीवन शैली से जुड़ा है जहाँ मानवीय जीवन की विभिन्न क्रियाओं में ग्रामीण समाज से स्पष्ट अंतर दृष्टिगत होता है। निम्न विशेषताओं से युक्त समाज को नगरीय समाज की संज्ञा दी जाती है:-

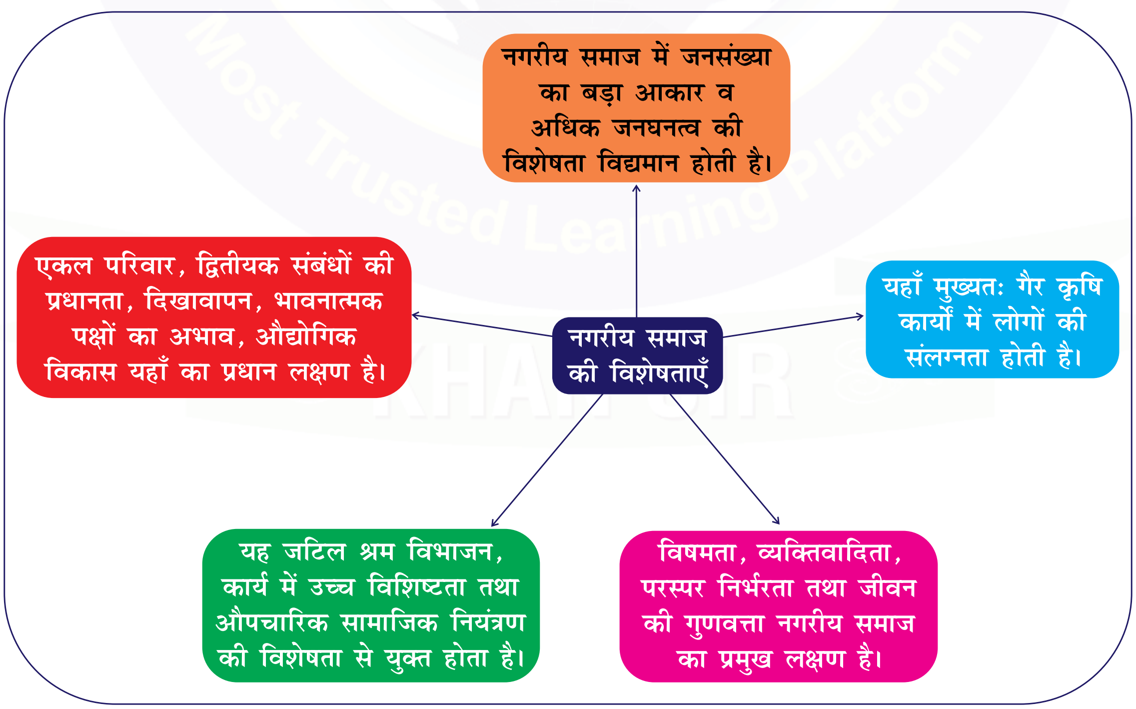

नगरीकरण का अर्थ (Meaning of Urbanization)

नगरीकरण का तात्पर्य नगरीय जनसंख्या, नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय जीवन शैली के प्रसार से है। इस प्रकार नगरीकरण मुख्यत: नगरीय समाज की विशेषताओं के क्षेत्रीय विस्तार से संबद्ध है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दोनों शामिल हैं। नगरीकरण की इस प्रक्रिया में नगरीय व्यवहार, विश्वास, मूल्यों व प्रतिमानों (Values and Pattern) का भी निरंतर विस्तार होता है।

नगरीकरण के जनांकिकीय (Demographic) एवं स्थानिक कारकों में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के स्थान बदलने, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व तथा कृषि कार्यों से गैर-कृषि कार्यों के लिए भूमि के उपयोग के स्वरूप में हुए परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जबकि आर्थिक कारकों का संबंध कृषि व्यवसाय से गैर-कृषि व्यवसायों में हुए परिवर्तनों के रूप में देखा जाता है। शहर विविध आर्थिक अवसरों के केंद्र रहे हैं अत: वे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को शहरी क्षेत्रों में खींच लेता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी, कृषि, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, कुटीर एवं लघु उद्योगों का समाप्त होना आदि भी ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में जाने के लिये बाध्य करते हैं। कभी-कभी लोग शहरी जीवन को कुछ अन्य कारणों से भी पसन्द करते हैं जैसे कि शहरों में गुमनामी की जिन्दगी जी जा सकती है। इसके अलावा, यह तथ्य कि नगरीय जीवन में अपरिचितों से सम्पर्क होता रहता है, कुछ भिन्न कारणों से लाभकारी साबित हो सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक रूप से पीड़ित समूहों को शहरी रहन-सहन रोजमर्रा की उस अपमान जनक स्थिति से उन्हें बचाता है जो गांवों में उन्हें भुगतनी पड़ती है, जहाँ हर कोई उनकी जाति से उन्हें पहचानता है। शहरी जीवन की गुमनामी के कारण सामाजिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली (Dominant) ग्रामीण समूहों के अपेक्षाकृत गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी नीचा समझने वाले काम करने से नहीं हिचकिचाते, जिसे वे गाँव में रहते हुए बदनामी के डर से नहीं कर सकते थे। प्रव्रजन (Migration) के ये कारक नगरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में नगरीकरण (Urbanization in India)

भारत में नगरीकरण एक सतत् ऐतिहासिक प्रक्रिया (Historical Process) का परिणाम रहा है, जिसके बीज सिन्धु घाटी सभ्यता में पाये जाते हैं, जिसके दो शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरीय विकास के चरमोत्कर्ष को अभिव्यक्त (Expressed) करते हैं। नगरीय विकास की यह प्रक्रिया वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक धीमी गति से निरन्तर चलती रही। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जैसे तीन महानगरीय बन्दरगाहों की स्थापना, रेलवे तथा उद्योगों की स्थापना, तमाम हिल स्टेशनों, चाय बागानों, सिविल लाइन्स तथा कैन्टोनमेंट आदि की स्थापना ने भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को एक नयी दिशा दी।

ब्रिटिशकालीन भारतीय शहर पश्चिमीकरण (Westernization) के केंद्र के रूप में विकसित हुए। विद्यालय एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों को पश्चिमी विचारधारा एवं भाषाओं में प्रशिक्षित करते थे। एक नए शहरी अभिजात वर्ग का उदय हुआ जिसकी वेशभूषा, खान-पान की आदतें एवं सामाजिक व्यवहार (Social behavior) पाश्चात्य मूल्यों एवं प्रवृत्तियों को ही प्रतिबिंबित करते थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, भारत में बड़े स्तर पर तेजी से नगरीकरण हुआ। इस काल में भारत के नगरीकरण की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियां थीं:-

1. मुख्यत: उत्तरी भारत के नगरीय क्षेत्रों में शरणार्थियों एवं उनकी बस्तियों का निर्माण हुआ।
2. नए प्रशासनिक शहरों की स्थापना हुई जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर आदि।
3. प्रमुख शहरों के निकट नए औद्योगिक शहरों एवं नगर-क्षेत्रों का विस्तार हुआ।
4. एक लाख एवं दस लाख जनसंख्या वाले शहरों का तेजी से विकास हुआ।
5. छोटे नगरों की वृद्धि धीमी रही।
6. गंदी बस्तियाँ एवं ग्रामीण-शहरी उपान्तों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई।
7. नगर योजना का सूत्रपात एवं नागरिक सुख-सुविधाओं में सुधार का प्रयास किया जाने लगा।

औद्योगीकरण तथा नगरीय केन्द्रों का विकास (Industrialization and development of Urban Centers)

नगरीय वृद्धि में औद्योगीकरण की एक सकारात्मक भूमिका है। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के साथ ही औद्योगिक श्रमिकों की माँग पैदा होती है, और ग्रामीण कृषि क्षेत्र में लगी हुई श्रम शक्ति, नगरों के उद्योगों को स्थानान्तरित हो जाती है। अत: जितनी अधिक औद्योगिक और उत्पादक ईकाइयों (Production Units) की स्थापना होती है, उतनी ही अधिक ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आती है। इसके कारण नगरीय जनसंख्या का आकार बढ़ता है और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है।

औद्योगीकरण और नगरीय वृद्धि के साथ-साथ अन्य दूसरे सहायक आर्थिक उद्योगों का भी विकास होता है जो ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तृतीयक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के विविध अवसरों जैसे-कॉल सेन्टरों की सेवा, कोरियर, यातायात, संचार, बच्चों और वृद्धों की देखभाल, होम डिलीवरी, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ, अच्छे शैक्षिक संस्थानों के अलावा नए और आधुनिक मनोरंजन के अवसर जैसे मल्टीप्लेक्स, क्लब और नाइट क्लब आदि नगरों में ही विकसित होते हैं। ये सभी कारक ग्रामीण जनसंख्या को

नगरीय केन्द्रों की ओर खींचते हैं। महाराष्ट्र में मुम्बई, गुजरात में अहमदाबाद, कर्नाटक में बंगलुरु, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद और कानपुर तथा अभी हाल में राजस्थान में जयपुर मुख्य रूप से अपने अंधाधुंध औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के कारण भारत के सर्वाधिक विकसित और उच्च रूप से नगरीकृत नगरों में से हैं। हम यह भी देखते हैं कि देश में बहुत से नगर उनमें स्थापित उद्योगों के कारण ही जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए भिलाई, आसनसोल, टाटानगर, भदोही आदि।

भारतीय नगरीकरण का प्रतिमान (Pattern) असंतुलित रहा है। प्रथम श्रेणी के नगर विशेषकर बड़े नगर बहुत तेजी से विकसित हुए हैं, जबकि छोटे नगरों में स्थिरता रही है। क्षेत्रीय और स्थानीय नगरों में अप्रवास की दर न्यूनतम से शून्य तक रही है। नगरीय जनसंख्या का साठ प्रतिशत से अधिक भाग प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। देश में नगरीय वृद्धि के असमरूप प्रकृति का कारण मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा अपनाई गयी नगरोन्मुख औद्योगिक नीतियाँ रही हैं। यह अभी हाल की बात है कि नीति निर्माताओं का ध्यान विशाल नगरों से क्षेत्रीय नगरों की ओर गया है और इसके परिणामस्वरूप ग्राम-नगर प्रवसन का रूझान सर्वदेशीय नगरों से क्षेत्रीय नगरों, जैसे राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों की ओर हो गया है। इसका संभावित सुखद परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण जनसंख्या के दिल्ली, मुम्बई और अमृतसर जैसे बड़े नगरों की ओर तीव्र पलायन, जैसा कि अस्सी के दशक तक होता आया था, पर रोक लगी है। इसी के साथ क्षेत्रीय नगर बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं।

भारत में नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव (Social Impact of Urbanization in India)

आधुनिकता, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की आड़ में नगरीकरण की संकल्पना ने परम्परागत भारतीय समाज के प्रायः सभी पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इन परिवर्तनों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

परिवार व्यवस्था में परिवर्तन (Change in Family System)

नगरीकरण के प्रभावस्वरूप परम्परागत संयुक्त परिवार की संरचनात्मक विशिष्टिताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप परम्परागत पारिवारिक मूल्य (Family Values) टूट रहे हैं एवं परिवार का आकार छोटा हो रहा है। नगरीकरण केवल एक प्रक्रिया न होकर एक जीवनशैली है जिसके अपने विशिष्ट मूल्य हैं। यह आधुनिक तार्किक व वैज्ञानिक विश्व दृष्टि के साथ स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्तिवादी मूल्यों (Individualist Values) पर आधारित है जो परम्परागत संयुक्त परिवार के सामूहिक, पितृसत्तात्मक एवं प्रस्थिति (Status) असमानता के मूल्यों के विपरीत है जिसके चलते नगरीकरण ने संयुक्त परिवार के मूल्यों को कमजोर किया है। साथ ही व्यक्तिवाद, आर्थिक उपयोगितावाद (Economic Utilitarianism) एवं नगरीय समस्याओं जैसे आवास, मंहगाई आदि ने बड़े परिवारों को सीमित करते हुए छोटे एवं नाभिकीय परिवारों को प्रोत्साहित किया है।

नगरीकरण के कारण परिवार के ढांचे व आकार में परिवर्तन हो रहे हैं तथा पारिवारिक नातेदारी संबंध कमजोर हुए हैं। चूंकि कुछ अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि शहरी समुदायों में आज भी एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों की संख्या ज्यादा है। इसलिये निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण से संयुक्त परिवार का संरचनात्मक स्वरूप भले ही परिवर्तित हुआ है किन्तु प्रकार्यात्मकता (Functional) बनी हुई है।

जाति व्यवस्था में परिवर्तन (Change in Caste System)

नगरीकरण के प्रभाव से जाति व्यवस्था में परिवर्तन और निरंतरता दोनों ही देखने को मिलती है। नगर में व्यक्ति जाति से ही नहीं बल्कि अन्य उपलब्धियों से अपनी प्रस्थिति प्राप्त करता है। शहर के लोग ऐसे सम्बन्धों में भाग लेते हैं, जिनमें अनेक जातियों के लोग होते हैं। कार्यालय व दफ्तर, होटल व रेस्टोरेन्ट तथा यातायात को साधनों का एक साथ प्रयोग करने की बाध्यता ने जाति संबंधी मूल्यों व प्रतिमानों में अनेक परिवर्तन किये हैं।

लगातार अन्तःक्रिया (Interaction) के कारण विभिन्न जातियों के बीच पवित्रता संबंधी दृष्टिकोण कमजोर हुआ है और जातियों के बीच सामाजिक दूरी में कमी आई है। नगरों में विशिष्टपरक निष्ठाओं की संरचना के स्थान पर सामाजिक और राजनैतिक भागीदारी की अधिक परिष्कृत व्यवस्था मिलती है।

शहरी लोग जाति प्रतिमानों का कठोरता से पालन नहीं करते हैं। नगरीकरण के कारण जातीय प्रस्थिति (Caste Status) के बजाय आर्थिक प्रस्थिति को महत्व मिला है। नगरों में एक ही प्रकार की आर्थिक प्रस्थिति वाले विभिन्न जातियों में लोगों के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाकर उनमें वर्गीय भावना को मजबूत किया है और उनके बीच सामाजिक संबंधों के दायरे को विस्तृत किया है। सहशिक्षा एवं कार्यालयों में साथ रहने एवं काम करने के कारण विभिन्न जातियों के स्त्री व पुरुषों को सामाजिक अन्तःक्रिया (Social Interaction) के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं जिससे प्रेम विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाहों के प्रचलन में वृद्धि हुई है। सहभोज सम्बन्धों, विवाह सम्बन्धों, सामाजिक सम्बन्धों, यहाँ तक कि व्यवसायिक सम्बन्धों में भी परिवर्तन आया है। अन्तर्जातीय विवाह की संख्या में हो रही वृद्धि भी नगरीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करती है। इस प्रकार शहरों में जातीय एकता की भावना उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी की ग्रामों में है।

महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन (Change in Status of Women)

नगरीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रस्थिति (Political Status) में बड़े ही दूरगामी परिवर्तन किए हैं। आज नगरीय महिलाएँ अपने मौलिक अधिकारों के

प्रति ज्यादा जागरूक हो गयी हैं। उनका स्वरूप कामकाजी हो रहा है। प्रशासन, राजनीति, विज्ञान, संचार, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है।

शहरी महिलाओं में आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। परिणामत: न केवल उनके विवाह की औसत आयु बढ़ी है वरन् तलाक, पुनर्विवाह आदि मामलों में वे स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले रही हैं। बैंकिग, कॉल सेन्टर तथा निजी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। किन्तु, अभी भी उन्हें यौन उत्पीड़न, भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता कम हुई है तथा वे ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हैं।

ग्रामीण समाज में परिवर्तन (Change in Rural Society)

नगर और गाँव कभी भी दो ध्रुवों की तरह अलग-अलग नहीं रहे हैं। इन दोनों के बीच कमोबेश नैरन्तर्य बना रहता है। जहाँ ग्रामीण समुदाय नगरीय संस्कृति से प्रभावित होता रहता है। वहीं नगरीय समुदाय पर भी ग्रामीण संस्कृति के प्रभावों को देखा जा सकता है। नगरीकरण का एक उपयुक्त माध्यम नगरों की ओर ग्रामीण प्रवास है और इस प्रकार गाँवों से नगरों की ओर प्रवसन (Migration) के माध्यम के रूप में नगरीकरण एक सार्वभौमिक घटना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के नगरों की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि का एक तिहाई से अधिक भाग ग्रामीण-नगरीय स्थानांतरण का परिणाम है। यह स्थानांतरण मुख्य रूप से राजधानी नगरों एवं महानगरों की ओर होता है।

लोग शहरों की ओर पलायन इसलिए करते हैं कि वहाँ अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रवासन ग्रामवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन (Cultural Life) को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तनों के अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीकरण से उत्पन्न तीन प्रकार की दशाओं की पहचान की गयी है:-

1. गाँवों में, जहाँ से लोग बड़ी संख्या में शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, शहरी रोजगार एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है।
2. नगरों और शहरों में कार्यरत बड़ी संख्या में प्रवासियों वाले किसी औद्योगिक नगर के निकट स्थित गाँवों में आवास, क्रय-विक्रय एवं सामाजिक व्यवस्था संबंधी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।
3. नगर के विस्तार के साथ ही कुछ गाँव नगरीकृत क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार, ग्रामवासी नगर के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सीधे भागीदारी निभाते हैं।

इस प्रकार, प्रवसन नगरीकरण की वृद्धि में निहित एक मुख्य घटक है जो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। यह सांस्कृतिक संपर्क शहरी क्षेत्रों में परस्पर क्रिया से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं सामाजिक सामंजस्य के विभिन्न तरीकों की शुरुआत करता है। कृषि के व्यापारीकरण के चलते प्रवसन का एक विशेष महत्व हो गया है। इसके बावजूद मूल स्थान पर प्रवासी अपने विभिन्न प्रकारों एवं सोपानों को रखते हैं और उसी के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच निरंतरता बढ़ती है। अनेक सांस्कृतिक विशेषताएँ एक दूसरे से सम्बन्धित रहती हैं, साथ ही, नए विचारों, विश्वासों और आदतों का प्रसार भी गांवों की ओर होता है।

नगरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता (Urbanization and Social Mobility)

जाति और सामाजिक गतिशीलता में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। शहरी क्षेत्र सामाजिक गतिशीलता के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं लेकिन फिर भी यह आवश्यक नहीं हैं कि सभी जातियाँ अपनी सामाजिक प्रस्थितियों (Social Status) को ऊँचा उठाने में सफल होती हैं। नगरीकरण और गतिशीलता के संदर्भ में एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि आज के युग में व्यक्ति की व्यावसायिक प्रतिष्ठा अधिकतर उसकी शिक्षा पर निर्भर है। जितनी ऊँची शिक्षा होगी उतनी ही ऊँची व्यावसायिक प्रतिष्ठा (Social Prestige) प्राप्त करने की सम्भावना होती है। शहरी समुदाय अच्छे शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं इसलिए यहाँ प्रस्थिति गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। नगरीकरण से उत्पन्न व्यावसायिक विशिष्टीकरण ने लोगों को अनेक संभावनायें प्रदान की है जिसके कारण व्यक्ति की योग्यता व कुशलता को उसकी जातीय प्रस्थिति से अधिक महत्व दिया जाने लगा है और व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता व्यक्ति की पहचान का मानदण्ड बनने लगा है। आज विभिन्न जातियों के सफल लोगों को एक ही वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से व्यवसाय और समृद्धि की संभावनाओं को उत्पन्न करते हुए नगरीकरण ने बन्द स्तरीकरण (Closed Stratification) की जाति व्यवस्था में वर्ग स्तरीकरण के लक्षणों को उत्पन्न करते हुए गतिशीलता के नये अवसर प्रदान किये हैं।

नगरीय पड़ोस का उद्भव (Emergence of Urban Neighborhoods)

पड़ोस को एक प्राथमिक समूह माना गया है जिसके सदस्य एक दूसरे के साथ घनिष्ठता का संबंध रखते हैं। नगरीकरण ने पड़ोसी सम्बन्धों को इस प्रकार प्रभावित किया है कि पड़ोसी एक दूसरे से सामान्यत: अजनबी बने रहते हैं।

आन्तरिक नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आय, शिक्षा और व्यवसाय जैसे संदर्भों में उसी पड़ोस में रहने वाले लोग बिल्कुल भिन्न जीवन व्यतीत करते हैं। पड़ोस में रहने वालों

को कई समूहों में यथा-अप्रवासी, पेशेवर, छात्र, बुद्धिजीवी, व्यापारी, नौकरी पेशा वाले, कम शिक्षित, उच्च शिक्षित और मध्यम तथा धनी वर्ग के सदस्य के रूप में विभक्त किया जा सकता है। ये विविध सामाजिक वर्ग (Social Class) यद्यपि अत्यन्त भौतिक निकटता में रहते हैं, फिर भी सामाजिक रूप से वे अलग-अलग संसार में रहते हैं। नगरों में नव-विकसित बड़ी कॉलोनियों या अपार्टमेन्ट में रहने वाले लोगों के घर अलग न भी हो लेकिन सामाजिक दृष्टि से वे स्पष्ट और अलग जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ रहने वाले धनी लोग अपने को स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं मानते हैं। उच्च वर्ग के सदस्य परस्पर एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अन्य केवल उनके बारे में ही जानते हैं। इस प्रकार यहाँ भी लोग सामान्यत: अपने पड़ोसियों से अनजान ही बने रहते हैं।

जनगणना 2011 ग्रामीण-शहरी जनसंख्या के अन्तिम आँकड़े जनसंख्या (करोड़ में)

	2001	2011	अन्तर
भारत	102.9	121.05	18.15
1. ग्रामीण	74.26 (72.19%)	83.34 (68.84%)	9.08
2. शहरी	28.61 (27.81%)	37.71 (31.2%)	9.1

सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य

राज्य	जनसंख्या (मिलियन में)
• उत्तर प्रदेश	155.31
• बिहार	92.34
• पश्चिम बंगाल	62.18
• महाराष्ट्र	61.55

सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्य

राज्य	जनसंख्या (मिलियन में)
• महाराष्ट्र	50.81
• उत्तर प्रदेश	44.49
• तमिलनाडु	34.91
• पश्चिम बंगाल	29.09

शीर्ष पाँच शहरी जनसंख्या % वाले राज्य

रैंक	राज्य	नगरीकरण % में
प्रथम	गोवा	62.2
द्वितीय	मिजोरम	52.1
तृतीय	तमिलनाडु	48.4
चतुर्थ	केरल	47.7
पंचम	महाराष्ट्र	45.2

स्रोत: जनगणना-2011 के अंतिम आँकड़ें

शीर्ष चार शहरी जनसंख्या % वाले संघीय क्षेत्र

रैंक	संघीय क्षेत्र	नगरीकरण % में
प्रथम	दिल्ली	97.5
द्वितीय	चंडीगढ़	97.3
तृतीय	लक्षद्वीप	78.1
चतुर्थ	दमन और दीव	75.2

स्रोत: जनगणना-2011 के अंतिम आँकड़ें

नगरीकरण पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व की जनसंख्या पर पेश होने वाली 'द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन' नामक 30वीं रिपोर्ट का विषय 'शहरीकरण' रखा गया था। इस रिपोर्ट में विश्व के आँकड़ों के अध्ययन को आधार पर बनाया गया है कि शहरी जनसंख्या में लगभग 60% वृद्धि का कारण पहले की शहरी जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि है। शेष 40% वृद्धि बाहरी लोगों के आने और जनसंख्या के पुनर्वर्गीकरण (Reclassification) के कारण है। रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2008 में विश्व की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या पहली बार ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो जाएगी अर्थात् कुल जनसंख्या की आधे से अधिक हो गयी, जो लगभग 3 अरब 30 लाख अनुमानित की गयी थी। वर्ष 2030 तक विश्व में शहरी जनसंख्या 5 अरब से अधिक हो जाएगी जो विश्व की कुल जनसंख्या की 60% होगी। रिपोर्ट में एशिया और अफ्रीका पर विशेष बल दिया गया है। एशिया की शहरी जनसंख्या वर्ष 2000 के 1.4 बिलियन से बढ़कर 2030 में 2.6 बिलियन, अफ्रीका की 30 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों की 40 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट में वर्ष 2000 और वर्ष 2030 के बीच शहरी जनसंख्या दो गुना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट इस मिथक को तोड़ती है कि प्रवासियों के कारण शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों को रोकने का प्रयास जन अधिकारों का अतिक्रमण (Encroachment) करना है। यदि नीति निर्धारकों को लगता है कि शहरी वृद्धि की दर बहुत अधिक है तो वे मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली नीतियाँ अपना सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी जनसंख्या की तेज वृद्धि की प्रवृत्ति का मतलब यह नहीं है कि लोगों को शहर आने से जबरदस्ती रोका जाए। आवश्यकता इस बात की है कि शहरी नियोजन में अपेक्षित सुधार किए जाएँ तथा स्थितियों का पहले से आकलन कर तैयारी की जाए। विश्व की शहरी जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा पाँच लाख से कम जनसंख्या के शहरों में रहता है, इसलिए इन शहरों के विकास की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए झुग्गियों में रहने वालों की बेहतरी पर विशेष ध्यान आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के दौर में समुद्र

तटीय क्षेत्रों के लिए तूफान और जलस्तर ऊपर उठने के खतरे बढ़े हैं। इसके बावजूद भूमंडलीकरण (Globalization) में निर्यात पर बढ़ते बल और दूसरे कारणों से निचले समुद्र तटीय क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या बढ़ी है, जो खतरनाक साबित हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में वर्तमान 31.2% के मुकाबले शहरी जनसंख्या 40.76% हो जाएगी। भारत में शहरीकरण की यह गति विश्व के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले बहुत अधिक होगी। वर्ष 2030 तक भारत में शहरीकरण की गति 2.5% हो जाएगी, जबकि विश्व में औसत शहरीकरण की गति 1.9% है। वर्ष 2020 तक मुम्बई विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा शहर बन जाने की संभावना है। हालांकि यह भी दिलचस्प है कि मुम्बई और कोलकाता जैसे महानगरों में बाहर से आने वाले लोगों की अपेक्षा शहर छोड़कर जाने वालों की संख्या अधिक है। देश में 15वीं जनगणनानुसार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है; अर्थात् 50.1 मिलियन शहरी जनसंख्या, जो समस्त शहरी जनसंख्या का 13.48% है। उसके पश्चात् क्रमश: उत्तर प्रदेश (44.47 मि.), तमिलनाडु (34.95 मि.) एवं प. बंगाल (29.13 मि.), का स्थान है।

मेगा सिटी

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार–ऐसे नगरीय संकुलन जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन (अर्थात् एक करोड़) से अधिक है, 'मेगा सिटी' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। भारतीय जनगणना-2011 में इस अवधारणा को स्वीकार किया गया है। देश के 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों (Urban Cluster) में से तीन नगरीय संकुलन 'मेगा सिटी' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। यथा–

1. वृहद मुम्बई (18.41 मिलियन)
2. दिल्ली (16.31 मिलियन)
3. कोलकाता (14.11 मिलयन)

ध्यातव्य है कि 2001 में उक्त तीनों शहरों का अनुक्रम था– मुम्बई, कोलकाता एवं दिल्ली। ज्ञातव्य है कि 2011 से पहले भारत के नगर निगम क्षेत्र में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 'मेगा सिटी' कहा जाता था।

मेगा सिटी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (% में)

शहरी	दशकीय जनसंख्या 1991-2001	वृद्धि दर 2001-11	अन्तर
1. मुम्बई	30.47	12.05	(–)18.42
2. दिल्ली	52.24	26.69	(–)25.55
3. कोलकाता	19.60	06.87	(–)12.73

भारत में नगरीकरण की समस्याएँ (Problems of Urbanisation in India)

भारत में औद्योगीकरण के विकास ने अन्य तथ्यों के साथ मिलकर नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिणामत: नगरीय विकास के साथ ही विभिन्न नगरीय समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं को निम्न रूपों में देखा जा सकता है:-

सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ (Socio-Cultural Problems)

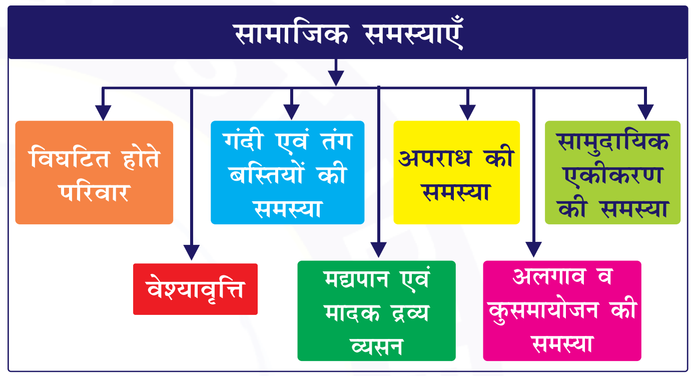

विघटित होते परिवार (Disintegrating Family)

नगरीकरण की प्रक्रिया में पारिवारिक सम्बन्धों में बिखराव के साथ संयुक्त परिवारों (Joint Family) का विघटन हो रहा है। इसी के फलस्वरूप नगरीय परिवार के सम्मुख अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जो कि निम्नलिखित हैं:–

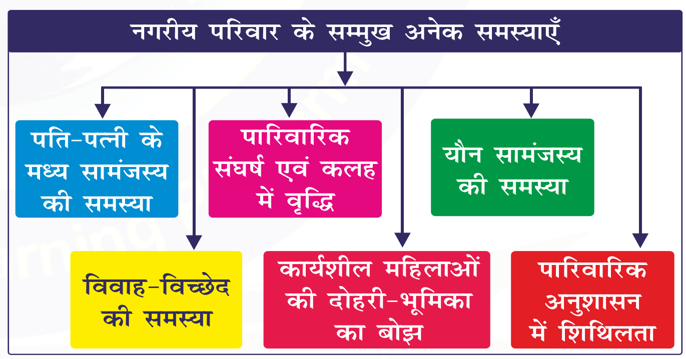

वेश्यावृत्ति (Prostitution)

आधुनिक औद्योगिक नगरों की अपनी संरचनात्मक विशेषताएँ (Structural Features) हैं, जिन्होंने नगरों में वेश्यावृत्ति को फलने-फूलने का अवसर दिया है। इसमें गुप्त एवं सुरक्षित स्थान, अनजानापन आदि प्रमुख हैं। महानगरों में वेश्यावृत्ति अब मनोरंजन केन्द्रों तक सीमित नहीं है अब यह उच्च वर्गीय अपार्टमेंट में जहाँ लोग ऊँची कीमत दे सकें से लेकर गन्दी बस्तियों तक फैल चुका है।

आज केवल गरीब व शोषित महिला ही इससे नहीं जुड़ी है अपितु आज हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल भी काफी संख्या में मौजूद है

जो अपने भौतिकवादी महत्वाकांक्षा (Materialistic Ambition) की पूर्ति हेतु वेश्यावृत्ति में संलग्न है।

गंदी एवं तंग बस्तियों की समस्या (Problem of Dirty and Crowded Slums)

नगरीकरण की तेज गति के फलस्वरूप नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभरी है। यह नगरों में आवास की समस्या से परिणामिक (Consequential) रूप से जुड़ी है। नगरीय आबादी का लगभग पाँचवां भाग गंदी और तंग बस्तियों में रहता है।

गंदी बस्तियाँ सांस्कृतिक व सामाजिक विघटन (Social Dissolution) के केन्द्र होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में शराबखोरी, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृति जैसी सामाजिक समस्याओं का सकेन्द्रण देखा जा सकता है। गन्दी बस्तियों में अपराधियों के छुपने की जगह भी मुहैया कराते हैं।

मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन (Alcoholism and Drug Addiction)

वैसे तो नगर एवं ग्रामीण दोनों समाजों में मद्यपान एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है पर 20वीं सदी के अंत में महानगरों में कुछ ऐसे कारक रहे हैं जिन्होंने इसे और भी गंभीर बना दिया है। अब शराब पीना महानगरीय संस्कृति का अंग बनता जा रहा है। महानगरीय युवाओं में शराब सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नए विकसित संचार माध्यमों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरीय समाज का एक बहुत बड़ा भाग मजदूरों एवं उद्योगों के श्रमिकों से मिलकर बना है। यह वर्ग अपनी शारीरिक थकान मिटाने के लिए शराब का सेवन करना आवश्यक समझता है।

मद्यपान के अतिरिक्त नगरों में मादक-द्रव्य व्यसन की समस्या में भी वृद्धि हुई है। आज नगरों में रेव पार्टियों के प्रचलन में वृद्धि हुई है। पब व डांस क्लब मादक द्रव्य व्यसन के अड्डे बन गए हैं। मादक-द्रव्य व्यसन के कारण व्यक्तिगत विघटन के साथ-साथ सामुदायिक विघटन (Community Dissolution) की समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है।

मद्यपान एवं मादक द्रव्य-व्यसन युवाओं को अपराध व हिंसा की ओर उन्मुख कर रहे हैं।

अपराध की समस्या (Problem of Crime)

पिछले कुछ दशकों में नगरीकरण की तेज गति ने विकसित तथा विकासशील समाजों में अपराध की समस्या को जन्म दिया है। संसार के सभी महानगर तथा बड़े नगर अपराध तथा बाल अपराध हेतु अनुकूल अवसर प्रदान करते हैं। भारत में भी ग्रामीण तथा आदिवासी इलाकों की तुलना में नगरों में अपराध की दर उच्च हैं। नगरीकरण की बढ़ती दर के साथ अपराध की दर भी बढ़ती है क्योंकि सफलता के लिए संस्थागत अवसर, आकांक्षा रखने वालों की तुलना में कम होते हैं। इसके साथ ही नगर की अपरिचित परिस्थिति भी अवैध-क्रियाओं के लिए सामाजिक अनुकूलता (Social Compatibility) प्रदान करती है।

क्योंकि, इन दशाओं में कानून तथा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार परंपरागत सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएँ कमजोर पड़ जाती हैं। पाश्चात्य समाजों की तुलना में भारत के नगरों में अपराध की दर कम है, फिर भी बड़े नगरों की आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि तथा व्यापक आर्थिक असुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण फौजदारी अपराधों के साथ ही आर्थिक अपराध चाहे वह 'ब्लू-कॉलर' हो या 'व्हाइट-कॉलर' अत्यन्त तेजी से बढ़ रहे हैं।

अलगाव व कुसमायोजन की समस्या (Isolation and Maladjustment Problem)

नगरीकरण की प्रक्रिया में नगरीय सामाजिक जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष तथा सामाजिक जटिलता के अनन्य पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। ऐसी स्थिति में भिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश (Socio Cultural Environment) के लोग जब नगरीकरण की प्रक्रिया में एक दूसरे के निकट आते हैं तो पारस्परिक समायोजन (Mutual Adjustment) उनके नगरीय सामाजिक जीवन की प्राथमिक शर्त होती है। जिन व्यक्तियों में निराशा, हीनता तथा सामाजिक असुरक्षा की भावना जैसी मानसिक विकृतियाँ पैदा होती हैं उनमें नगरीय समाज से अलगाव उत्पन्न होता है और वे मूल्यहीनता (Valuelessness) की स्थिति में आ जाते हैं। उनका यह मानसिक अन्तर्द्वन्द प्रथमतः सामाजिक कुसमायोजन उत्पन्न करता है जिसकी परिणति आपराधिक गतिविधियों के रूप में होती है। नगरों में होने वाली हत्याएं, बलात्कार, डकैती आदि परम्परागत अपराधों के पीछे इस अलगाव व कुसमायोजन को देखा जा सकता है।

सामुदायिक एकीकरण की समस्या (Problem of Community Integration)

अल्पसंख्यक समुदायों का गांवों से नगरों की ओर प्रवास नगरीय सामाजिक पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इनके शहरी सामाजिक संरचना में एकीकृत होने की समस्या सदैव विद्यमान रही है।

नगरों में प्रवासियों द्वारा कई बार स्थानीय सदस्यों की जीवनशैली को नहीं अपनाया जाता है बल्कि इसके विपरीत अपने पृथक निवास स्थानों, अपने निजी समुदाय संस्थाओं और संघों की स्थापना कर लेते हैं। इसी प्रकार के एकीकरण की प्रक्रिया हम बंगालियों, पंजाबियों, केरलवासियों, तमिलों, महाराष्ट्रियों और कश्मीरियों में भी देख सकते हैं जो अपने मूल नगरों से दूसरे राज्यों के नगरों में जाकर बस जाते हैं। वे केवल अपने संघ ही नहीं बनाते बल्कि विशेष अवसरों पर एक दूसरे से मिलते भी हैं जहाँ वे अपनी सामाजिक प्रथाओं का पालन करते हैं। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों में आक्रामक व्यवहार दिखाई देता है। यहाँ महाराष्ट्रियों का अपने उन पड़ोसियों के साथ नकारात्मक व्यवहार दिखाई दिया जो

अन्य क्षेत्रों से आए थे। परन्तु, महाराष्ट्रीय लोग शिव सेना के आदर्शों से अधिक प्रभावित हैं इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसी प्रकार की विचारधारा देश के अन्य भागों में विभिन्न नृजातीय समूहों (Racial Groups) के बीच सम्बन्धों को निर्धारित करती है।

अति-नगरीकरणजनित समस्या (Problem Caused by Over-urbanization)

नगरीय आबादी का इतना ज्यादा बढ़ जाना कि शहर अपने निवासियों को एक अच्छी जीवनशैली देने में असफल हो जाए तो यह स्थिति अतिनगरीकरण कहलाती है। इससे जन-सुविधाओं एवं मकानों पर अत्यधिक आबादी का दबाव बढ़ जाता है। भारतीय संदर्भ में अतिनगरीकरण के कई प्रभाव रहे हैं, जैसे-,

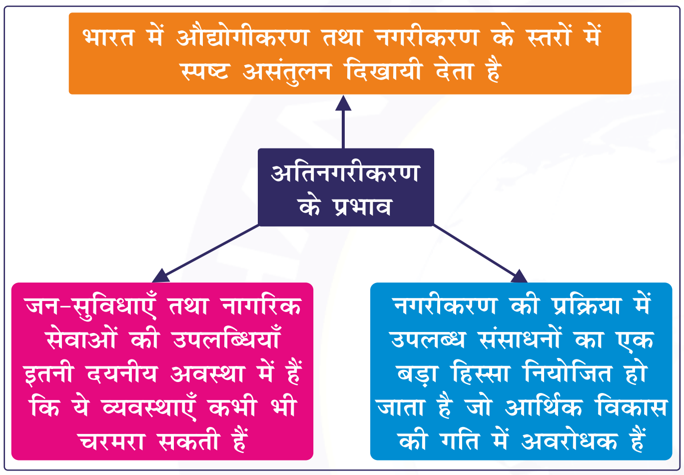

भारत में तीव्र नगरीकरण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन में असंतुलन उत्पन्न कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। भारत में नगरीय समस्याएँ केवल अतिनगरीकरण का परिणाम ही नहीं हैं बल्कि इसको मुख्यत: नगरीकरण के स्वरूप को संचालित करने वाली प्रभावपूर्ण नगरीय नीति के अभाव के परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है।

आवास की समस्या (Problem of Housing)

नगरीय जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि ने अनेकों समस्याओं को जन्म दिया है जिसमें सबसे बड़ी समस्या आवास की है। नगरवासियों का एक विशाल भाग अति दयनीय आवासों और तंग-बस्तियों में रहता है। अनुमानत: बड़े-बड़े नगरों के लगभग 70 प्रतिशत लोग निम्न स्तर के मकानों में रहते हैं। इसी प्रकार सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो शहरों में 'फुटपाथों' पर बिना किसी आश्रय के जीवन व्यतीत करते हैं।

सुरक्षित और पर्याप्त जल-आपूर्ति की समस्या (Problem of Safe and Adequate Water Supply)

नगरों में घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता एक आधारभूत आवश्यकता (Basic Need) है। परंतु, भारत सहित तृतीय विश्व के देशों के नगरों में कुछ ही नगरवासी ऐसे हैं जो इस सुविधा को लगातार एवं संतोषजनक रूप से प्राप्त कर रहे हैं।

भारत में लगभग 30 प्रतिशत नगरवासी शुद्ध पेय जल की सुविधाओं से वंचित (Debrived) हैं। नगरों तथा शहरों में पानी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत नगरपालिकाओं के नल तथा हैण्ड पम्प हैं। किंतु ज्यादातर नगरों में, विशेषत: तेजी से बढ़ रहे नगरों में, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को घरेलू उपयोग हेतु सुरक्षित जल की प्राप्ति में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

प्रभावी और पर्याप्त परिवहन की समस्या (Problem of Effective and Adequate Transportation)

एक अच्छी व संतुलित परिवहन व्यवस्था नगरवासियों को निवास और काम के स्थल के बीच तथा प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आना-जाना सुगम बनाती है। इस तरह की परिवहन व्यवस्था उन लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है जो रोजी-रोटी के लिए नगरों पर आश्रित होते हैं पर नगर में स्थायी निवास करने के बजाय गाँव से प्रतिदिन नगर में आते-जाते हैं।

भारत के नगरों में एक तरफ संकीर्ण और तंग सड़कें व गलियाँ एवं उनकी दयनीय स्थिति तथा दूसरी तरफ भीड़-भाड़ व जाम ट्रैफिक का भयावह दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो लगभग नगर के प्रत्येक भाग में, खासतौर से व्यापारिक क्रियाओं के इलाकों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई देता है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या (Problem of Environmental Pollution)

वर्तमान समय में औद्योगीकरण एवं नगरीय विकास ने सम्पूर्ण विश्व के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण जैसी भयानक समस्या को जन्म दिया है। भारत में कोलकाता, मुम्बई, कानपुर तथा दिल्ली जैसे शहर घनी आबादी के साथ ही प्रथम श्रेणी के प्रदूषित शहर हैं। अन्य शहरों की स्थिति भी दिन-व-दिन खराब होती जा रही है।

नगरों में बढ़ते प्रदूषण के कारकों में भीड़-भाड़ भरी सड़कें, लगातार बढ़ रहे परिवहन के साधन, सीवेज, परम्परागत घरेलू ईंधन, औद्योगिक कारखाने तथा गंदी बस्तियाँ आदि प्रमुख हैं।

प्रौद्योगिकीय प्रदूषण (Industrial Pollution) के स्रोतों के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के कारणों में मानवीय गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में नगरवासियों तथा उद्योगपतियों की लापरवाही, स्थानीय अधिकारियों की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रामाणिक मानदंडों (Criteria) के प्रति उपेक्षा, उपलब्ध जमीन पर स्वार्थी समूहों का आधिपत्य और जन-सुविधाओं, जैसे -शौचालय, गटर, कूड़ा-करकट इकट्ठा करने की पेटियाँ, नल तथा स्नानाघर की दयनीय हालत नगर के वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। नगरीकरण की लगातार बढ़ती दर एवं उपलब्ध जमीन पर आबादी के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण नगरवासियों

के स्वास्थ्य तथा सुखमय जीवन के लिए एक चुनौती के रूप में उपस्थित हुआ है।

नगरीय समस्याओं के कारण
(Causes of Urban Problems)

भारत में नगरीकरण ने जिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, उनके लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं:-

1. ***व्यक्तिवादिता तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा (Individualism and Intense Competition) –*** नगरीय समाज में व्यक्तिवादिता एक प्रमुख विशेषता बन गयी है। व्यक्ति अधिकाधिक आत्मकेन्द्रित (Self Centric) होता जा रहा है तथा धनसंपत्ति को ही अधिक महत्व देता है। अधिक से अधिक धन संग्रह की प्रवृत्ति में व्यक्ति को तीव्र प्रतिस्पर्धा हेतु मजबूर किया है। उपरोक्त प्रवृत्ति कई सारी नगरीय समस्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है।
2. ***उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार (Spread of Consumerist Culture) –*** आज नगरीय समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति अपने चरम पर है। लोग दिखावे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नगरों में व्यक्ति की प्रस्थिति (Status) उसकी आय या जाति से निर्धारित न होकर अपितु उसके उपभोग के स्तर से निर्धारित होती है। दिखावे की संस्कृति की यह होड़ कई सारी नगरीय सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है।
3. ***जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion) –*** नगरीकरण की अधिकता तथा इससे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं हेतु सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का होना है। नगरों में आवास, परिवहन, प्रदूषण तथा अन्य समस्याओं के लिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सर्वाधिक जिम्मेदार है।
4. ***नगरीय क्षेत्रों में नागरिक संस्कृति का अभाव (Lack of Civic Culture in Urban Areas) –*** नगरों में विभिन्न वर्गों व समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विविधता (Cultural Diversity) की स्थिति पायी जाती है। ऐसे में किसी सामान्य नागरिक संस्कृति का अभाव हो जाता है जो नगरीय अपराध व संघर्ष की समस्या को उत्पन्न करता है।
5. ***तीव्र-ग्रामीण नगरीय प्रवास (Rapid Rural Urban Migration) –*** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी तथा नगरीय आकर्षण से उत्पन्न ग्रामीण-नगरीय प्रवास ने शहरों में जनसंख्या के दबाव को बढ़ाकर संबंधित समस्याओं को जन्म दिया है। गंदी बस्तियों का फैलाव, अपराध जैसी समस्याओं के लिए यह प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।
6. ***राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति का अभाव (Lack of National Urbanization Policy) –*** सरकार द्वारा राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति का अभाव भी विभिन्न नगरीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी है।
7. ***नगरीय निकायों की परंपरागत संरचना (Traditional Structure of Urban Bodies) –*** नगर निकायों की संरचना का विकास दशकों पूर्व हुआ है। वर्तमान समय में नगरों में हुए परिवर्तन के साथ इनका समुचित समायोजन (Adjustment) संभव नहीं हो पाता है। नगरीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।
8. ***राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव (Political and Administrative will Power) –*** नगरीय नियोजन (Urban Planning) हेतु विभिन्न नियमों व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव प्रमुख कारण है।
9. ***केन्द्र की सीमित भूमिका (Limited Role of the Center) –*** नगर नियोजन राज्य सूची का विषय है जिसके कारण इसमें केन्द्र की भूमिका सीमित हो जाती है। परिणामतः एक समान नगर नियोजन की नीति का निर्माण व पर्याप्त वित्त का अभाव नगरीय समस्याओं को बढ़ा देते हैं।
10. ***राज्यों के पास वित्त का अभाव (States Lack Finance) –*** राज्यों के पास पर्याप्त वित्त का अभाव नगरीय समस्याओं के समाधान न हो पाने हेतु प्रमुख कारण के रूप में विद्यमान हैं।
11. ***विकास कार्यक्रमों का राजनीतिकरण (Politicization of Development Programmes) –*** नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित विकास कार्यक्रमों का राजनीतिक लाभों

हेतु प्रयोग एक सामान्य घटक है। परिणामतः इन कार्यक्रमों का समुचित प्रभाव परिलक्षित नहीं हो पाता है।

12. भ्रष्टाचार (Corruption) – भ्रष्टाचार ने विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन (Implementation) को सर्वाधिक दुष्प्रभावित किया है। परिणामतः नगरीय समस्याएँ अधिक जटिल हो गयी है।

नगरीय समस्याओं के समाधान के प्रयास (Efforts to Solve Urban Problems)

नगरीकरण तथा औद्योगीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं अतः राष्ट्र के योजनाबद्ध विकास (Planned Development) के प्रयत्नों में नगरीकरण की दर में तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं को काबू में लाने की नीतियाँ अपनाई जाती रही है। इन प्रयासों में ज्यादातर गरीब तथा निम्न आय वर्ग के लोगों की स्थिति को सुधारने पर बल दिया जाता रहा है। साथ ही यहाँ आवास एवं जल आपूर्ति की समस्याओं के साथ-साथ नगर विकास की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरीय समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है:-

1. सरकार द्वारा स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र एवं विभिन्न NGO के माध्यम से पारिवारिक विघटन (Family Dissolution) रोकने हेतु निःशुल्क सुझाव एवं सहायता।
2. मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन को रोकने हेतु विभिन्न NGO द्वारा निःशुल्क नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना।
3. नगर विकास हेतु योजना तैयार करने के लिए नगर नियोजन संगठन की स्थापना।
4. प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास हेतु नगर विकास प्राधिकरण का गठन।
5. शहरी भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण एवं नियमन अधिनियम 1976 के द्वारा भूमि के वितरण को संतुलित करने का प्रयास।
6. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय विकास एवं मलिन बस्तियों में जीवन स्तर में सुधार का प्रयास।
7. दिल्ली हेतु राष्ट्रीय राजधानी नियंत्रण मण्डल की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश हेतु योजनाएं तैयार करना है।
8. नगरीय क्षेत्रों के विकास में नगरवासियों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 74वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन किया गया।
9. केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई कार्यक्रम चलाये गये और इनके माध्यम से नगरीय विकास (Urban Development) का प्रयास किया जा रहा है।
10. राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से नगरीय विकास का प्रयास किया जा रहा है।
11. विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संगठनों के माध्यम से जैसे आवास एवं नगरीय विकास निगम (HUDCO), पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल विकास बोर्ड, NH DF आदि के द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक प्रयास किये गये।
12. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में कई प्रयास किये गये हैं जैसे नगरों में अनाथालयों की स्थापना, मलिन बस्तियों में शिक्षा प्रदान करना, नगरों में वृद्धा आश्रम की व्यवस्था आदि।
13. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती केन्द्र, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नगरीय विकास परियोजना आदि के माध्यम से भी इस दिशा में कई प्रयास किये गये।
14. ग्रामीण विकास के द्वारा भी ग्रामीण नगरीय प्रवास पर नियंत्रण हेतु प्रयास किया गया ताकि नगरीकरण को रोका जा सके।
15. अन्य प्रयास–
    - (i) मलिन बस्ती (Dirty Slum) एवं आवास की समस्या हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गयी।
    - (ii) परिवहन व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति लागू की गयी।
    - (iii) पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी।
    - (iv) नगरीय विकास के प्रशिक्षण हेतु कोलम्बो प्लान के माध्यम से प्रयास किया गया।
    - (v) मुख्यतः दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और इस तरह की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु जनहित याचिका के माध्यम से समाधान का प्रयास किया गया।
    - (vi) भारत में शहरों की स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु 2008 में शहरी स्वच्छता नीति को लागू किया गया।
    - (vii) शहरी फेरी वालों की समस्या के निराकरण हेतु शहरी फेरी वालों पर राष्ट्रीय नीति लागू किया गया एवं पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 को संसद द्वारा अभी हाल ही में पारित किया गया है।

मूल्यांकन एवं सुझाव (Evaluation and Suggestions)

भारत में नगरीकरण जनित समस्याओं और इन समस्याओं के समाधान की दिशा में किये गए प्रयासों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में 'नगरीय संस्कृति जनित' (Urban Culture Generated) और 'अति नगरीकरण' (Over urbanization) से जुड़ी कई तरह की नगरीय समस्यायें विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास भी जारी हैं।

निश्चित रूप से इन प्रयासों से नगरीय समस्याओं के समाधान की दिशा में कई उपलब्धियां दर्ज की गयी है जैसे आज दिल्ली जैसे नगरों में नगरीय उद्योगों का नगर से बाहर स्थानांतरण, CNG की अनिवार्यता, प्लास्टिक थैले पर रोक जैसे प्रयासों से उल्लेखनीय सफलता हासिल की गयी है। पर्यावरण के क्षेत्र में यह सफलता बम्बई, बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में भी दृष्टिगत होती है। नगरवासियों को आज शुद्ध पेय जल काफी हद तक उपलब्ध हुआ है और निरंतर प्रयास के द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर (Quality of Life) में काफी हद तक सुधार हुआ है। राजीव आवास योजना जैसे कई कार्यक्रमों के द्वारा गन्दी बस्तियों के लोगों के लिए आवास, पेयजल एवं जल निकास की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। आज भारत के नगरों में फ्लाई ओवर एवं मेट्रो रेल आदि के प्रयोग ने काफी हद तक यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान (Solution) किया है। निरंतर नई एवं चौड़ी सड़कों का निर्माण, नगर पर भार को कम करने के लिए नगर के बाहर बस्तियों का विकास, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना एवं मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोकने के प्रयास का काफी हद तक सकारात्मक परिणाम सामने आया है और नगरीय समस्याओं में कमी आयी है। वृद्धों, अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के लिए चलाये जा रहे अनाथालय केन्द्रों आदि ने भी संबंधित समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया है।

परन्तु उपरोक्त उपलब्धियाँ अभी भी पर्याप्त नहीं हैं और आज भी हम नगरीय समस्याओं के समाधान की दिशा में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। दिल्ली की यमुना नदी, कानपुर की गंगा एवं दक्षिण भारत की महानदी, कावेरी आदि आज भी दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। दिल्ली, मुम्बई और अन्य कई महानगरों में स्वच्छ पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है और लोगों को पानी खरीदकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है। नगरों में परिवहन की समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाया है और ट्रैफिक जाम प्रमुख समस्या बनी हुई है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई व बेंगलुरु जैसे महानगरों में 9-11 तथा 5-7 का समय टी.वी. व रेडियो के लिए महत्वपूर्ण होता है जो नगरों में ट्रैफिक जाम के बारे में सूचना देते नजर आते हैं।

मलिन बस्तियाँ आज भी नगरीय समस्या (Urban Problem) बनी हुई है और तमाम प्रयासों के बावजूद रेलवे लाइन के किनारे या नगरों के बीच में ढाबे के रूप में इस तरह की बस्तियां देखी जा सकती हैं। जहाँ लोग आज भी अपेक्षित जन सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी आवास के अभाव में नगरीय आबादी का एक बहुत बड़ा भाग सड़कों, प्लेटफॉर्म या फ्लाई ओवर के नीचे जीवन बिताने के लिए विवश है।

व्यक्तिवादिता (Individualism), प्रतिस्पर्धा, मानसिक तनाव एवं आत्महत्या जैसी बढ़ती समस्याएं भारतीय नगरों के नकारात्मक प्रभावों को परिलक्षित (Reflected) कर रहे हैं। नगरों में हो रहे नैतिक पतन एवं कुंठा ने महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ बलात्कार व हिंसा जैसी घटनाओं को तीव्र कर दिया है।

इस तरह स्पष्ट है कि भारत में नगरीय विकास की दिशा में हम अभी अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं और इसके लिए जहाँ एक तरफ कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन से संबंधित कमियाँ तो दूसरी तरफ कई तरह के संरचनात्मक कारक (Structural Factors) भी उत्तरदायी रहे हैं।

अतः निष्कर्ष है कि जब तक उपरोक्त कमियों को दूर नहीं किया जाता तब तक नगरीय समस्याओं का समाधान करके आदर्श नगरीय समाज की स्थापना संभव नहीं है। इसके लिए कुछ सुझावों पर अमल किया जा सकता है। सर्वप्रथम नगरों के समानांतर ग्रामीण विकास को संभव बनाना, ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोका जाय क्योंकि यह भारत में आज अति नगरीकरण का सबसे प्रमुख कारण है।

✪✪✪✪✪

12

भारत में मलिन बस्तियाँ (Slums in India)

नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्ती एवं वंचन (Slums and Deprivation in Urban Areas)

गन्दी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहाँ निवास-स्थान अत्यधिक भीड़-भाड़ युक्त होते हैं, जिनकी बनावट त्रुटिपूर्ण होती है जहाँ रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव होता है या इनमें से कुछ कारकों जैसे-मल-जल निकास का अभाव, शुद्ध पेय जल का अभाव, अस्वास्थ्यकर वातावरण के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद होता है। गन्दी बस्ती की अवधारणा को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी निम्न विशेषताओं की चर्चा की जा सकती है:-

भारत में गंदी बस्ती की समस्या का स्वरूप (Nature of Slums Problem in India)

भारत में अतिनगरीकरण (Over-urbanization) एवं नगरीय गरीबी के कारण गंदी बस्तियों का विकास एक प्रमुख नगरीय समस्या रही है। नगरों में जीवनयापन के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी नगरों की ओर प्रवास करती है और यहाँ पर उनको आय इतनी अधिक नहीं हो पाती है कि वह सुरक्षित आवासों की व्यवस्था कर पाये और खाली पड़ी भूमि पर अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। इन बस्तियों में आवासीय सुविधाओं यथा हवा, प्रकाश, पेयजल, सफाई आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती है।

भारत के महानगरों में इन गंदी बस्तियों का संकेन्द्रण (Concentration) सर्वाधिक है। मुम्बई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती के रूप में जानी जाती है। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में इन बस्तियों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुम्बई में चाल, कानपुर में अहाता, मद्रास में चेरी, दिल्ली में झुग्गी आदि। नाम चाहे कुछ भी हो परंतु इन बस्तियों के संदर्भ में सर्वत्र एक समानता विद्यमान रहती है कि यह गंदी बस्तियाँ निम्न स्तरीय आवासीय क्षेत्र के रूप में दिखाई देती है और अनेक बुराइयाँ जैसे-मद्य व्यसन, मादक द्रव्य व्यसन, बाल अपराध, अशिक्षा, अज्ञानता, वेश्यावृत्ति आदि एवं सांस्कृतिक विघटन (Cultural Dissolution) का केन्द्र है।

भारत में नगरीय जनसंख्या का पांचवां भाग गन्दी बस्तियों में निवास करता है। 1981 में भारत की जनसंख्या 68.51 करोड़ थी जिसमें 21.81 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। 2011 में देश की जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गयी और नगरीय जनसंख्या (Urban Population) में वृद्धि के साथ-साथ गन्दी बस्तियों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है फलतः नगरों में भूमि की कीमत, इमारती सामान व श्रम की कीमतों में वृद्धि हुई। अतः नए मकानों का निर्माण काफी कठिन हो गया और कई मंजिले मकान बनाने पड़े जिनमें हवा, रोशनी, जल व बिजली का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाता है। उनमें स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है।

गन्दी बस्तियों के विकास के कारक (Causes of Development of Slums)

'द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स', नई दिल्ली के अनुसार गन्दी बस्ती प्रमुखतया तीन कारणों से बनती है:-

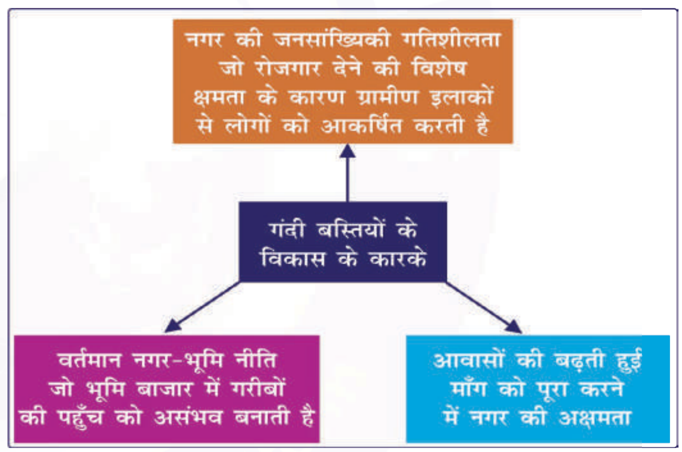

भारत के संदर्भ में सामान्य रूप से गन्दी बस्तियों के निर्माण एवं विकास के अनेक कारकों की चर्चा की जा सकती है, जैसे:–

1. भारत में औद्योगिकरण (Industrialization) एवं नगरीकरण ने गन्दी बस्तियों को जन्म दिया है। उद्योगों में काम करने के लिए गाँवों से आने वाले लोगों को निवास के लिए जब कम किराए पर अच्छे मकान उपलब्ध नहीं हो पाते तो वे गन्दे मकानों में रहने लगते हैं अथवा खाली पड़ी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर कच्चे- पक्के मकान अथवा झोपड़ियाँ बना लेते हैं।
2. भारतीय ग्रामों में उद्योगों एवं कृषि के पतन के कारण लोग व्यवसाय की तलाश में नगरों में आते हैं और नगरों में आने पर भी वे अपनी ग्रामीण निवास की आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और ऐसी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं।

3. भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जितनी तीव्र गति से हुई है, उतनी तीव्र गति से मकानों का निर्माण नहीं होने से लोगों के लिए आवास का अभाव पैदा हुआ है और लोग भीड़-भाड़ युक्त मकानों में अथवा एक ही मकान में कई परिवार मिलकर रहने लगते हैं।

4. भारत में जब कभी प्राकृतिक प्रकोप (Natural Disaster) होता है अर्थात् अकाल, अतिवृष्टि, भूकम्प एवं संक्रामक रोग आते हैं तो लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं और वहाँ जनाधिक्य (Over Population) के कारण गन्दी बस्तियाँ पनपने लगती है।

5. नगरों में मनोरंजन, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय, जल, बिजली, शिक्षा, व्यापारिक सुविधा, उन्नति के अवसर आदि की उपलब्धता के कारण लोग आकर्षित होकर वहां निवास के लिए आते हैं। उनके लिए आवास के अभाव के कारण नगरों में गन्दी बस्तियों का निर्माण एवं प्रसार हुआ है।

6. लम्बे समय तक गन्दी बस्तियों में रहने के कारण लोग इस प्रकार से रहने के आदी हो जाते हैं और एक प्रकार का जीवन दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं, वे उस बस्ती को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते। इस प्रकार एक गरीबी की संस्कृति का विकास होता है, जिससे उनको किसी अन्य स्थान पर बसाने पर भी वे उसी प्रकार से रहना प्रारम्भ कर देते हैं। भारत के संदर्भ में भी यह बात शत-प्रतिशत लागू होती है।

7. नगरों में श्रमिकों की अधिकता है जो अपने कारखाने एवं काम के स्थान के पास ही रहना चाहते हैं। फलस्वरूप वहां गन्दी बस्तियाँ बन जाती हैं।

8. जातीय भेदभाव (Caste Discrimination) के कारण भारतीय नगरों में भी जातिगत मुहल्ले पाए जाते हैं। एक जाति के लोग एक स्थान पर ही रहते हैं। फलतः निम्न जातियों की बस्तियां अपेक्षाकृत अधिक दयनीय स्थिति में स्वतः विकसित हो जाती है।

9. भारत में प्रान्तीयता, जातिवाद, भाषावाद एवं साम्प्रदायिकता की भावना के कारण भी एक ही धर्म, भाषा, संस्कृति व प्रान्त के लोग साथ-साथ रहना चाहते हैं। फलस्वरूप भीड़-भाड़युक्त गन्दी बस्तियों का निर्माण हुआ है।

10. भारत में देशान्तरगमन करने की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी गन्दी बस्तियों को जन्म दिया है करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों (Refugees) ने गन्दी-बस्तियों के विस्तार में योगदान दिया है।

11. भारत में गन्दी बस्तियों के निर्माण का प्रमुख कारण गरीबी है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे ऊंचे किराए के स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छे मकानों को किराए पर लेकर रह सकें। परिणामस्वरूप वे सस्ते किराए के मकानों में रहते हैं जो गन्दी बस्तियों में ही उपलब्ध होते हैं।

12. भारत में गन्दी बस्तियों के विकसित होने का एक कारण स्वयं सरकार द्वारा श्रमिकों एवं इन बस्तियों में सफाई, सुविधा आदि के प्रति उपेक्षा बरतना भी है।

गन्दी बस्तियों के दुष्परिणाम (Consequences of Slums)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में आवास एवं गन्दी बस्तियों की गम्भीर समस्या है जो अनेक आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक एवं पारिवारिक दोषों को जन्म देती है और राष्ट्रीय प्रगति को अवरूद्ध करती है, जैसेः-

1. आवास की दुर्व्यवस्था होने एवं गन्दी बस्तियों में रहने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव के लिए शुद्ध हवा, जल एवं रोशनी अति आवश्यक है। इनके अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती है और शरीर कमजोर हो जाता है।

2. गन्दे वातावरण में रहने के कारण सांस्कृतिक स्तर में गिरावट आती है और लोगों की मनोवृत्ति आपराधिक बन जाती है और उनका नैतिक पतन हो जाता है। उनमें चोरी, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी और जुआ खेलने जैसी आदतें जन्म लेती हैं। मकानों की उचित व्यवस्था के अभाव में लोग गाँवों से अपनी स्त्रियां साथ नहीं ला पाते हैं। अतः वे वेश्यागामी (Prostitute) हो जाते हैं। एक ही कमरे में जब परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और वयस्क व्यक्तियों के यौन व्यवहारों को बच्चे देखते हैं तो उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है यही कारण है कि भारत के गन्दी बस्तियों में यौन अपराध अधिक पाए जाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे इधर-उधर घूमते रहते हैं जिससे बाल अपराध एवं आवारागर्दी पनपती है।

3. श्रमिकों की कुशलता के लिए आवश्यक है कि उनका मकान ऐसी जगह हो जहाँ शुद्ध हवा व रोशनी आ सके ताकि वे अपनी थकावट दूर कर सकें एवं कार्य करने की क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकें। भारत में गंदी बस्तियों में स्वच्छ एवं पर्याप्त मकानों के अभाव में श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाती है।

4. गंदी बस्तियों में आवास की दुर्व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देती है। वह असामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है, शराब एवं मादक वस्तुओं का प्रयोग करने लगता है। जुआ खेलने, वेश्यागमन करने एवं अपराधी प्रवृतियों में लगे रहने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है।

5. व्यक्तित्व विघटन (Personality Dissolution) पारिवारिक विघटन को भी जन्म देता है। व्यक्ति का परिवार के प्रति लगाव समाप्त होने लगता है, फलतः परिवार में असामंजस्य बढ़ता है और व्यक्ति परिवार की उपेक्षा करने लगता है।

6. बिगड़ी हुई आवास-व्यवस्था से उत्पन्न वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन, सामाजिक एवं सामुदायिक विघटन (Community Dissolution) को भी जन्म देता है। व्यक्ति व परिवार की हानि से अन्ततः समाज व समुदाय को हानि होती है।
7. गन्दी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों की कार्यक्षमता कम होती है जिसका प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है और कम आय होने पर उच्च जीवनस्तर व्यतीत करना सम्भव नहीं हो पाता यहाँ तक कि लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी जुटाने में असमर्थ होते हैं। फलतः उनका झुकाव आपराधिक गतिविधियों की ओर होता है।

स्पष्ट है भारतीय नगरों में गन्दी बस्तियों के विकास ने कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न किया है फिर भी नगरों में इनका अस्तित्व रोजगार की तलाश में आने वाले गरीब प्रवासियों के लिए आशीर्वाद का रूप है। इसमें ही असहाय लोग जैसे-औद्योगिक श्रमिक, दिहाड़ी-मजदूर, फेरी वाले, छोटे दुकानदार, सब्जी बेचने वाले तथा वे अन्य तमाम लोग जो नगर की महत्वपूर्ण सेवाओं में लगे होते हैं, आश्रय पाते हैं।

गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु किये गये प्रयास (Efforts Made to Eradicate of Slums)

आवास एवं गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार, नगरपालिकाओं एवं बीमा विभाग द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। गंदी बस्ती के उन्मूलन और सुधार हेतु नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया जिसने नगरों में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण का कार्य एवं झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति सुधारने हेतु उपाय किये, साथ ही पोषाहार पूरक (Nutritional Supplement) कार्यक्रम द्वारा इस निम्न वर्ग के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास किए गये।

इन्दिरा गांधी द्वारा शुरु किये गये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी मलिन बस्तियों के सुधार के अनेक कार्यक्रम शामिल थे। सूत्र 14(4) के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Weaker Section) के लिए आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। सूत्र 14(5) के अन्तर्गत निम्न आय वर्गीय आवासों के निर्माण का प्रावधान किया गया और सूत्र 15 के अन्तर्गत गंदी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार के कार्यक्रमों को समाहित किया गया।

गंदी बस्तियों के संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) हेतु 1970 में आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) की स्थापना की गयी। हुड़को द्वारा गरीबों के लिए आवास निर्माण हेतु, गन्दी बस्तियों के नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु तथा पर्यावरण में सुधार एवं संरचना आधारित स्वच्छता के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारी एवं बीमादारों को भवन-निर्माण हेतु कम ब्याज पर धनराशि प्रदान की जाती है।

1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक गृह ऋण खाता योजना, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा आवास के लिए पुनर्वित्त योजना तथा हुड़को के माध्यम से भूमि विकास और वित्तीय कार्यक्रम चला रहा है। 1991 में भारत में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ थी यद्यपि कुछ योजनाओं द्वारा अब तक 50 लाख लोगों के लिए ही आवास की सुविधाएं जुटायी गयी हैं। विभिन्न योजनाओं के द्वारा पानी की सुविधाएं देने, नालियों की व्यवस्था करने, गलियों को सुधारने और शौचालय बनाने की व्यवस्था भी की गयी है।

2008 में दिल्ली सरकार द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के आवास की समस्या के समाधान हेतु राजीव रत्न आवास योजना के तहत ढेर सारे मकान आवंटित किये जा रहे हैं।

सरकार ने हाल ही में राजीव आवासीय योजना एवं स्लम मुक्त भारत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रारम्भ किया है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं; जैसे-

1. 74वें संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय नगरीय संस्थाओं का गठन किया गया और नगर निगम के द्वारा गंदी बस्तियों में संरचनात्मक सुविधा (Structural Facility) उपलब्ध कराना।
2. विदेशी सहायता प्राप्त कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम भी इस दिशा में क्रियाशील रहे हैं जैसे-
   (क) इंग्लैण्ड के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता प्राप्त गन्दी बस्ती सुधार परियोजना
   (ख) जर्मनी से सहायता प्राप्त गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम
3. इस दिशा में स्वयं सेवी संगठन द्वारा कई प्रयास किये गए हैं जैसे-
   (क) गन्दी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना।
   (ख) गंदी बस्ती में हो रहे सांस्कृतिक अपघटन (Cultural Decomposition) रोकना।
   (ग) इनकी महिलाओं में स्वरोजगार हेतु अभिप्रेरण व सहायता प्रदान करना।

मूल्यांकन एवं सुझाव (Evaluation and Suggestions)

भारत में गन्दी बस्तियों की समस्या एवं इनके उन्मूलन के प्रयासों से स्पष्ट है कि गन्दी बस्तियाँ नगरीकरण से संबंधित एक प्रमुख समस्या है जो मुख्यतः अतिनगरीकरण एवं नगरीय गरीबी का परिणाम रही है। इस समस्या के समाधान में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनेक प्रयास किये जाते रहे हैं। इन प्रयासों से गन्दी बस्ती की समस्या के समाधान की दिशा में निश्चित रूप से कई सफलताएं दर्ज की गई है और आज भारत के लगभग सभी महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उनके आवास

व अवसंरचनात्मक (Infrastructural) सुविधाओं का स्तर ऊंचा हुआ है और इनके घरों में टी.वी., कूलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे विलासितापूर्ण उपकरणों को सहजता से देखा जा सकता है। इन गंदी बस्तियों में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो मोटर साइकिल से चलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन यापन करते हैं। नगर निगम एवं विभिन्न योजनाओं के तहत इन बस्तियों में पीने का पानी, चलायमान शौचालय की व्यवस्था, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु दवा का छिड़काव, इनके बच्चों को शिक्षा देने हेतु कई कार्यक्रमों के तहत किये जा रहे प्रयास, इनके क्षेत्र में संबंधित समस्याओं के समाधान में आज व्यापक रूप से क्रियाशील है।

परंतु यह यथार्थ का केवल एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष यह है कि आज भी हम नगरीय दृश्यपटल से गन्दी बस्तियों के उन्मूलन में पूरी तरह सफल नहीं हो पाये हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद इनकी संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। सड़क, रेल लाइन की इर्द-गिर्द गन्दी बस्तियों का विकास नगरों की एक सामान्य समस्या बनी हुई है और भारत के आज लगभग सभी बड़े नगरों में ये गन्दी बस्तियां धब्बे की तरह आज भी विद्यमान है।

गन्दी बस्ती उन्मूलन की दिशा में किये गये तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी इसकी निरंतरता के लिए कई कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; जैसे-

1. नगरीय गरीबी (Urban Poverty) आज भी भारतीय नगरों का प्रमुख पक्ष है जो गंदी बस्ती उन्मूलन के प्रयास के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में चट्टान की तरह है।
2. नगरीय जनसंख्या मुख्यत: गन्दी बस्तियों की संख्या में प्राकृतिक रूप से होने वाली वृद्धि और नगरीय प्रवास (Urban Migration) के कारण होने वाली तीव्र वृद्धि आज भी जारी है। फलत: सरकार द्वारा किये गये प्रयास कम पड़ जाते हैं और पहले से विद्यमान नगरीय आधारभूत संरचना पर निरंतर भार बढ़ता जा रहा है जिसकी परिणति गन्दी बस्तियों के विकास के रूप में सामने आ रही है।
3. नगरीय आवासों पर भार बढ़ने से एक तरफ किराये की दर में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ श्रमिकों के ग्रामीण नगरीय प्रवास में वृद्धि से नगरों में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ाकर उनकी मजदूरी को न्यूनतम कर दिया है। फलत: वे मकान किराया वहन ना कर पाने के कारण गन्दी बस्ती की ओर उन्मुख हो जाते हैं।
4. इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का एक प्रमुख कारण गन्दी बस्तियों से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव एवं सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है जिन्होंने सरकारी प्रयासों को लक्षित समूह तक पहुँचने में बाधक के रूप में काम किया है और स्वयं उसका एक बहुत बढ़ा हिस्सा गटक गया है।

   गरीबी की संस्कृति (Culture of Poverty) आज भी बस्तियों के अनियंत्रित विस्तार का एक प्रमुख कारण है क्योंकि ये गन्दी बस्ती में रहने में सहज महसूस करते हैं और सरकार द्वारा आवंटित स्तरीय आवास को किराये पर लगाकर पुन: गन्दी बस्ती में रहने चले जाते हैं।
5. ठेकेदारों, बाहुबलियों द्वारा गन्दी बस्ती को व्यवसाय के रूप में चलाना इसकी निरंतरता का प्रमुख कारण है क्योंकि ठेकेदार या ताकतवर लोग सरकारी जमीनों पर मौका मिलते ही गन्दी बस्ती विकसित कर देते हैं और उन्हें किराये पर लगाकर व्यवसाय के रूप में चलाते हैं।

अत: निष्कर्ष है कि भारतीय नगरों की प्रमुख समस्या के रूप में गन्दी बस्तियों का उन्मूलन तब तक संभव नहीं है जब तक इनकी निरंतरता को बनाये रखने वाले उपरोक्त कारकों के सन्दर्भ में इसके उन्मूलन का प्रयास न किया जाय और इसके लिए निम्न सुझावों पर विचार आवश्यक है।

गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु सुझाव (Suggestions for Eradication of Slums)

1. ग्रामीण विकास को तीव्र करके ग्रामीण-शहरी प्रवास को रोका जाये क्योंकि गन्दी बस्ती के विकास का प्रमुख कारण ग्रामीण मजदूरों को शहरों की ओर प्रवास रहा है। इस दिशा में PURA जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को दृढ़ता से लागू किया जाना एक बेहतर प्रयास हो सकता है।
2. प्राकृतिक जनसंख्या (Natural Population) वृद्धि को नियंत्रित किया जाए क्योंकि यह अन्य समस्याओं के साथ-साथ गन्दी बस्तियों के विकास में सहयोग देती है।
3. गरीबी का तीव्र उन्मूलन किया जाए और इसके लिए गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों को ईमानदारीपूर्वक लागू करवाना इस दिशा में बेहतर होगा।
4. नगरों में आवास की समस्या का समाधान किया जाए इस हेतु–
   (क) गन्दी बस्ती वालों में स्वयं बेहतर आवास निर्माण हेतु प्रेरणा विकसित की जाए।
   (ख) इनको आवास निर्माण हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाय।
   (ग) ऋण उपलब्धता कराने वाले एजेन्सियों को सरल एवं दुरुस्त किया जाए।
   (घ) इन सभी कार्यों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया जाए।
5. जो गन्दी बस्तियां विद्यमान हैं उनका नवीनीकरण किया जाए और इनमें पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं जैसे जल निकास, शौचालय,

पेयजल, दवाओं के छिड़काव आदि की व्यवस्था की जाए।

6. इनमें रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन एवं प्रस्थिति (Status) में सुधार हेतु प्रेरित किया जाए ताकि वे गरीबी की संस्कृति से बाहर निकल सकें।
7. उनको रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जायें इस हेतु उन्हें स्वरोगजार हेतु प्रेरित किया जाए एवं सहायता करना, उनमें शिक्षा का प्रसार करना आदि कार्यों में स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और युवाओं की भागीदारी में वृद्धि की जाए।
8. उन ठेकेदारों एवं बाहुबलियों को जो गन्दी बस्तियों को व्यवसाय के रूप में चलाते हैं, हतोत्साहित (Discouraged) किया जाय, इनकी गन्दी बस्तियों को जब्त किया जाए।
9. नगरों में किराये की दर में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया जाए और इसको प्रति व्यक्ति होने वाली आय में वृद्धि के साथ समायोजित (Adjust) किया जाय।

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम - NSDP

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) की शुरूआत एवं उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कानपुर (उत्तर प्रदेश) में अगस्त 1996 में की थी। राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेशों को शहरी स्लम क्षेत्रों का विकास करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी की जा रही थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलापूर्ति, बरसाती जल निकासी, समुदाय स्नान घर, मौजूदा लाइनों को चौड़ा करने एवं नई लाइनें बिछाने, सीवरेज, सामुदायिक शौचालयों एवं सड़क पर बिजली की व्यवस्था इत्यादि जैसी भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए शहरी स्लम बस्तियों का सुधार करना था। इसके अलावा एनएसडीपी के तहत फंड राशियों को पूर्व स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसूति, बाल स्वास्थ्य जिसमें जरूरी दवाओं को पिलाना शामिल है इत्यादि जैसी सामाजिक सुविधाओं एवं सामुदायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पर खर्च किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में आश्रय उन्नयन तथा नए मकानों का निर्माण भी एक हिस्से के रूप में था।

इस कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश की स्लम आबादी के आधार पर योजना आयोग ने वार्षिक रूप से फंड राशि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किया था। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को फंड की राशि जारी की थी और गृह मंत्रालय ने संघ शासित प्रदेशों को फंड जारी किए थे। राज्य सरकारों ने क्रियान्वयक एजेंसियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप फंड की राशि आगे जारी की थी। राज्यों में इस कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने के लिए शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया था।

मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन (Slum Free India's Mission)

राजीव आवास योजना (RAY) के साथ मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन (Slum Free India's Mission) को प्रायोजित (Sponsored) करने की केन्द्र सरकार की योजना है। इसकी शुरूआत के बाद 2013-2022 की अवधि के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन चरण को मिशन मोड के तहत चलाया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य सभी मलिन बस्तियों को औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत लाना है और लोगों को वैसी सभी मूलभूत सुविधाएँ (Basic Facilities) प्रदान करना है, जो उस शहर के अन्य लोगों को प्राप्त है। इस मिशन के तहत शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास समूह की योजना तैयार करने के अलावा उनकी सुविधाओं के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव कर औपचारिक प्रणाली की असफलताओं को दूर किया जाएगा।

मिशन के क्रियान्वयन चरण के दौरान RAY के तहत देश के सभी नगरों, शहरों एवं शहरी जमाव को शामिल किया जाएगा। शहर के विकास, शहर में झुग्गियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक जनसंख्या के अलावा समाज के अन्य कमजोर एवं पिछड़े वर्गों (Weaker and Backward Classes) की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों, धार्मिक नगरों, धरोहर एवं पर्यटक स्थलों का चयन राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। इस मिशन के तहत पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों, शहरों एवं शहरी जमाव वाले क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, पाँच लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परियोजना लागत का 75 प्रतिशत एवं विशेष दर्जे वाले राज्यों में परियोजना लागत का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन के लिए राजीव आवास योजना में आवश्यक सुधार निर्धारित समय में किए जाएंगे। सुधारों के आधार पर ही केन्द्रीय सहायता निर्भर करेगी। इस हेतु किए जाने वाले सुधार निम्न हैं:-

1. मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दीर्घकाल के लिए गिरवी योग्य, नवीकरणीय (Renewable) योग्य पट्टा अधिकार प्रदान करना।
2. फ्लोर स्पेस इंडेक्स का 15 प्रतिशत या रहने योग्य इकाइयों का 35 प्रतिशत आरक्षित रखना, इनमें से जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Weaker Section) के लिए अधिक हो।
3. शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निगम बजट का 25 प्रतिशत आरक्षित रखना।
4. मलिन बस्तियों में रहने वाली एवं शहरी गरीबों की समस्याओं के निराकरण के लिए निगम संवर्ग (Corporate Cadre) की स्थापना।

(i) 'सम्पूर्ण शहर' आधार पर मलिन बस्ती मुक्त शहर कार्य योजना (SFCPOAS) तैयार करना। इस योजना के तहत चयनित शहरों को अपनी योजना तैयार करने में मदद दी जाएगी। इसमें अनुमानित निवेश लागत तथा प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा मलिन बस्तियों में सुधार व विकास के अलावा अगले 10–15 वर्षों के लिए शहरी गरीबों हेतु आधारभूत नागरिक अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना शामिल है।

(ii) 'संपूर्ण मलिन बस्ती' आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना। इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर मलिन बस्तियों के लिए शहरों द्वारा आवासीय विशेष परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद एकीकृत 'संपूर्ण मलिन बस्ती' दृष्टिकोण के तहत चयनित मलिन बस्तियों में आवास, आधारभूत नागरिक संरचना (Basic Civic Structure) एवं सामाजिक सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

जनगणना 2011 : मलिन बस्तियों पर रिपोर्ट (Census 2011 : Report on Slums)

1. 21 मार्च, 2013 को आवास सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना, 2011 के आँकड़ों पर आधारित 'मलिन बस्तियों में आवासीय स्टॉक, सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर रिपोर्ट' (Report on Housing Stock, Amenities and Assets in Slums) जारी की गयी।
2. जनगणना 2011 की इस रिपोर्ट के अनुसार देश के आवास सूचीकरण ब्लॉकों में कुल 1.73 करोड़ घर मलिन बस्ती घरों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं जिनमें 1.37 करोड़ परिवार रहते है।
3. देश के 19 मिलियन प्लस (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) शहर ऐसे हैं जहाँ 25 प्रतिशत से अधिक परिवार मलिन बस्तियों में निवासित हैं।
   - इनमें से 71 प्रतिशत 6 राज्यों, यथा–महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में निवासित हैं।
   - इन 19 शहरों में से 5 शहरों, यथा–मुंबई, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, जबलपुर एवं मेरठ में 40% से अधिक मलिन बस्ती परिवार हैं।
4. मलिन बस्तियों में पीने के पानी के रूप में 74 प्रतिशत परिवारों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत नल है जबकि इसके बाद हैंडपंप/ट्यूबवेल (20.3 प्रतिशत) का स्थान है।
5. मलिन बस्तियों के 56.7 प्रतिशत परिवारों को पेयजल का स्रोत उनके आवासीय परिसर में तथा 31.9 प्रतिशत परिवारों को यह घर से 100 मीटर के भीतर उपलब्ध है जबकि 11.4 प्रतिशत परिवारों को 100 मीटर से अधिक दूर से पेयजल लाना पड़ता है।
6. 90 प्रतिशत से अधिक मलिन बस्ती परिवार प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं।
7. मलिन बस्ती परिवारों में से 66 प्रतिशत को अपने आवासीय परिसर के भीतर शौचालय सुविधा उपलब्ध है।
   - 18.9 प्रतिशत मलिन बस्ती परिवार खुले में शौच करते हैं जबकि 15.1 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं।
8. मलिन बस्ती क्षेत्रों में 53.2 प्रतिशत परिवार बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त करते हैं तथा 70 प्रतिशत परिवारों के घरों में टेलीविजन एवं 18.7 प्रतिशत परिवारों के पास रेडियों सुविधा है।
9. मलिन बस्तियों में केवल 10.4 प्रतिशत परिवारों के घरों में कंप्यूटर/लैपटॉप उपलब्ध हैं जिनमें से मात्र 3.3 प्रतिशत के पास इंटरनेट कनेक्शन है।

✪✪✪✪✪

13

नगरीय विकास : एक विस्तृत विवेचन (Urban Development : A Detailed Analysis)

शहरी विकास (Urban Development)

नगरीकरण (Urbanization) आर्थिक विकास तथा प्रगति का एक प्रमुख घटक है। भारत में नगरीकरण को टाला नहीं जा सकता है। अगले कुछ दशकों में 50 प्रतिशत आबादी शहरों में रहने लगेगी। अभी शहरों में लगभग 31.2 प्रतिशत आबादी रह रही है। हाल के दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिली है। बड़े शहरों में ज्यादा लोग आ रहे हैं तथा विभिन्न राज्यों और शहरों में शहरीकरण के तरीकों में भिन्नताएं हैं।

शहर अर्थव्यवस्था (Urban Economy) में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और बदले में उन्हें बेहतर बुनियादी ढाँचा तथा सार्वजनिक सेवाएँ मिलती हैं। शहरों की उभरती आर्थिक महत्ता स्पष्ट है क्योंकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उनका 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। शहरों की राजनीतिक महत्ता देखते हुए सामाजिक, आर्थिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से बुनियादी ढाँचे तथा सेवाओं के प्रावधान की अति आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में 74वें संशोधन (1992) के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय व प्रभावशाली भागीदारी बनाने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से नगर निकायों (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायतों) में शहरी लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि अब शहरों, नगरों, मोहल्लों की भलाई, उनके हित व विकास संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार के हाथ में नहीं है। 74वें संविधान संशोधन ने आम जन समुदाय की भागीदारी को स्थानीय स्वशासन में सुनिश्चित किया है। नगरीय निकायों को मिले अधिकारों व दायित्वों में महत्वपूर्ण बात यह है कि योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का दायित्व नगरीय निकायों को होगा, यहाँ तक कि केन्द्र व राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन भी नगर निकायों के माध्यम से किया जायेगा।

अतः नगरों की उचित व्यवस्था एवं नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सात बड़े शहरों के सैटेलाइट टाउन में शहरी अवस्थापन हेतु योजना (Plan for Urban Settlement in Satellite Town of Seven Big Cities)

शहरी विकास मंत्रालय ने सात बड़े शहरों में शहरी अवस्थापना के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

1. सात बड़े शहरों में सैटेलाइट टाउन/ काउंटर मैग्नेट टाउनों में शहरी अवस्थापना सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, सीवरेज, जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि का विकास करना एवं उनके भावी विकास को सुनिश्चित करना ताकि बड़े शहरों पर दबाव कम किया जा सके।
2. सुधारों जैसे ई-गवर्नेंस, संपत्ति कर, दोहरी लेखा प्रविष्टि, (Double Accounting Entry) बाधामुक्त वातावरण का निर्माण, राष्ट्रीय भवन कोड के अनुपालन में संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों (Structural Safety Criteria), जल एवं ऊर्जा, अपशिष्ट जल का उपयोग और सेवा स्तर यानी बैंचमार्कों का कार्यान्वयन करना।
3. सुधारों के कार्यान्वयन का सुदृढ़ीकरण जैसे उचित उपभोक्ता प्रभार का अधिभार, आधारभूत सुविधाओं हेतु बजट का निर्धारण एवं शहरी गरीबों के लिए आवासी स्थल का कम से कम 10-15 प्रतिशत आपदा प्रबंधन (Disaster Management) हेतु प्रावधानों को शामिल करने के लिए-उपनियम तैयार करना, जल पुनर्भरण, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग एवं सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

उपरोक्त योजना सैटेलाइट टाउन का शहरी सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। प्रथम चरण में सात महानगर शामिल होने हैं। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सहायता एवं योजना के अंतर्गत चिह्नित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता का प्रावधान है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) (National Rural Health Mission)

1. 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM-National Rural Health Mission) प्रारम्भ किया गया था।

   इसकी मूल अवधि 2012 तक थी जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए बढ़ा दिया गया।
2. देश के शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM - National Urban Health Mission) तैयार किया गया, जिसे 11वीं योजनावधि के दौरान ही प्रारम्भ किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं हो सका था।
3. 15 अगस्त, 2012 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM - National Health Mission)

स्थापित किए जाने की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत NRHM और NUHM दोनों उप-मिशनों के रूप में शामिल होने थे।

4. 1 मई, 2013 को मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नए उप-मिशन के रूप में 12वीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रारम्भ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
5. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं:-

- प्रत्येक 50 से 60 हजार जनसंख्या पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (U-PHC)।
- बड़े शहरों में 5 से 6 U-PHCs पर एक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (U-CHC)।
- प्रत्येक 10,000 जनसंख्या के लिए एक प्रसूति सहायिका (ANM - Auxiliary Nursing Midwifery)।
- प्रत्येक 200 से 500 परिवारों के लिए एक 'आशा' (ASHA - Accredited Social Health Activist, Community Link Worker)।

6. 5 वर्षों की अवधि के लिए NUHM की कुल अनुमानित लागत 22,507 करोड़ रुपये हैं जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 16,955 करोड़ रुपये हैं।

इस योजना के लिए केन्द्र और राज्यों का वित्तीय भागीदारी पैटर्न उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 90:10 तथा शेष राज्यों के लिए 75:25 अनुपात में है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) (Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana)

स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के प्रोत्साहन अथवा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था की मार्फत शहरी बेरोजगारों (Urban Unemployed) व अल्प-बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार दिलाने के उद्देश्य से 01/12/1997 को भारत सरकार ने स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना नामक एक नवीन शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस योजना में गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ (UBSP), नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) तथा प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) नामक पिछली तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को मिला लिया गया था।

शहरी गरीबों के हालातों में सुधार हेतु योजना का मूल्यांकन करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 2006 में (एसजेएसआरवाई) का सतत रूप से मूल्यांकन किया गया था। राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य सहयोगियों से प्राप्त फीडबैक तथा क्रियान्वयन के निष्कर्षों की अद्यतन रिपोर्टों के आधार पर एसजेएसआरवाई योजना के मार्ग-निर्देशों में वर्ष 2009-10 से संशोधन किया गया है।

नई संशोधित एसजेएसआरवाई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

1. शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प बेरोजगार गरीबों को उनकी निरन्तर सहायता करने के साथ अथवा मजदूरी रोजगार शुरू करने के द्वारा उन्हें स्व-रोजगार उद्यमों (व्यक्तिगत अथवा समूह) की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करते हुए लाभदायक रोजगार प्रदान करने के द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन (Poverty Eradication) पर कार्रवाई करना।
2. क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहयोग करना ताकि शहरी गरीब, बाजार द्वारा खोले गए रोजगार के अवसरों तक पहुँच बनाने अथवा स्व-रोजगार खोलने में समर्थ हो सकें।
3. आस-पड़ोस समूहों (एनएचजी), आस-पड़ोस की समितियों (एनएचसी), आदि जैसी समुचित स्व-व्यवस्थित सामुदायिक पद्धतियों के माध्यम से शहरी गरीबी के मुद्दों को हल करने के लिए समुदाय को सशक्त बनाना।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) (National Urban Livelihoods Mission)

1. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' (SJSRY-1 दिसम्बर, 1997 में प्रारम्भ) को प्रतिस्थापित करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM - National Urban Livelihoods Mission) प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है।

   NULM शहरी गरीबी से संबंधित प्राथमिक मुद्दों यथा-कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास (Entrepreneurship Development) तथा शहरी गरीबों को मजदूरी रोजगार एवं स्व-रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
2. NULM के तहत दो नई योजनाएँ शहरी स्ट्रीट वेंडरों के समर्थन हेतु योजना एवं शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करने की योजना भी शामिल करने का प्रस्ताव है।
3. NULM दो चरणों में कार्यान्वित होगा-प्रथम चरण (2013-17) तथा द्वितीय चरण (2017-22)।

शहरी आवास (Urban Housing)

आवास राज्य सूची का विषय है, लेकिन सामाजिक आवास योजनाएँ और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाओं से संबंधित नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने और उससे संबंधित कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। इस संबंध में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति और कार्यक्रम तैयार करने, विभिन्न योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, आवास, भवन सामग्री और तकनीक संबंधी आंकड़ों

को एकत्र करने और उनका प्रसार और भवन निर्माण की कीमतों को कम करने के लिए अपनाए गए आम उपायों और तरीकों को तैयार करने वाली सर्वोच्च संस्था है।

भारतीय संविधान के संघीय ढाँचे के अंतर्गत, आवास एवं शहरी विकास से संबंधित कार्य राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संविधान के 74वें संशोधन में इन कार्यों को स्थानीय शहरी निकायों को सौंपा गया है। हालांकि यह अनिवार्य रूप से राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों की सहायता एवं निगरानी करने के साथ-साथ समन्वय स्थापित करती है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस / एलआईजी आवास (EWS / LIG Housing in Urban Areas)

सरकार शहरी नवीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम और शहरों और कस्बों में आवासों में व्यापक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। सबके लिए आवास में शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास जैसी मदें है। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय वर्गों के लिए आवास की समस्याओं से निपटने के लिए शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी आवासीय मदों को शामिल किया गया है।

शहरी आवासों की कमी 2012-17 पर रिपोर्ट (Report on Urban Housing Short - 2012-17)

1. केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. अमिताभ कुंडू (Dr. Amitabh Kundu) की अध्यक्षता में 12वीं योजनावधि (2012-17) के दौरान शहरी क्षेत्रों में आवासों की कमी के आकलन हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था।
2. कुंडू समिति ने अपनी रिपोर्ट में आवास क्षेत्र (Housing Sector) को अवसंरचना क्षेत्र का भाग बनाने अथवा उद्योग की श्रेणी में इसे रखने की अनुशंसा की है।
3. कुंडू समिति द्वारा प्रस्तुत शहरी आवासों की कमी (2012-17) पर रिपोर्ट के अनुसार 12वीं योजना के प्रारम्भ में (मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार) देश में कुल 18.78 मिलियन आवासों की कमी थी।

   11वीं योजना के प्रारम्भ में यह कमी 24.71 मिलियन की थी।
4. इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में आवासों की सर्वाधिक कमी वाले राज्य क्रमशः हैं:- उत्तर प्रदेश > महाराष्ट्र > प. बंगाल > आंध्र प्रदेश > तमिलनाडु > बिहार > राजस्थान।

   इस सात राज्यों में ही देश में शहरी आवासों की कुल कमी का लगभग 60 प्रतिशत भाग है।
5. आर्थिक श्रेणियों के सन्दर्भ में सर्वाधिक कमी ई.डब्ल्यू.एस. (Economically Weaker Sections) श्रेणी के मकानों की थी (10.55 मिलियन; कुल कमी का 56.2 प्रतिशत भाग)।

   आवासों की कुल कमी में एल.आई.जी. (Lower Income Group) श्रेणी में मकानों की कमी 39.5 प्रतिशत (7.41 मिलियन) तथा एम.आई.जी. या उच्च श्रेणी में यह कमी 4.3 प्रतिशत (0.82 मिलियन थी)।

शहरी परिवहन (Urban Transport)

शहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण शहरों के आकार में भी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण यात्रा की मांग बढ़ी है। सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान न देने के कारण व्यक्तिगत गाड़ियों के प्रयोग ने जाम, वायु प्रदूषण, दुर्घटनाओं की अधिक संख्या के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि की है। शहरी क्षेत्रों में आवागमन के सुधार से आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन (Public Transportation), पैदल चलने तथा अन्य गैर मशीनीकृत साधनों की महत्ता में उल्लेखनीय सुधार की जरूरत है। आवागमन में इस प्रकार के सुधार का शहरी गरीबों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे रोजगार के अवसरों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच सरल हो जाती है। शहरी नियोजन (Urban Planning) के लिए यह बहुत जरूरी है कि परिवहन के साधनों तथा यातायात संचालन के लिए समुचित नीति बनाई जाए। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार की है। नीति का मुख्य जोर 'लोगों को चलाओ, गाड़ियों को नहीं' पर है। यह नीति समन्वित भूमि प्रयोग तथा परिवहन नियोजन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार, गैर मशीनीकृत परिवहन के तरीकों को प्रोत्साहन तथा पर्याप्त पार्किंग स्थल और शहरी परिवहन नियोजन में क्षमता निर्माण के लिए उपायों के समग्र सेट पर जोर देती है। इस समय दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद तथा कोलकाता (पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरीडोर) लखनऊ जयपुर में मुख्य मेट्रो रेल परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। अन्य शहरों में भी मेट्रो परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

शहरी आधारतंत्र के विकास में संलग्न संस्थाएँ (Institutions Involved in Urban Infrastructure Development)

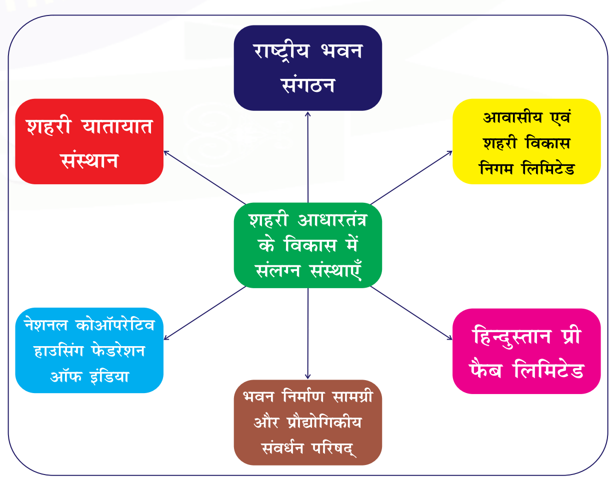

1. ***राष्ट्रीय भवन संगठन (National Building Organization):–*** आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है जो आवास एवं भवन निर्माण गतिविधियों से सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचना के एकत्रीकरण, तालिकाकरण एवं प्रसार के लिए देश में शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय भवन संगठन को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने JNNURM के अन्तर्गत शहरी गरीबी को बुनियादी सेवायें (BSUP) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन, स्वीकृति, निगरानी एवं समीक्षा के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया है।
2. ***आवासीय एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड:–*** HUDCO, 1970 में अपनी स्थापना के प्रारम्भ से ही आवासीय और शहरी विकास के तकनीकी वित्तीय क्षेत्र में सतत कार्यरत है और इसका आदर्श वाक्य 'सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता' है।
3. ***हिन्दुस्तान प्री फैब लिमिटेड (Hindustan Pree Feb Limited):-*** 1948 से पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गयी थी। हिन्दुस्तान प्री फैब लिमिटेड की स्थापना का उद्देश्य भारत में फ्री फैब तकनीक को प्रोत्साहित करते हुए बेहतरीन गुणवत्ता वाली आवासीय परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना था।
4. ***भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकीय संवर्धन परिषद् (Building Materials and Technological Upgrading Council):–*** भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकीय संवर्धन परिषद् आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत संस्था है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह विगत 18 वर्षों से ऊर्जा सक्षम पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों में संलग्न है। अपनी स्थापना के बाद से यह परिषद् प्रभावी लागत, सक्षम-ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल (Environmental Adaptation) तथा आपदा प्रतिरोधी भवन-निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करती रही है।
5. ***नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (National Co-operative Housing Federation of India):-*** इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सहकारिता (Co-operation) आवास को बढ़ावा देना है।
6. ***शहरी यातायात संस्थान (Urban Transport Institute):-*** इस संस्थान की स्थापना शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1997 में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में की गयी। इसका उद्देश्य यातायात सम्बन्धी आधुनिकतम तकनीक को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने तथा समन्वय करने के साथ-साथ योजना, विकास, प्रचालन, शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रबंधन आदि भी है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (National Urban Transport Policy)

तीव्र आर्थिक समृद्धि के साथ शहरी क्षेत्रों में परिवहन-व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति को लागू किया गया। इस नीति के तहत शहरों को अधिक व्यवस्थित बनाने की रणनीति को आगे बढ़ाया गया है जिससे हमारे शहर अधिक जीवन्त तथा विश्वस्तरीय हो सकें। सामाजिक तथा आर्थिक सुव्यवस्था के लिए शहरीकरण की अवसंरचना (Infrastructure) का विकास योजनाबद्ध किया जाना महत्वपूर्ण है। इस नीति के उद्देश्य निम्न हैं:-

1. सुरक्षित, आरामदायक, तीव्र तथा सतत विकास की ओर शहरों को ले जाना।
2. रोजगार, शिक्षा तथा सुविधाओं में वृद्धि करना।
3. वाणिज्य-व्यापार के लिए बाजारों की सुविधा का विस्तार।
4. इन्टेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अन्तर्गत मेट्रो, मोनो रेल, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गति प्रदान करना।

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (Rashtriy Shari Swachhata Niti)

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति को भारत सरकार ने 3 अक्टूबर, 2008 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य भारत में शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देना है। सभी भारतीय शहर पूर्णतः स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य हों तथा नागरिकों को जनस्वास्थ्य सुविधाएँ (Public Health Facilities) प्रदान करने के लिए स्वच्छता सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शहरों को जागरूक, स्वस्थ तथा रहने योग्य बनाने के लिए इस नीति में कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को शामिल किया गया है। ये हैं:–

1. जागरूकता का सृजन तथा व्यवहार में बदलाव।
2. खुले शौच रहित शहर के लक्ष्य को हासिल करना।
3. एकीकृत शहरव्यापी स्वच्छता व्यवस्था।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana)

लॉन्च (Launch):

इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती 'इंदिरा आवास योजना' (IAY) को 01 अप्रैल, 2016 से 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

उद्देश्य (Objective):

1. मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं (Basic Facilities) के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।

2. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।

लाभार्थी (Beneficiary):

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक।

लाभार्थियों का चयन (Selection of Beneficiaries):

तीन चरणों के सत्यापन के माध्यम से- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और भू-टैगिंग।

लागत साझा करना (Cost Sharing):

यूनिट सहायता की लागत मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।

विशेषताएँ:

1. स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) तक बढ़ा दिया गया है।
2. मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दिया गया है।
3. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये सहायता का लाभ उठाया जाएगा।
4. पाइप से पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन जैसे विभिन्न सरकारी सुविधाओं के अभिसरण का भी प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojan-Urban)

- 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है।
- ***कार्यान्वयन:*** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

विशेषताएँ:

1. यह शहरी गरीबों (झुग्गीवासी सहित) के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्के घर सुनिश्चित करता है।
2. इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है (जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र (Notified Planning), विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा गया है)।
3. PMAY(U) के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
4. यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देती है।
5. विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।

चार कार्यक्षेत्रों में विभाजित:

1. निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले मौजूदा झुग्गीवासियों का इन-सीटू (उसी स्थान पर) पुनर्वास किया जाएगा।
2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
3. साझेदारी में किफायती आवास।
4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण/मरम्मत के लिये सब्सिडी।

स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission)

25 जून 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ एक शहरी विकास कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शहरों को स्मार्ट बनाना है।

स्मार्ट सिटीज का अर्थ (Meaning of Smart City)

1. स्मार्ट सिटीज अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं एवं जीवन को बेहतर बनाने के सर्वाधिक व्यापक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
2. वे अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों डिजिटल एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं नीति परिवर्तन का उपयोग करते हैं।
3. स्मार्ट सिटीज मिशन के दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य आधारिक संरचना प्रदान करते हैं एवं अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन, एक स्वच्छ एवं सतत वातावरण तथा 'स्मार्ट' समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं।
4. सतत एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं विचार सुसम्बद्ध (कॉम्पैक्ट) क्षेत्रों को देखने, एक प्रतिकृति मॉडल बनाने का है जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करेगा।

स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना एवं स्थानीय क्षेत्र के विकास को सक्षम करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) में सुधार करना तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, विशेष रूप से वह प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों की ओर ले जाती है।

स्मार्ट सिटीज मिशन: आधारिक संरचनागत तत्व

(Smart Cities Mission : Basic Structural Elements)

1. पर्याप्त जल आपूर्ति,
2. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति,
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता,
4. कुशल शहरी गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन,
5. किफायती आवास, विशेष रूप से निर्धन वर्गों हेतु,
6. मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अनुयोजकता एवं डिजिटलाइजेशन,
7. सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस एवं नागरिक भागीदारी,
8. सतत पर्यावरण (Sustainable Environment),
9. नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की निरापदता एवं सुरक्षा, तथा
10. स्वास्थ्य एवं शिक्षा।

आच्छादन एवं अवधि (Coverage and Duration)

1. मिशन 100 शहरों को आच्छादित करेगा एवं इसकी अवधि पाँच वर्ष (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) होगी।
2. प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में कितने स्मार्ट शहर हैं?
3. एक समान मानदंड के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य कुल 100 स्मार्ट शहरों का वितरण किया गया है।
4. सूत्र राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की शहरी आबादी एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक कस्बों (Statutory Towns) की संख्या को समान महत्व (50 : 50) प्रदान करता है।
5. इस फॉर्मूले के आधार पर, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में निश्चित संख्या में संभावित स्मार्ट शहर होंगे, जिनमें प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम एक स्मार्ट शहर होगा।
6. अमृत योजना के लिए समान सूत्र का प्रयोग किया गया है।

स्मार्ट शहरों का वित्तपोषण (Financing of Smart Cities)

1. स्मार्ट सिटी मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जाएगा एवं केंद्र सरकार ने मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, अर्थात प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
2. राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक समान राशि (मिलान के आधार पर) का योगदान करना होगा; अतः, स्मार्ट शहरों के विकास के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी/ शहरी स्थानीय निकाय निधि उपलब्ध होगी।

मिशन स्मार्ट सिटी की प्रमुख चुनौतियाँ

(Major Challenges of Smart City)

1. राज्य और शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी के विकास में महत्त्वपूर्ण सहायक भूमिका निभानी होगी।
2. इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टि एवं निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता मिशन की सफलता का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण कारक होगा।
3. नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन करने वालों एवं अन्य हितधारकों (Stakeholders) द्वारा विभिन्न स्तरों पर रेट्रोफिटिंग की अवधारणाओं को समझना, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास हेतु क्षमता सहायता की जरूरत होगी।
4. पूर्व योजना बनाने के दौर में ही समय और संसाधनों में प्रमुख निवेश करना होगा।
5. स्मार्ट सिटी मिशन को सक्रिय रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।
6. नागरिक भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी (Formal Participation) की तुलना में काफी अधिक है। स्मार्ट लोगों की भागीदारी को सूचना तकनीक के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से मोबाइल आधारित उपकरणों के माध्यम से एसपीवी द्वारा सक्रिय किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी और नया शहरी एजेंडा

(Smart City and New Urban Agenda)

1. 'स्मार्ट सिटी' की संकल्पना, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न होती है, जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। इस मिशन में शहरों के मार्गदर्शन करने के लिये कुछ पारिभाषिक सीमाएँ अपेक्षित हैं।
2. भारत में किसी भी शहर निवासी की कल्पना में, स्मार्ट शहर तस्वीर में ऐसी अवसंरचना एवं सेवाओं की अभीष्ट सूची होती है, जो उसकी आकांक्षा के स्तर को वर्णित करती है। स्मार्ट सिटी अवधारणा, जहाँ नागरिकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिये, शहरी योजनाकार को आदर्श के तौर पर पूरे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का विकास करना होता है, वहीं नया शहरी एजेंडा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को समाहित किये हुए है।
3. बेशक स्मार्ट सिटी का विचार ई-गवर्नेंस की अवधारणा को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास है। पूर्णतः स्मार्ट सिटी हो जाने पर स्मार्ट सिटी के निवासियों की अधिकांश समस्याएँ स्वतः ही हल हो जाएंगी। स्मार्ट सिटी बनने की आवश्यक शर्तों

में ई-गवर्नेंस तो है ही, लेकिन यह एक धुरी मात्र है, जिस पर शेष सेवाएँ आधारित हैं। स्मार्ट सिटी के महाअभियान में जनसाधारण को शामिल किये बिना स्मार्ट सिटी का सपना पूरा नहीं हो सकता। स्मार्ट सिटी वस्तुतः एक ऐसा शहर होता है, जो सतत आर्थिक विकास व उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करता है तथा अर्थव्यवस्था, परिवहन, पर्यावरण, जीवन स्तर और सरकारी सेवाओं की सर्वोच्च श्रेष्ठता पर फोकस करता है। अतः स्मार्ट सिटी मिशन और नए शहरी एजेंडे का मिलन भारत में शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान बन सकता है।

अटल मिशन (AMRUT 2.0)

- ***अमृत मिशन के बारे में (About AMRUT Mission):***
  - अमृत मिशन को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये जून 2015 में शुरू किया गया था।
  - अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 ULB (शहरी स्थानीय निकाय) में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है।
  - इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है।
- ***अमृत मिशन का उद्देश्य:***
  - यह पानी की जरूरत को पूरा करने, जल निकायों को फिर से जीवंत करने, जलभृतों का बेहतर प्रबंधन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिये अमृत मिशन की प्रगति सुनिश्चित करेगा, जिससे पानी की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा मिलेगा।
  - यह 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा।
  - उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से शहरों की कुल पानी की जरूरत का 20% तथा औद्योगिक मांग का 40% पूरा होने की उम्मीद है। मिशन के तहत प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिये स्वच्छ जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा।
  - जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल (Sewage Water) के पुनः उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण का पता लगाने के लिये शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा।
- ***अमृत मिशन के पहले चरण का प्रदर्शन:***
  - अमृत मिशन के तहत शहरों में 1.14 करोड़ नल कनेक्शन के साथ कुल 4.14 करोड़ कनेक्शन किये गए हैं।
  - 470 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा हो चुका है। इनमें से 164 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग (IGR) प्राप्त हुई है, जिसमें 36 शहर A- या उससे ऊपर की रेटिंग वाले हैं।
  - 10 ULB ने म्युनिसिपल बॉण्ड के जरिये 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली को 455 अमृत शहरों सहित 2,471 शहरों में लागू किया गया है।
  - इस सुधार से वर्ष 2018 की विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) की भारतीय रैंकिंग 181 रैंक से वर्ष 2020 में 27 हो गई।
  - 89 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है, जिससे प्रतिवर्ष 195 करोड़ यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत और CO_2 उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 15.6 लाख टन की कमी आई है।

✪✪✪✪✪

14

विकास संबंधी मुद्दे (Development Related Issues)

परिचय (Introduction)

विकास सामाजिक परिवर्तन (Social Change) की एक विशिष्ट और काफी लोकप्रिय प्रक्रिया है। इसके द्वारा एक देश के नागरिक उच्च भौतिक रहन-सहन, स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन के स्तर को प्राप्त करने के साथ-साथ अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। अन्य शब्दों में, सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार तथा अधिकाधिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को विकास या सामाजिक विकास (Social Development) कहा जाता है। चूंकि विकास की अवधारणा में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही तरह के विकास को समायोजित किया जाता है, अतः इसमें न केवल परिवर्तन और वृद्धि सम्मिलित रहते हैं अपितु परिवर्तन का अर्थपूर्ण तथा वृद्धि का उद्देश्यपूर्ण होना भी आवश्यक है। यही कारण है कि विकास की अवधारणा के अन्तर्गत निम्नांकित लक्ष्यों को प्रमुखता दी जाती है:–

विकास की अवधारणा के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य (Major Goals under the Concept of Development)

1. भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, जो उसके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं।
2. संसाधनों, लाभों एवं आय का समान वितरण होना चाहिए ताकि सामाजिक, आर्थिक न्याय को सर्वसाधारण के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
3. शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक या शक्ति के विकेंद्रीकरण (Decentralisation) पर बल दिया जाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित सुनिश्चित हो सके।
4. मानव संसाधन का अधिकतम विकास किया जाना चाहिए ताकि विकास के चरम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

विकास के इन्हीं लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विकास की अवधारणा पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है और प्रतिदिन विकास के ये आयाम विस्तृत हो रहे हैं और भारत में विकास को इसी रूप में स्वीकार किया जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास (Social-Economic Development) के प्रारूप को अपनाया गया। भारतीय संविधान भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है जिसका तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के साथ ही समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इस संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत क्रियाविधि की नीति को आत्मसात् किया गया तथा नगरीय विकास एवं ग्रामीण विकास, दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय प्रयास किए गए ताकि 'समेकित विकास' (Integrated Development) के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक विकास की दिशा में कई प्रयास किए गए। बदलती परिस्थितियों में भारत में विकास के विभिन्न प्रतिमानों को स्वीकार किया गया। समेकित राष्ट्रीय विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और तदनुरूप किए गए प्रयासों का ही फल है कि हमने पिछले 60 सालों में जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, विज्ञान हो, तकनीक हो या संचार हो, सफलता के सराहनीय आयाम स्थापित किए हैं और सफलताएं हासिल की हैं। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की एक महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। हमने विकास के सभी क्षेत्रों में वैश्विक पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। किन्तु खाद्यान्न, उद्योग, तकनीक, विज्ञान, संचार तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सारी उपलब्धियां विकास के एक पक्ष को दर्शाती हैं। भारत में विकास का दूसरा पक्ष यह है कि अंधाधुंध औद्योगीकरण, नगरीकरण, तकनीकीकरण तथा संसाधनों के दोहन के परिणामस्वरूप हमारे समक्ष विकास जनित विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिन्हें 'विकास का संकट' (Crisis of Development) माना जाता है। अतः हमें अपने विकास के मॉडल पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विकास से सम्बन्धित निम्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाए:–

विकास एवं विषमता (Development and Disparity)

स्वतंत्र भारत में हुए विकास की उपलब्धियों को समझने के लिए हमें स्वतंत्रता पूर्व भारत की स्थिति से अवगत होने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कृषि की हालत अत्यंत दयनीय हो चली

थी। कृषि में बिचौलियों का बोलबाला, पूंजी का अभाव, थोपी गयी वाणिज्यीकरण, कृषक दासता, बेगारी, ऋणजाल, पूंजी की कमी, सिंचाई साधनों तथा उन्नत तकनीकों के अभाव के कारण कृषि क्षेत्र पिछड़ता चला गया था। फिर भी कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग 85% थी।

भारतीय उद्योग क्षेत्र में शिल्पों का पतन हो गया था तथा गिने चुने उद्योग ही भारत में लगे थे (जैसे सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योग) । पूंजीगत उद्योग जिनसे अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलता है वे नगण्य थे। सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान नहीं के बराबर था। विदेशी व्यापार पर इंग्लैंड ने एकाधिकार (Monopaly) जमा रखा था। जनांकिकीय परिस्थितियाँ जटिल / मुश्किल हालात में थीं। जैसे-जीवन प्रत्याशा-32 वर्ष, शिशु मृत्युदर-218, साक्षरता-16% आदि। आधारिक संरचनाओं का नितांत अभाव था।

स्वतंत्रता के उपरांत, उपरोक्त समस्याओं से निपटने के लिए नेहरू तथा अन्य नेताओं व चिंतकों ने समाधान ढूँढ़ने के प्रयत्न किए।

हमारे सामने अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप विद्यमान थे, पूंजीवादी तथा समाजवादी हमारे राजनेता तथा चिंतकों का मुख्य रुझान समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) की ओर था परन्तु वे इसे दोषमुक्त बनाना चाहते थे अतः एक ऐसी व्यवस्था चुनी गयी जो समाजवादी लक्ष्य रखते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्त थी। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलायी। आज दुनियाँ के अधिकतम देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं।

विकास के पथ पर तीव्रता से चलने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया गया। योजना के चार मुख्य लक्ष्य होते हैं:–

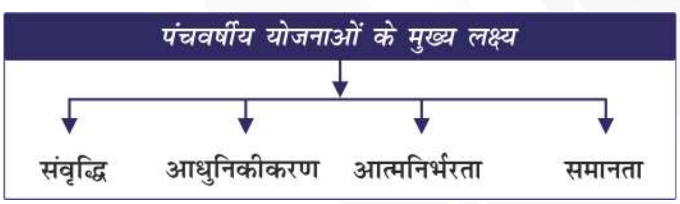

1. ***संवृद्धि (Growth)*** – इसका तात्पर्य क्षेत्र के अन्दर क्षमता निर्माण से है।
2. ***आधुनिकीकरण (Modernization)*** – यह विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी के साथ-साथ नई सामाजिक सोच को भी दर्शाता है। जैसे-महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष मानना।
3. ***आत्मनिर्भरता (Self-reliance)*** – जहाँ तक संभव हो स्वयं उत्पादन करना।
4. ***समानता (Equality)*** – देश के अन्दर समता स्थापित करना अर्थात् विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना।

इन सभी लक्ष्यों को एक समान महत्त्व देना संभव नहीं है अतः इनकी प्राथमिकता तय की जाती है तथा इनमें एक संतुलन बनाया जाता है। इन्हें पूरा करने के लिए अन्य तरीकों का सहारा लिया गया। जैसे-सहायिकी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में लाइसेंस द्वारा नियंत्रण, औद्योगिक नीति, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण, व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन (Import Replacement), घरेलू उद्योगों को संरक्षण आदि।

इन सभी उपायों का मिला-जुला असर हुआ। देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा तथा कई मामलों में आत्मनिर्भर बना, उद्योगों में विविधिकरण बढ़ा, उद्योगों की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी बढ़ी। कुछ समस्याओं में कृषि पर से निर्भरता अनुपात कम न होना, सार्वजनिक क्षेत्रक का कार्यकुशल न होना आदि को गिना जा सकता है।

1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन (Inefficient Management) कच्चे तेल के आयात, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट आदि के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। अनावश्यक खर्चों के बढ़ने, आयात के बढ़ने तथा वित्त जुटाने के लिए निर्यात संवर्धन पर ध्यान नहीं देने के कारण भारत के लिए भुगतान संतुलन की समस्या आयी और इससे बचने के लिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में 1991 से अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत हुई।

इस उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का भी देश के विकास पर मिला-जुला प्रभाव पड़ा है।

स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक की विकास यात्रा में हमने काफी विकास किया है फिर भी इस विकास का लाभ सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों अर्थात् सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिला है। इससे कई प्रकार की विषमताएँ हमारे देश में देखने को मिल जाती हैं। आजादी के बाद हमारा जोर उद्योगों की स्थापना करके भारत की प्रतिव्यक्ति आय (Percapita Income) को बढ़ाना था। प्रतिव्यक्ति आय बढ़ने के साथ-साथ आय की विषमता भी बढ़ने लगी। अमीर लोग और अमीर होते गए तथा गरीब लोग गरीबी में ही रह गए। विश्व बैंक के निर्धनता मानक (एक डॉलर प्रतिदिन से कम पाना) के अनुसार भारत में अभी भी 35% लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। यह स्वतंत्रता के 6 दशकों बाद भी आय की भारी विषमता को दर्शाता है। इस विषमता के कारण देश का विकास भी अवरुद्ध होता है। यदि लोगों के पास आय नहीं होगी तो उनके पास क्रयशक्ति (Purchasing Power) का अभाव होगा, इससे वे वस्तुओं की कम मांग करेंगे तथा एक बड़े बाजार का अभाव बना रहेगा। कम आय के कारण व्यक्ति उद्यमशीलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी जोखिम न लेने की प्रवृत्ति जारी रहेगी साथ ही कम आय वाले वर्गों को साख उपलब्धता में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि सर्वाधिक गरीबी कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है।

हमारे देश में साख उपलब्धता में भी यह विषमता दिखती है कि संपत्तिशाली वर्गों को उचित दर पर तथा औपचारिक क्षेत्रों यथा

बैंकों से ऋण उपलब्ध होता है, परन्तु निर्धनों तक इस साख की पहुँच नहीं है।

विकास से उपजी विषमताओं में क्षेत्रीय विषमता भी देखने को मिलती है। भारत के अनेक राज्य विकास में आगे हैं जैसे-पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महराष्ट्र, केरल जबकि कई राज्य जैसे-बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में और अन्य समस्याएँ भी अपनी जड़ें जमा रही हैं जैसे नक्सलवाद, उग्रवाद। ज्यादातर पिछड़े राज्य ही इन चरमपंथी विचारधाराओं की चपेट में आए हैं। आज ये समस्याएँ इतनी गहरी हो गयी हैं कि ये देश के समग्र विकास को ऋणात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इन समस्याओं का समाधान इन क्षेत्रों को विकास में हिस्सेदारी देकर ही किया जा सकता है।

हमने कृषि में विकास के लिए हरित क्रांति को अपनाया परन्तु इसका लाभ भी कुछ विशेष राज्यों को ही ज्यादा मिल पाया। भारत के गांवों व शहरों में भी काफी विषमताएँ हैं। विकास का ज्यादातर लाभ शहरों में पहुँचा है। शहरों या उनके आसपास ही ज्यादातर उद्योग लगे, रोजगार का निर्माण हुआ तथा अन्य जन सुविधाएँ जैसे-स्कूल, कॉलेज अस्पतालों आदि का विकास हुआ। गाँवों में इनका विकास बहुत सीमित रूप में हो पाया।

आधारिक संरचनाओं (Infrastructures) के विकास में भी इसी प्रकार की विषमताएँ दिखती हैं। शहरी क्षेत्रों तथा उद्योगों के लिए ज्यादा आधारिक संरचनाओं का विकास हुआ। हालांकि अब सरकार ने गाँवों की आधारिक संरचना के विकास के लिए सड़क निर्माण तथा विद्युतीकरण पर ध्यान दिया है परन्तु अभी भी गाँवों की मुख्य गतिविधि कृषि में संरचना निर्माण का कार्य गति नहीं पकड़ पाया है।

उदारीकरण का भी अधिकतम लाभ शहरों को ही मिला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multinational Companies) ने वहीं निवेश किया है जहाँ आधारिक संरचना मजबूत थी, जहाँ एक बड़ा क्रेता वर्ग था तथा ऐसे ही क्षेत्रों में निवेश भी किया जैसे-टेलीकॉम, बैंकिंग आदि।

शहरों में भी एक वर्ग अमीरों का है तो एक वर्ग मलिन बस्तियों में निवास करने वालों का जिनकी पहुँच आवश्यक जनसुविधाओं पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि तक बहुत कम या कठिनाई से हो पाती है। ये वर्ग ग्रामीण शहरी विषमता के कारण गांवों से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में आते हैं। शहरों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये लोग विकास का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इनके विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये अवसर, ग्रामीण क्षेत्र में आधारिक संरचनाओं का विकास करके, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर, कृषि कार्य के लिए साख उपलब्धता प्रदान करके बढ़ाए जा सकते हैं।

हमारे विकास में आर्थिक क्षेत्रकों (Economic Sectors) के योगदान में भी एक विषमता दिखती है। अन्य देशों में मुख्य रूप से कृषि के बाद उद्योग क्षेत्र का विकास तथा जीडीपी में योगदान ज्यादा होता है फिर सेवा क्षेत्र का परन्तु भारत में उद्योग क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए सेवा क्षेत्र ने जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देना शुरू कर दिया। कृषि का योगदान जीडीपी में तो घटा है, परन्तु आज भी कृषि रोजगार में सर्वाधिक श्रमशक्ति (Labor forces) का उपयोग हो रहा है। यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण होती है। औद्योगिक (विनिर्माण) क्षेत्रक के पर्याप्त विकास नहीं हो पाने के कारण भारत में रोजगार निर्माण की दर धीमी रही। इसी कारण भारत में यह आर्थिक क्षेत्रक विषमता दिखती है जिसमें जीडीपी में तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, परन्तु रोजगार में सर्वाधिक निर्भरता कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) में है।

इस विकास के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कई विषमताएँ प्रकट हुई हैं। विकास की हमारी यात्रा में कई वर्ग पीछे छूट गए। भारत में सामाजिक विषमता तो पहले से ही विद्यमान थी, विकास में भी इन्हें उचित भागीदारी नहीं मिल पायी। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए नाकाफी उपाय हुए। बाद में 90 के दशक में उदारीकरण के बाद कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत आयीं तथा इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में खनन तथा ऊर्जा उत्पादन के कार्य शुरू किए। इसने देश का विकास तो किया पर जनजातियों और आदिवासियों के लिए यह नुकसानदायक रहा।

उनकी जमीन छीनी गयी, श्रमिक के रूप में भी उनका शोषण हुआ, उनकी आजीविका पर उल्टा असर हुआ। उदाहरण के रूप में देखें तो इस्पात कम्पनी पोस्को को इन्हीं सब कारणों से विरोधों का सामना करना पड़ा। भारी मात्रा में जमीन के अधिग्रहण से आदिवासी अपने संसाधनों से वंचित हुए। कंपनी के द्वारा फैक्ट्री स्थापना से महानदी के पानी का उपयोग किया गया तथा पानी में फैक्ट्री का कचरा आने से पानी दूषित हुआ। इन सबके अलावा प्रभावित होने वाले जनजातियों तथा मछुआरों को इसके लाभ में कोई भी हिस्सा नहीं मिल पाया। इन सब कारणों से इस प्रकार के विरोधों का उठना जारी रहेगा तथा अंतिम रूप से यह विकास को अवरुद्ध करेगा।

इन समस्याओं के उचित निपटारे की आवश्यकता है। इस विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विषमता को जन्म दिया है जैसे मेडिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए. आदि की पढ़ाई तथा शिक्षा संस्थानों में एक बड़ा उछाल आया है परन्तु कला क्षेत्र के शिक्षण संस्थान तथा विद्यार्थियों की संख्या में उस अनुरूप वृद्धि नहीं हो पायी।

ग्रामीण-शहरी, संपन्न-निर्धन, पुरुष- महिला विषमता के समानुपाती ही शिक्षा का स्तर भी इन क्षेत्रों में इसी अनुरूप ज्यादा या कम है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच में भी क्षेत्रवार, राज्यवार अंतर पाया जाता है।

विकास और वैयक्तिक विषमता
(Development and Individual disparity)

जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आर्थिक सुधारों (Economic Reforms) के लिए हमें कई तरह की नीतियाँ लागू करनी पड़ीं जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता मिल सके। इसके लिए हमें अपनी राजकोषीय नीति, व्यापार नीति, कर नीति, मुद्रा बाजार की नीति आदि में परिवर्तन करना पड़ा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य आर्थिक घाटे को कम करना था घाटे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का प्रभाव सभी वर्गों पर एक समान नहीं पड़ा। इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार हुआ कि गरीब और गरीब होते गए तथा अमीर और अमीर हो गए अर्थात् अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता चला गया। अनुमान है कि 10% आबादी के पास 90% संसाधनों का संकेन्द्रण है तथा 90% आबादी के पास मात्र 10% संसाधन उपयोग के लिए उपस्थित हैं।

वैयक्तिक विषमता के कारण
(Causes of Individual Disparity)

राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम करने के दबाव के कारण भारत को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ी। वहीं कर को और कम करने पर बल दिया गया ताकि बाजार ज्यादा कुशलता से कार्य करे। इस कारण सरकार ने 90 के दशक में खर्च में कटौती की। सरकार चालू खर्चों को रोकने में असहज थी अतः पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को कम किया गया। कृषि, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना विकास तथा उद्योग पर सरकारी खर्च को कम कर दिया गया। इससे पहले ही नाजुक हालात से गुजर रही आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि पर बुरा प्रभाव पड़ा।

खर्च को कम करने के लिए खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी कम किया गया। इसका प्रभाव सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) पर पड़ा जो खाद्य पदार्थ का एक सस्ता जरिया था। सरकार ने यहाँ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत की जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए ही खाद्यान्न का प्रबंध था। एफ.सी.आई. के आर्थिक लागत को निकालने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की कीमत भी बढ़ाई। इससे गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए खाद्यान्नों का मूल्य दो गुना हो गया। इस काल में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए भी खाद्यान्नों की कीमत में 80% तक का इजाफा हो गया। कई बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में खर्च को कम करने के लिए छंटनी की गयी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगारों का विनाश हुआ और लोगों की आय में विषमता बढ़ गयी। बड़े पैमाने पर विनिवेश (Disinvestment) तथा सरकार द्वारा बाजार से हाथ खींचने से बाजार भी प्रभावित हुआ। कई आवश्यक वस्तुओं का निर्माण निजी हाथों में चला गया तथा ये इकाईयाँ प्रतिद्वंद्वी कम्पनियों को बेच दी गयी। इससे रोजगार में कमी के साथ वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हुई।

स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता तथा मंहगाई के कारण निर्धन अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाते हैं तथा स्वास्थ्य की असमर्थता के कारण इनकी जीवन प्रत्याशा में काफी कमी आ जाती है। इसके अलावा बीमार व्यक्ति रोजगार भी नहीं कर पाते, अतः वे गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

इसी प्रकार अविकसित इलाकों में जहाँ ज्यादातर निर्धन वास करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विषमता का स्तर आर्थिक विषमता के समानुपाती है। शिक्षा व्यापार की तरह फैल रही है तथा अच्छी शिक्षा अच्छे मूल्य की माँग कर रही है। सरकार का आधारभूत ढाँचा शिक्षा में भी कमजोर है। सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में कहीं शिक्षक का अभाव है तो कहीं प्रयोगशालाओं का तो कहीं खेल के मैदान का। अच्छी शिक्षा नहीं मिलने से सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छी नौकरी पाना असंभव सा हो जाता है।

उपभोग के स्तर पर भी वैयक्तिक विषमता दिखती है। एक अध्ययन के अनुसार जब व्यक्ति उपभोग (Consumption) करता है तो संसाधन विहीन लोगों को अपनी आय से अधिक खर्च करना पड़ता है या अपने उपभोग पर अंकुश लगाना पड़ता है, वहीं ज्यादा आय वाले लोग ज्यादा खर्च करने के बावजूद बचत कर पाते हैं। इससे उपभोग आधारित विधि से विषमता की माप के सही आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

शहरी परिवारों की औसत आय ग्रामीण परिवारों की औसत आय का लगभग दो गुनी है। समुदायों के स्तर पर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आय आदि में विषमता काफी दिखाई पड़ती है। दलित तथा आदिवासी सामुदायिक स्तर पर सबसे पिछड़े हुए हैं। इनके बाद पिछड़ी जातियों तथा मुस्लिम समुदाय का नम्बर आता है।

सभी आय समूहों में वेतनभोगी ऊंचे स्तर पर हैं। सबसे खराब स्थिति में छोटे, सीमांत कृषक तथा कृषि मजदूर हैं।

वैयक्तिक विषमता कम करने हेतु सुझाव
(Suggestions to Reduce Individual Disparity)

1. विषमता को दूर करने के लिए केन्द्रीय योजनाओं (Central Schemes) में सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन भी किया जा सकता है जिससे आय की विषमता कम हो।
3. सभी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करके लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त सेवा प्रदान करके आय की विषमता के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

4. रोजगार सृजन के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर मानव संसाधन विकसित किया जा सकता है जो विकास से उपजे अवसरों का लाभ लेने को तैयार रहे।
5. कृषि क्षेत्र से अनावश्यक श्रमबल को उद्योगों की ओर स्थानांतरित करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
6. सभी क्षेत्रों की तरह कृषि में भी ऋण व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा ने 32% तक गरीबी को कम किया है और लगभग 14 लाख लोगों को गरीब होने से बचाया है। कई महिलाओं के लिए नकद आय अर्जित करने के लिए मनरेगा पहला अवसर था। इससे संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा उनके हाथ में पैसा आया है और उनका बैंक खाता खुला। मनरेगा का लाभ लेने वाले घरों के बच्चों में शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त करने की संभावना अधिक रही है।

विश्व बैंक की नवीनतम महिला व्यापार और कानून संबंधी रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया है कि जिन देशों के कानूनों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता हैं और लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा नहीं दिया जाता है ऐसे देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

विकास और क्षेत्रीय विषमता
(Development and Regional Disparity)

भारत में क्षेत्रीय विषमता सर्वाधिक बहस का विषय बना हुआ है। भारत की क्षेत्रीय विषमता को देखने के लिए हम मुख्यत: 15 बड़े राज्यों को देख सकते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। विकसित राज्य तथा पिछड़े राज्य। पहली श्रेणी के राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु तथा दूसरी श्रेणी में आते हैं-असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

भौगोलिक रूप से विकसित राज्य भारत के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में स्थित हैं। 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत के विकसित राज्यों में 40.4% जनसंख्या हैं तथा पिछड़े राज्यों में 55.1%। प्राकृतिक संसाधनों, पानी, मिट्टी की उर्वरता (Fertility) आदि के मामले में पिछड़े राज्य विकसित राज्यों से आगे हैं।

विकसित राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से कम है तथा पिछड़े राज्यों की अधिक। यह विकास तथा विषमता के स्तर को दर्शाता है। यहाँ तक कि केरल की जनसंख्या वृद्धि दर 1.5 है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (MDG) 2015 के लक्ष्य से भी कम है।

विकसित राज्यों की शिक्षण दर (Literacy Rate) भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केरल की शिक्षा दर तो 90% से भी अधिक है। पिछड़े राज्यों में यह दर राष्ट्रीय दर से नीचे है।

आय के मामले में भी स्थिति कमोबेश उपरोक्त की तरह ही है। यह सर्वविदित है कि आर्थिक सुधार (90-91) के बाद यह विषमता और भी बढ़ी है क्योंकि कम्पनियाँ वहीं निवेश करना चाहती हैं जहाँ आधारभूत संरचना मौजूद हो। इस प्रकार विकसित राज्य और विकसित होते जाते हैं तथा पिछड़े राज्य पिछड़ते जाते हैं।

बैंकों के जमा तथा ऋण पैटर्न को देखें तो यह देखा गया है कि अगड़े राज्यों में जमा दर ज्यादा है तथा ऋण में हिस्सेदारी और भी ज्यादा है अर्थात् जमा से ज्यादा हिस्सेदारी ऋण में है। पिछड़े राज्य कम जमा कर पाते हैं, परन्तु उन्हें ऋण उससे भी कम मिला है। यह पिछड़े राज्यों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है।

क्षेत्रीय विषमता में राज्य-राज्य विषमता के अलावा अंतरा-राज्य विषमता भी देखने को मिलती है जैसे-महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य का विदर्भ क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। राज्यों के विभाजन की माँग भी इसी प्रकार की विषमताओं के कारण उपजती है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश आदि के बंटवारे के पीछे इसी प्रकार के कारण रहे हैं।

इसके अलावा पिछड़े इलाकों में असंतोष के कारण अतिवाद (Extremism) को भी पनपने का मौका मिलता है। नक्सलवाद तथा आतंकवाद इसी के उदाहरण माने जा सकते हैं।

क्षेत्रीय विषमता के कारण
(Causes of Regional Disparity)

क्षेत्रीय विषमता के कई कारण हैं। इसमें मुख्य हैं:-

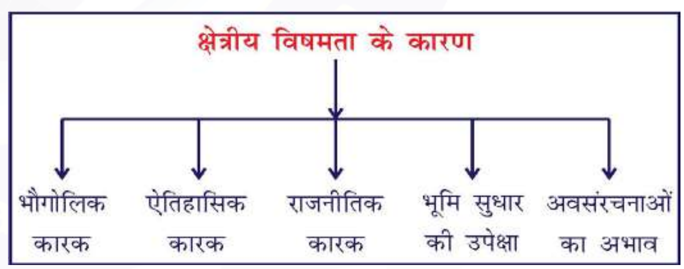

1. ***भौगोलिक कारक (Geographical Factors)–*** कई राज्य तथा राज्यों के क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से आर्थिक कार्यों के लिए अनुपयुक्त होते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र आदि।
2. ***ऐतिहासिक कारक (Historical Factors)–*** कुछ राज्य जो पहले राजाओं के अंतर्गत थे उनमें वे राज्य प्रगति कर पाए जिनके शासक दूरदर्शी थे जैसे-कोचीन, त्रावणकोर आदि, वहीं तेलंगाना तथा दक्कन के अन्य क्षेत्र इस प्रकार के शासक नहीं होने के कारण पिछड़ गए।

3. ***राजनीतिक कारक (Political Factors)*** – किसी राज्य में शासन मुख्यत: अगड़े क्षेत्र से आए प्रतिनिधि चलाते हैं इससे पिछड़े क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं।

4. ***भूमि सुधार की उपेक्षा (Negligence of Land Reforms)*** – कई राज्यों में उर्वर भूमि होने के बावजूद भूमि सुधार न होने के कारण कृषि पिछड़ी हुई है तथा वे राज्य पिछड़े राज्यों में गिने जा रहे हैं, जैसे–बिहार।

5. ***अवसंरचनाओं का आभाव (lack of Infrastructures)*** – जिन राज्यों में अवसंरचना की कमी है वहाँ कोई भी उत्पादक कार्य सही से नहीं हो सकता। वहाँ कोई उद्योग भी नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

क्षेत्रीय विषमता को कम करने हेतु सुझाव (Suggestions to Reduce Regional Disparity)

1. पिछड़े राज्यों की समस्या को ध्यान में रखकर एक समिति का गठन होना चाहिए जो पिछड़े राज्य/क्षेत्रों की समस्या को पहचान कर उपयुक्त उपायों के साथ प्रभावित क्षेत्र को सहायता प्रदान कर सके।
2. पिछड़े राज्यों में अवसंरचना (Infrastructure) निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेजों की स्थापना तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
3. पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवा कर जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है।
4. रोजगार के अवसरों का सृजन इन क्षेत्रों में किया जा सकता है जिससे यहाँ आय का सृजन हो। इसके लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए।
5. पिछड़े क्षेत्रों में गरीबों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करवा कर उन्हें गरीबी से निकाला जा सकता है।
6. पिछड़े इलाकों के उत्थान के लिए तथा वहाँ जागरुकता (Awareness) फैलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है।
7. पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए अलग से क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
8. पिछड़े तथा भौगोलिक, सामाजिक रूप से अलग क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार की स्वायत्ता (Autonomy) के साथ विशेष विभाग या आयोग या संस्था की स्थापना की जा सकती है।
9. पंचायतों को विशेष पैकेज देकर उन्हें क्षेत्रीय विकास में ज्यादा हिस्सेदारी निभाने का मौका देना चाहिए।

विकास और शहरी-ग्रामीण विषमता (Development and Urban-Rural disparity)

भारत में लगभग 6 लाख 40 हजार गाँव हैं। यह मुख्यत: गांवों का देश कहलाता है। भारत के विकास के साथ भारत में शहरीकरण की दर भी बढ़ रही है तथा शहरों के आकार और संख्या दोनों में वृद्धि हुई है।

गाँव की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि आधारित होती है तथा शहर में औद्योगिक केन्द्र होते हैं। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र की आय में अंतर बढ़ रहा है उसी प्रकार शहरी-ग्रामीण विषमता भी बढ़ रही है। आर्थिक सुधारों के पश्चात् रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन (Creation) हुआ है, परन्तु मुख्यत: शहरी शिक्षित वर्ग को ही अधिक अवसर उपलब्ध हुआ है, जिसने शहरी-ग्रामीण विषमता की खाई को चौड़ा कर दिया है। आज शहरों में अच्छे-अच्छे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित हैं, वहीं कई गांवों में अभी तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं। ग्रामीण तथा शहरी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता जैसे-स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा आदि में भारी अंतर दिख जाता है। शिक्षा तथा उससे उपजी जागरुकता में भी शहरी-ग्रामीण परिवेश का अन्तर दिखता है।

शहरी-ग्रामीण विषमता का कारण (Causes of Urban-Rural Disparity)

1. भारत के कृषि क्षेत्र में रोजगार तथा मजदूरी दोनों 90 के दशक में थम सी गयी थीं। अगर कृषि क्षेत्र की मजदूरी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मजदूरी में तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि 90 के दशक में कृषि मजदूरी जहाँ 2.5% की दर से बढ़ी थी, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई।
2. कृषि क्षेत्र के रोजगार नियमित नहीं होते हैं। ये अनियमित मजदूर की तरह होते हैं तथा साल के कुछ समय बेरोजगार भी रहते हैं।
3. गाँवों में आय शहरों के मुकाबले कम होती है, अत: यहाँ के लोगों के द्वारा उपभोग भी कम किया जाता है।
4. गाँवों में शिक्षण संस्थाओं के अभाव तथा निम्न गुणवत्ता के कारण यहाँ साक्षरता दर भी शहरों की अपेक्षा बहुत कम पायी जाती है। यह अन्तर महिलाओं के मामले में और ज्यादा बढ़ जाता है।
5. 1990 के बाद कई नीतियाँ, जिसने ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन में सहयोग किया था, को बदल दिया गया। राजकोषीय खर्च को कम करने के लिए सरकार ने कृषि योजनाओं, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में कटौती कर दी।
6. 1990 से पहले बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में साख उपलब्ध करवा रहे थे। आर्थिक सुधारों तथा बेसल नियम आने के बाद बैंक अपनी ऋण नीतियों में सख्त हो गए।

7. गाँवों में आधारभूत अवसंरचनाओं का अभाव होने के कारण उद्योग धन्धों एवं सेवा क्षेत्रक संस्थाओं की स्थापना नहीं हो पाती।
8. हमारे विकास के मॉडल में बड़े उद्योग धन्धों पर बल दिया जाता है, जबकि गाँव आधारित लघु-कुटीर उद्योग (Small Scale Cottage Industries) को उपेक्षित किया गया है।

शहरी-ग्रामीण विषमता को कम करने हेतु सुझाव (Suggestions to Reduce Urban-Rural Disparity)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास की सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को बढ़ावा देना चाहिए।
2. आधारभूत अवसंरचनाओं जैसे-सड़क, बाजार, पुल आदि का विकास होना चाहिए।
3. रोजगार का सृजन करने के लिए बिजली, पानी इत्यादि संरचना विकास के साथ क्षेत्रानुसार प्रसंस्करण उद्योग (Processing Industry) को बढ़ावा देने से रोजगार विकास के साथ कृषि विकास भी संभव होगा तथा कृषि उत्पादों को सही मूल्य मिल पाएगा।
4. हमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि योजनाओं को अपनाना चाहिए।
5. कई संसाधन जो गाँवों में अनुपयोगी (Useless) होकर पड़े हैं उन्हें उपयोग के लायक बनाकर उसका समुचित लाभ गांव के लोगों तक पहुँचाना चाहिए।
6. सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच देकर ग्रामीण क्षेत्रों को जागरुक बनाया जा सकता है।
7. ग्रामीण विकास के लिए सहभागी विकेन्द्रीकृत योजना का निर्माण करना चाहिए।
8. पुरा (PURA) के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए।

विकास एवं पर्यावरण (Development and Environment)

परिचय (Introduction)

विकास ऐसा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है जो जटिल सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय कारकों (Cultural and Environmental Factors) और इनके मध्य परस्पर अंत: क्रियाओं पर आधारित होता है। यह मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करने का द्योतक है जिसका प्रत्यक्ष व सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय होता जाता है। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य को अच्छी शिक्षा मिले तो वह अपने आय के स्रोत बढ़ा सकता है, अच्छे बुरे का फर्क आसानी से समझ सकता है, दूसरों का तथा अपना दुख और उसका कारण समझ सकता है। इन सभी का प्रयोग वह अपने परिवार व अपने समाज की भलाई तथा बेहतरी के लिए कर सकता है। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति से व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है तथा उन बीमारियों से दूर रह सकता है जो उसे एक अच्छा तथा सुखमय जीवन जीने से दूर करती हैं।

इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा देशों ने विकास को मापन के लिए आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता जैसे विषयों को मानक के रूप में अपनाया है।

इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण आय को माना गया है क्योंकि बाकी सभी सुविधाओं को इसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

किसी जीव या जीव समूह (Group of Organisms) के आस-पास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। इस वातावरण में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के कारक होते हैं। जैविक कारक का तात्पर्य वहां बसने वाले अन्य जीवों या इनके समूह से है। जैसे एक शेर के पर्यावरण में हिरण, सांप, कीट पतंगे तथा पेड़-पौधे इत्यादि हो सकते हैं। अजैविक कारक उस वातावरण के निर्जीव घटकों को कहा जाता है, जैसे-गैस, भू-आकृति, जल इत्यादि।

ये जैविक एवं अजैविक कारक अपने पर्यावरण में जीवों पर प्रभाव डालते हैं तथा खुद भी उनसे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि ये जैविक, अजैविक घटक एक दूसरे को भी प्रभावित करते रहते हैं।

जीव पर पर्यावरण का इतना प्रभाव होता है कि उन्हें पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलित (Adapted) होना पड़ता है या वे वहां से विलुप्त हो जाते हैं। पर्यावरण में धीमा परिवर्तन हो तो जीव-जन्तु आसानी से अपने पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं परन्तु यदि पर्यावरण में परिवर्तन तीव्र हो तो जीव-जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनकी संख्या कम हो सकती है, यहाँ तक कि वे विलुप्त भी हो सकते हैं।

सभी जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। वे अपने पर्यावरण से ही खाना, पानी, आश्रय प्राप्त करते हैं तथा अपना विकास करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने विकास के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर होता है। भोजन के लिए अनाज, फल, सब्जियाँ सभी पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। शिक्षा के लिए कागज, पहनने के लिए कपड़े, स्वास्थ्य के लिए दवाईयाँ सभी चीजें पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों पर ही निर्भर करती हैं। जिस देश के पास जितने ज्यादा संसाधनों पर नियंत्रण है, वह देश उतना ही संपन्न है तथा वही देश सबसे अधिक विकसित भी है।

विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया (Process) है इसलिए हमें निरंतर संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। पर्यावरण में इन संसाधनों को प्रदान करने की क्षमता होती है, परन्तु प्रकृति भी इसे एक सीमा तक ही संभाल सकती है यदि संसाधनों का दोहन

(Exploitation of Resources) इसकी चरम सीमा से अधिक होने लगे तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव नकारात्मक रूप में सामने आने लगता है।

औद्योगिक क्रांति के बाद विकास ने एक नया रूप ले लिया है। इसमें अधिक और तीव्र उत्पादन पर बल दिया गया है। इससे प्रकृति पर विजय पाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन हुआ तथा दूसरी ओर पर्यावरण में औद्योगिक अपशिष्ट पहुँचने लगे।

इनके अलावा मानव के विलासितापूर्ण आवश्यकताओं तथा औद्योगिक मशीनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ने वन विनाश तथा जीवाश्म ईंधनों के दोहन तथा उपयोग को बढ़ावा दिया है। कृषि में प्रगति के लिए भी जंगलों का विनाश हुआ, रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया।

उपरोक्त सभी कारणों से भूमि, वन, जल, नदी, तालाब, वायु सभी का दोहन तथा प्रदूषण बढ़ा और वैश्विक उष्मन, जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता की कमी, जल संकट, कई प्रकार की बीमारियों जैसे दुष्प्रभाव सामने आने लगे।

पर्यावरणीय समस्याओं का स्वरूप (Nature of Environmental Problems)

भारतीय समाज में तमाम पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा होने लगी हैं। पर्यावरणीय समस्या भारत में निम्न स्वरूपों में दिखाई दे रही हैं:–

जल प्रदूषण (Water Pollution)

भारत गंगा, यमुना, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी अनेक नदियों का राष्ट्र है। ये नदियां जीवन का स्रोत ही नहीं हैं अपितु भारत की जनता के लिए धार्मिक महत्त्व की भी हैं। इसके अतिरिक्त उदयपुर, नैनीताल, भीमताल, ऊटकमंड की अनेक झीलें भी यहाँ विद्यमान हैं। सम्पूर्ण उपलब्ध जल मुख्यत: नदियाँ एवं झील का 70 प्रतिशत भाग अत्यधिक दुरुपयोग से प्रदूषित हो गया है। सम्पूर्ण भारत में नदियों और झीलों का पानी प्रदूषित हुआ है क्योंकि इसमें मलमूत्र, औद्योगिक बर्हि:स्राव डाल दिया जाता है। डिटर्जेंट से निरंतर कपड़ों की धुलाई ने भी हमारे जल संसाधनों को बुरी तरह प्रदूषित किया है। पवित्रता की द्योतक गंगा और यमुना नदियों में उद्योगों से निरंतर रासायनिक बर्हि:स्राव डाला जा रहा है। नदियों के साथ देश की प्रमुख झीलें भी प्रदूषण से अछूती नहीं हैं। डल झील और नैनीताल को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

जल प्रदूषण का प्रमाण नालियों की खराब जल निकासी व्यवस्था से भी मिलता है। गंदी नालियों से पैदा होने वाली बीमारियां तथा मानवीय बस्तियों (Township) से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रमुख प्रदूषक हैं। प्रदूषण का इतना व्यापक होना गंभीर चिन्ता का विषय है। यह देखने में आया है कि टाइफाइड, हैजा व पीलिया जैसी जल से फैलने वाली दो तिहाई बीमारियाँ बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार असुरक्षित पेयजल (Unsafe Drinking Water) पीने के कारण प्रति वर्ष तीस लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है।

वायु प्रदूषण (Air Pollution)

भारत में वायु प्रदूषण पर्यावरणीय समस्या का एक प्रमुख स्वरूप है। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसों के प्राकृतिक अनुपात में असंतुलन वायु प्रदूषण को इंगित करता है। शहरों में मोटर गाड़ियों से निकले धुएँ में उपस्थित कार्बन डाईऑक्साइड, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड आदि वायुमंडल में एकत्रित होते जा रहे हैं जिससे प्राण वायु आक्सीजन की वातावरण में कमी हो गई है। दिल्ली, कानपुर, आदि शहर मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के शिकार रहे हैं। इसके अलावा झारखण्ड, पं. बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) वायु प्रदूषण की चपेट में हैं।

यहाँ लोहे, सीमेंट, रासायनिक खादों आदि के कारखानों में कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग से कार्बन मोनोआक्साईड पूरे वातावरण में विद्यमान है जिससे साँस लेना भी मुश्किल हो गया है। भारत के ग्रामीण समाज (Rural Society) में मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए तथा घरों में भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पशुओं के सूखे गोबर के कारण निकला धुआँ भूरे बादल के रूप में वायुमंडल में मौजूद हो गया है जिसे एशियाई भूरा बादल की संज्ञा दी गई है। भारतीय समाज में वायु प्रदूषण का एक स्वरूप धूम्रपान के रूप में भी दिखाई दे रहा है जो कि धूम्रपान करने वाले को प्रदूषित तो करता ही है साथ ही साथ उनके पास उपस्थित अन्य लोग भी अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Indirect Smoking) द्वारा SO_2 तथा CO जैसी प्रदूषक गैसों से प्रभावित होते हैं।

मृदा प्रदूषण (Soil Pollution)

भारत में पर्यावरणीय समस्या का अन्य स्वरूप मृदा प्रदूषण के रूप में मौजूद है।

पृथ्वी की 15 सेमी मोटी ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, मृदा कहते हैं। इस मृदा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन जैसे रासायनिक तत्त्वों के अलावा सूक्ष्म जीव एवं जन्तु पाए जाते हैं जो कृषि किए जाने वाले पौधों के लिए पोषण प्रदान करते हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए हैं जिससे मृदा का उपजाऊपन (Fertility) खत्म होता जा रहा है। अत्यधिक सिंचाई के कारण (हरित क्रांति) तथा घरेलू अपमार्जकों के मृदा में जाने से मृदा की लवणता में वृद्धि होने से उपजाऊ मृदा अनुपजाऊ ऊसर के रूप में परिवर्तित हो रही है।

रेडियोधर्मी प्रदूषण (Radioactive Pollution)

रेडियोधर्मी प्रदूषण भारत में पर्यावरणीय समस्या का सर्वाधिक घातक स्वरूप है। रेडियो-धर्मी तत्त्व ऐसे तत्त्व होते हैं जिनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं जो कि मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालती हैं। भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण निम्न रूपों में मौजूद है:–

रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत (Sources of Radioactive Pollution)

- नाभिकीय कचरे के निपटारे से उत्पन्न विकिरण
- परमाणु विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी किरणों में
- नाभिकीय अनुसंधान में असावधानी से होने वाली दुर्घटना से

भारत ने अपनी परमाणु क्षमता के परीक्षण के लिए पोखरन में परमाणु विस्फोट किए जिससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलीं जो कि काफी समय तक वहाँ मौजूद रहीं। इसके अलावा भारत में गुजरात के ओलंग क्षेत्र में अमेरिका एवं अन्य देशों से आयातित परमाणु कचरे का निपटारा किया जाता है जो कि उस क्षेत्र में नाभिकीय प्रदूषण के रूप में खतरा बना हुआ है। इसका विरोध भी समय-समय पर किया जाता रहा है। कभी-कभी भारतीय नाभिकीय अनुसंधान केन्द्रों पर असावधानी के कारण रेडियोधर्मी किरणों के विकिरण की खबरें सुनाई देती हैं।

वर्ष 2010 में दिल्ली में कचरे की दुकान में रेडियोधर्मी किरणों के विकिरण की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution)

भारतीय समाज में पर्यावरणीय समस्याओं का एक अन्य स्वरूप ध्वनि प्रदूषण के रूप में भी मौजूद है। जब ध्वनि की तीव्रता एक निश्चित इकाई से आगे बढ़ जाती है तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। भारत में प्रायः धार्मिक जुलूसों, त्योहारों आदि के समय ध्वनि विस्तारक (Loud Speakers) यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो कि पास-पड़ोस के लोगों को प्रभावित करते हैं, इसके अलावा महानगरों में मोटर गाड़ियों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। शहरों के चौराहों पर कभी-कभी ध्वनि की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है। इसके अलावा डिस्कोथेक, संगीत केन्द्रों में अत्यधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जोकि वहाँ उपस्थित लोगों को दुष्प्रभावित करती है। रॉकेटों, वायुयानों से उत्पन्न अत्यधिक डेसीबल की ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं।

पर्यावरण पर पड़ रहे इन दुष्प्रभावों (Side Effects) के प्रति मानव काफी देर से जागरुक हुआ तथा इसके लिए संगठित प्रयास 20वी सदी के उत्तरार्द्ध में ही शुरू हो पाए। यह महसूस किया गया कि पर्यावरणीय संसाधन अनंत नहीं हैं। पर्यावरण एक सीमा तक ही संसाधनों का पुनर्चक्रण कर सकती है। अतः 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इनवायरमेंट (ब्रंटलैंड आयोग) ने सतत् विकास की अवधारणा रखी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगठनों, मानकों, नियमों द्वारा इसका सार्वजनीकरण करके इसे विश्व स्तर पर प्रसारित करने का प्रयास किया गया।

भारत सरकार ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कई कार्य किए हैं। भारत ने प्रदूषण तथा पर्यावरण क्षरण (Environmental Degradation) रोकने के लिए कई नियम तथा नीतियाँ बनायी हैं। जैसे केन्द्रीय वन नीति, वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि। भारत में भी विकास के लिए धारणीय विकास की अवधारणा को अपनाया गया है ताकि विकास यात्रा में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे।

पर्यावरणीय जागरुकता का विकास पर प्रभाव
(Effect of Environmental Awareness on Development)

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करने के कार्यक्रम शुरू करने के लिए गैरसरकारी संगठनों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है।

इन सभी प्रयासों तथा सूचना क्रांति (Information Revolution) के सहयोग से जन साधारण तक पर्यावरण जागरुकता बढ़ाने में सहायता मिली है तथा लोग अब अपने आस-पास के पर्यावरण के प्रति सचेत हो रहे हैं।

उपरोक्त प्रयासों से पर्यावरण के अतिशय दोहन पर अंकुश लगा है। कई जगहों पर पर्यावरण को बचाने में ये प्रयास कामयाब हुए हैं तथा जन आंदोलनों तथा न्यायपालिका की मदद से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यों पर रोक लगाई जा सकी है। इसी प्रकार का एक उदाहरण पॉलीथीन बैग्स पर रोक है। सख्त सरकारी नियमों के कारण ही जंगल तथा जंगलों में बसी जैव-विविधता (Bio-diversity) अभी तक संरक्षण पा रही है तथा अवैध वनोन्मूलन और शिकार पर भी अंकुश लग पाया है।

हालांकि ये नियम या प्रयास निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में ज्यादा सख्त नियम तथा आन्दोलन इसके विकास के मार्ग में बाधा बनकर भी सामने आ रहे हैं। इसे समझने के लिए चर्चित वेदांता एल्युमीनियम लिमिटेड के प्रकरण को देख सकते हैं।

वेदांता ने 2003 में 'उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन' के साथ ज्वाइंट वेंचर में लांजीगढ, कालाहांडी (ओडिशा) में एक एल्युमीनियम रिफाइनरी की स्थापना की। इस रिफाइनरी के लिए बॉक्साइड का खनन पास के नियमगिरि पहाड़ी से होना था जिसका वायदा ओडिशा सरकार द्वारा कम्पनी को किया गया था। पहले चरण की पर्यावरण अनुमति के बाद वेदांता द्वारा भारी निवेश करके इस रिफाइनरी की स्थापना की गयी, जिसकी क्षमता एक मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इसे बढ़ाकर छः मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता पर लाने की योजना वेदांता की है। परन्तु दूसरे चरण की पर्यावरणीय अनुमति केन्द्र

सरकार से नहीं मिल पाई तथा खनन (Mining) के लिए आवश्यक भूमि वेदांता को नहीं मिल पायी, बॉक्साइड की कमी के कारण इस रिफाइनरी को कुछ महीने बंद भी रखना पड़ा और अभी भी यह रिफाइनरी अपनी स्थापित क्षमता के 60% पर ही चल पा रही है। इसे अपनी रिफाइनरी के लिए बॉक्साइड दूसरे राज्यों से माँगना पड़ रहा है जबकि ओडिशा बॉक्साइड खनिज के मामले में धनी राज्य है।

वेदांता की इस परियोजना का विरोध नियमगिरि के मूल निवासियों, पर्यावरणविदों तथा केन्द्र सरकार ने भी किया है। मूल निवासी डोंगरिया, कोंध तथा कुटिया कोंध का कहना है कि उनकी आजीविका के स्रोत पवित्र जंगल हैं जिन्हें वे पूजते हैं, खनन कार्य के कारण नष्ट हो जाएंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि यहाँ परियोजना पूर्व पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) सही से नहीं किया गया है। खनन कार्य के कारण जंगल कटने से वर्षा की मात्रा में कमी आएगी और खनन के कारण भूमिगत जल स्रोत भी या तो समाप्त हो जाएंगे या दूषित हो जाएंगे जिससे यहाँ की दो बड़ी नदियों तथा कई अन्य छोटी-छोटी धाराओं के प्रवाह पर असर पड़ेगा तथा ये सूख भी सकती हैं। केन्द्र सरकार ने भी पर्यावरण संबंधी नियमों का सही से पालन नहीं करने को ही आधार बनाकर दूसरे चरण की मंजूरी को रोक दिया है।

इसी प्रकार की समस्या का सामना दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी पोस्को को भी अपनी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में करना पड़ा आर्सेलर मित्तल ने तो 50,000 करोड़ के स्टील संयंत्र की स्थापना की योजना को ही रद्द कर दिया।

दिल्ली में न्यायालय के आदेश से सैकड़ों प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करवाया गया। लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत तो अवश्य मिली परन्तु साथ ही निम्नवर्गीय मजदूरों के रोजगार भी छिन गए। के. कस्तूरीरंगन ने पश्चिमी घाट में पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की अनुसंशा की है जिसमें ऐसी कोई भी गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकेंगी जो प्रदूषण, वन विनाश तथा जैव-विविधता के लिए खतरे का कारण बनें। इससे पर्यावरण मित्र काफी खुश हुए परन्तु साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि इन क्षेत्रों में विकास की कोई भी गतिविधि नहीं चलाई जा सकेगी।

भारत को अपने विकास की दर बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है और भविष्य में इस मांग का और भी बढ़ना तय है। इसके लिए भारत को जल विद्युत तथा नाभिकीय विद्युत की ओर कदम बढ़ाना है परन्तु आजकल सभी बड़ी पनबिजली योजना का विरोध हो रहा है। एक भी नई बड़ी योजना नहीं बन पायी है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए कुडनकुलम में स्थापित नाभिकीय संयंत्र को भी पार्यावरण संरक्षण (Environment Protection) के नाम पर भारी विरोध झेलना पड़ा जबकि नाभिकीय ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है।

इसी तरह भारत के पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट के बीच संपर्क तीव्र करने तथा यात्रा समय और ईंधन खपत घटाने के लिए जब 'सेतुसमुद्रम' परियोजना की संकल्पना लायी गयी तो समुद्री पर्यावरण के नष्ट होने तथा जैव-विविधता पर बुरा असर पड़ने की बात पर्यावरण के हितैषियों ने रखी।

इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पर्यावरण तथा विकास के बीच टकराव देखने को मिल जाता है। कई विकास परियोजनाएँ इसी टकराव के कारण अधर में लटकी हैं। यह सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, यह समस्या विश्व के सभी विकासशील देशों में मौजूद है। यही नहीं विश्व के विकसित देशों को भी अपने विकास के क्रम में इस समस्या को झेलना पड़ा था।

पोस्को

भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना है। इसमें कैप्टीव लौह अयस्क खान, इस्पात संयंत्र और एक निजी बन्दरगाह शामिल है।

22 जून, 2005

ओडिशा सरकार तथा पोस्को-इंडिया, दक्षिण कोरिया की पोस्को कॉरपोरेशन की सहायक, के बीच एक समझौता हुआ। समझौता एक एकीकृत लौह-अयस्क खान-स्टील संयंत्र एवं एक निजी बंदरगाह के लिए हुआ।

समझौते के अन्दर 4004 एकड़ की जमीन स्टील प्लांट (जगतसिंहपुर जिला) के लिए आवंटित की गयी है। इसमें से 1,253 हेक्टेयर (लगभग 3000 एकड़) वन भूमि आधिकारिक रूप से वन भूमि है। हालांकि यह वन भूमि अधिकांशतः जोत भूमि में बदल चुकी है जिस पर पान, काजू तथा अन्य नकदी फसलों की खेती होती है और कुछ लोग मत्स्यपालन भी करते हैं। इनमें से कुछ परिवार सदियों से तो कुछ दशकों से यहाँ रह रहे हैं। इस क्षेत्र में वनोरोपण (Forestation) की माँग के कारण इसे वन भूमि घोषित कर दिया गया था।

यहाँ वास्तविक मुख्य वन मैंग्रोव है जो काफी कम है। स्वामित्व अभिलेख के अभाव में जो 4,000 परिवार भौतिक रूप से विस्थापित होंगे उनमें सिर्फ 270 ही अधिकारिक रूप से क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी होंगे।

अगस्त / सितम्बर, 2005

पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति का गठन पोस्को परियोजना के विरोध के लिए हुआ।

उपरोक्त टकराव के कारण पोस्को को 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष के संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमति लेने में लगभग 9 साल का समय लग गया।

वेदांता

- ***2003–*** स्टरलाइट, जो अब वेदान्ता एल्युमीनियम लिमिटेड कहलाती है, ने नियमगिरी पहाड़ी में बॉक्साइट के खनन के लिए उड़ीसा खनन निगम (Odisa Mining Corporation) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- ***2007–*** नियमगिरि से बाक्साइट मिलने की आशा से वेदान्त एल्युमीनियम लिमिटेड ने लानजीगढ़ में 1 मिलियन टन की क्षमता वाली एल्युमीनियम रिफाइनरी की शुरूआत की।

- ***जुलाई, 2010***— केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय तथा उड़ीसा के मुख्य सचिव ने अलग-अलग जाँच के आदेश दिए कि क्या खनन से नियमगिरि में रह रहे डोंगरिया आदिवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण होगा?
- ***16 अगस्त, 2010***— केन्द्र के द्वारा स्थापित 4 सदस्यीय दल ने पाया कि वेदान्ता एल्युमीनियम लिमिटेड (वीएएल) ने राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर वन तथा पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया है।
- ***अगस्त, 2010***— केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस ज्वाइंट वेंचर को पहले दिए गए अनापत्ति को रद्द कर दिया।
- ***18 अप्रैल, 2013***— उच्चतम न्यायालय ने जंगल वासियों का दृष्टिकोण जानने के लिए उस क्षेत्र के 12 ग्राम सभाओं के आयोजन का आदेश दिया।
- ***15 जुलाई, 2013***— वेदांता रिफाइनरी जो दिसंबर, 2012 से बॉक्साइट की कमी के कारण बंद थी उसे फिर से दूसरे राज्यों से बॉक्साइट मंगाकर चालू किया गया।
- ***18 जुलाई, 2013***— सरकापाड़ी गाँव (जिला रायगढ़) में आयोजित पहली ग्राम सभा ने खनन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।
- ***19 अगस्त, 2013***— पहले की सभी ग्राम सभाओं की तरह जरपा गाँव में आयोजित 12वीं ग्राम सभा ने भी इस खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

कुछ का मानना है कि पहले विकास होना चाहिए तभी हम पर्यावरण पर ध्यान दे पाएंगे तथा उसकी रक्षा कर सकेंगे तो वहीं दूसरों का मानना है कि यदि पर्यावरण समाप्त हो जाएगा तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा अर्थात् ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं है जो मानव के अस्तित्व को ही मिटा दे।

कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि पर्यावरण पर जोर विकसित देशों की सोची समझी रणनीति है ताकि विकासशील देश उनकी बराबरी नहीं कर सकें और वे अपनी पर्यावरण अनुकूल तकनीक को मंहगे उत्पाद की तरह बेच सकें, वह भी तब जब सबसे ज्यादा प्रदूषण विकसित देशों ने ही अपने विकास के क्रम में फैलाया है। आज भी विकसित देशों का कार्बन फुटप्रिंट विकासशील देशों से ज्यादा है।

पर्यावरण तथा विकास का द्वंद्व (Conflict of Development) हमेशा चलता रहता है। कुछ लोगों को पर्यावरण ज्यादा महत्त्वपूर्ण लगता है तो कुछ को विकास। यह ध्यान देने योग्य है कि हम न तो विकास में पिछड़ना चाहते हैं और ना ही पर्यावरण को नष्ट करके विकास प्राप्त करना चाहते हैं। हमें विकास की वह प्रक्रिया अपनानी होगी जहाँ विकास तथा पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक (Supplementary) का कार्य करें अर्थात् एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना आवश्यक है जिसमें पर्यावरण तथा विकास संतुलित रूप से साथ-साथ विद्यमान रहे। ऐसी ही संकल्पना सतत् धारणीय विकास की है, जिसमें विकास के लिए उन माध्यमों को अपनाया जाता है जिससे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे। यह अवधारणा है तो काफी अच्छी पर एक विकासशील देश में जहाँ तकनीकी विकास कम है, जनसंख्या अत्यधिक है, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या जड़ें जमाए है और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, इसे लागू कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। भ्रष्टाचार की मौजूदगी में यह समस्या और भी दुष्कर हो जाती है। भ्रष्टाचार के कारण कई परियोजनाएँ सही होने पर भी अटका दी जाती हैं जबकि कई ऐसी परियोजनाएँ, जो पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकर होती हैं, पास कर दी जाती हैं।

भारत को अपनी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं के लिए विकास की अत्यंत आवश्यकता है तो पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता भी है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुझाव
(Suggestions for Environmental Protection in India)

पर्यावरण तथा विकास में संतुलन स्थापित करके ही सही मायने में विकास किया जा सकता है। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:—

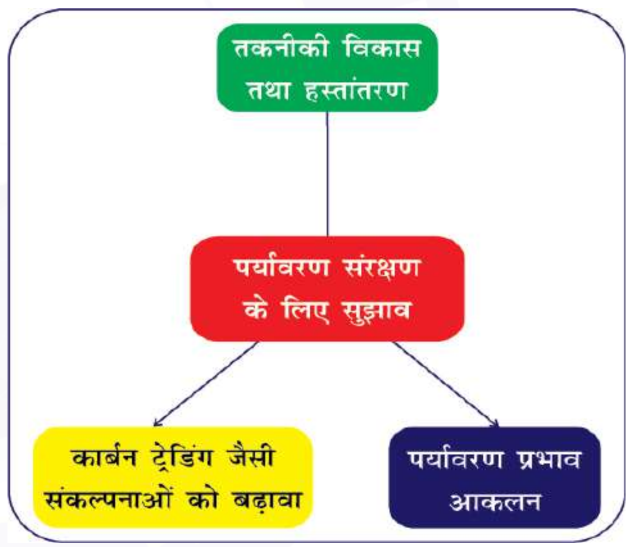

1. ***तकनीकी विकास तथा हस्तांतरण (Technological Development and Transfer)***— विकास के लिए स्वच्छ तकनीकों की खोज तथा उसके उपयोग पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम से कम किया जा सके। इन स्वच्छ तकनीकों के विकास के साथ-साथ इन तकनीकों का हस्तांतरण (Transfer of Technologies) भी तीव्र गति से व मुफ्त या बहुत कम कीमत पर होना चाहिए क्योंकि प्रदूषण से सिर्फ प्रदूषणकारी ही प्रभावित नहीं होता बल्कि अन्य भी प्रभावित होते हैं। अतः इस प्रकार के प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने चाहिए और इसके लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर प्रयत्न करने चाहिए।

2. ***पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment)*** – यह किसी मानवीय गतिविधि का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान, माप, उसके महत्त्व की व्याख्या, मूल्यांकन करना तथा इन परिणामों के आधार पर प्रतिकूल प्रभावों (Adverse Effect) को समाप्त या न्यूनतम करने के लिए उपाय करना और इसके लिए निगरानी व्यवस्था करने की प्रक्रिया है।

   सभी परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन सही तरीके से किया जाना चाहिए जिससे बाद में इस पर कोई विवाद न हो।

3. ***कार्बन ट्रेडिंग जैसी संकल्पनाओं को बढ़ावा (Promote to Concept like Carbon Trading)*** – कार्बन ट्रेडिंग जैसी संकल्पनाएँ पर्यावरण संरक्षण तथा इसके लिए पर्यावरण हितैषी तकनीकों (Environment Friendly Technologies) के प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि इसमें पर्यावरण की रक्षा में योगदान देने के लिए योगदानकर्त्ता को आर्थिक लाभ मिलता है।

4. ***कर छूट (Tax Rebate)*** – पर्यावरण हितैषी तकनीकों के प्रयोग तथा उसके आविष्कार के लिए सरकार की तरफ से कर में छूट या सहायिकी प्रदान की जानी चाहिए।

5. ***सार्वजनिक परिवहन (Public Transportation)*** – सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके विकास तथा पर्यावरण में संतुलन लाया जा सकता है। यदि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को स्वच्छ ईंधन पर चलाया जाये तथा इसकी कीमत कम रखी जाए तो पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना विकास के लिए जरूरी गतिशीलता को बनाए रखा जा सकता है।

6. ***स्थानीय लोगों की राय तथा लाभ में साझेदारी (Local People's Opinion and Share in benifits)*** – किसी परियोजना में स्थानीय लोगों की राय को शामिल कर तथा परियोजना के लाभ में उन्हें हिस्सा देकर और पर्यावरण पर प्रभाव (Effect on Environment) के बारे में उन्हें सही जानकारी प्रदान करके विकास कार्य के विरोध को कम किया जा सकता है। स्थानीय लोगों की राय से इसे पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया जा सकता है।

7. ***सरकार की तरफ से सही जानकारी (Correct information from the Government)*** – सरकार को भी किसी परियोजना से पहले कम्पनी तथा स्थानीय जनता दोनों को सही जानकारी देनी चाहिए। सरकार को अपनी ओर से झूठे वायदे नहीं करने चाहिए जैसा कि वेदांता मामले में राज्य सरकार ने एल्युमीनियम के लिए बॉक्साइड की आपूर्ति का वायदा किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर पायी। इसी प्रकार केन्द्र सरकार को पहले चरण की मंजूरी से पहले ही अन्वेषण कर लेना चाहिए था।

8. ***पर्यावरण की आड़ में राजनीति न हो (There Should be no Politics under the guise of Environment)*** – कई बार पर्यावरण का सहारा लेकर मुद्दों पर राजनीति की जाती है तथा जानबूझकर विकास कार्य में रोड़े अटकाए जाते हैं। इससे सभी दलों तथा नेतृत्व को बचना चाहिए। उन्हें अपने लाभ के लिए पर्यावरण का सहारा नहीं लेना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण में रेलवे की पहल
(Railway's Initiative in the Environmental Protection)

पर्यावरण संरक्षण में भारतीय रेल की भूमिका की व्यापक रूप से सराहना की गयी है। रेल परिवहन में ऊर्जा की किफायत के अलावा नवीकरण योग्य ऊर्जा का इस्तेमाल और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना रेलवे की प्राथमिकता है। रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया है और वह पन-चक्की, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय (Renewable) ऊर्जा मंत्रालय से लगभग 40% सब्सिडी प्राप्त हुई है। शुरूआत में 200 रेलवे स्टेशनों, 26 इमारतों की छतों और 2,000 समपार फाटकों को इसमें शामिल किया गया।

स्टेशनों के पहुँच मार्ग के निकट रेल-पथ के आस-पास सौंदर्यपूर्ण परिवेश बनाने के उद्देश्य से आगरा और जयपुर स्टेशनों पर पायलट आधार पर 'ग्रीन कर्टेन' का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक उपयुक्त दूरी तक रेलवे बाउंडरी के साथ-साथ समुचित ऊँचाई की आर.सी.सी. बाउंडरी वाल का निर्माण, रेलपथ से चारदीवारी और स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में लैंडस्केपिंग और खुले में मलत्याग और कूड़ा-करकट फैलाने पर नियंत्रण रखने के लिए समुचित निगरानी की व्यवस्था शामिल है। इस पायलट परियोजना के सफल होने पर रेलवे नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों का समर्थन प्राप्त करने के अलावा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सम्बन्धी उपायों के जरिए कम्पनियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के इच्छुक हैं।

सवारी डिब्बों के भीतर और रेलवे लाइनों पर साफ-सफाई की ओर विशेष ध्यान देने के लिए रेलवे द्वारा बायो-टॉयलेट डिजाइन अपनाया गया है और यह टेक्नोलॉजी लगभग 2,500 सवारी डिब्बों में शुरू की गयी है। इस टेक्नोलॉजी का उतरोत्तर विस्तार करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति-2006 के उद्देश्य
(Objectives of National Environmental Policy-2006)

इस नीति के मुख्य उद्देश्यों का विवरण नीचे दिया गया है। ये उद्देश्य प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों की वर्तमान अवधारणाओं से सम्बन्धित हैं। तदनुसार ये समय के साथ क्रमिक रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं:–

1. ***महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण (Conservation of Important Environmental Resources)*** – उन महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणालियों, संसाधनों तथा प्राकृतिक व मानव निर्मित मूल्यवान धरोहरों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, जो जीवन रक्षक आजीविका/आर्थिक तथा मानव कल्याण की व्यापक संकल्पना के लिए अनिवार्य हैं।

2. ***गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा (Livelihood Security for the Poor) –*** समाज के सभी तबकों के लिए पर्यावरणीय संसाधनों तक पहुँच तथा गुणवत्ता की समानता सुनिश्चित करना तथा विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करना कि निर्धन समुदाय जो आजीविका के लिए सर्वाधिक रूप से पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर हैं, उन्हें ये संसाधन अवश्य मिलें।
3. ***पीढ़ियों में समता (Equity Across Generations) –*** वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का न्यायोचित प्रयोग सुनिश्चित करना।
4. ***आर्थिक तथा सामाजिक विकास में पर्यावरणीय सरोकारों का एकीकरण (Integration of Environmental Concerns into Economic and Social Development) –*** आर्थिक तथा सामाजिक विकास के उद्देश्य से पर्यावरणीय सरोकारों को योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के रूप में एकीकृत करना।
5. ***पर्यावरणीय संसाधनों के प्रयोग में दक्षता (Efficiency in use of Environmental Resources) –*** प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए आर्थिक उत्पादन की प्रति इकाई में प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में कमी करके उनका सही प्रयोग सुनिश्चित करना।
6. ***पर्यावरणीय संचालन (Environmental of Operations) –*** पर्यावरणीय संसाधनों के प्रयोग के प्रबंधन तथा विनियमन के संबंध में बेहतर संचालन (पारदर्शिता, न्यायोचितता, जवाबदेही, समय तथा लागतों में कमी, सहभागिता तथा नियंत्रण की स्वतंत्रता) के सिद्धांत को लागू करना।
7. ***पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधनों में बढ़ोत्तरी (Increase in Resources for Environmental Protection) –*** स्थानीय समुदायों, सार्वजनिक एजेंसियों, शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय, निवेशकों और बहुपक्षीय और द्वि-पक्षीय विकास पार्टनरों के मध्य परस्पर लाभकारी बहु हितधारक सहभागिताओं के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु वित्त, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन कौशल, पारंपरिक ज्ञान तथा सामाजिक पूंजी आदि को शामिल करते हुए अधिक संसाधन प्राप्ति सुनिश्चित करना।

उपरोक्त कुछ उपायों से पर्यावरण व विकास में टकराव से बचा जा सकता है।

मानव को विकास की उस स्थिति तक जाना होगा जहाँ पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यदि क्षति हो भी तो सिर्फ इतनी जिसे प्रकृति आसानी से पूर्ति कर ले।

विकास एवं विस्थापन (Development and displacement)

विकास और विस्थापन दो विरोधाभाषी शब्द लग सकते हैं लेकिन यह हमारे राष्ट्रीय जीवन के तथ्य हैं और हमारी किसी भी कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक रहे हैं। भारत में पिछले 50 सालों में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इनके घरों, झोपड़ियों, खेतों, जंगलों, नदी, तालाबों, कुँओं, चारागाहों आदि की राष्ट्रीय हित की वेदी पर बलि ले ली गयी। ये लाखों लोग अपने जीवन, आजीविका जीवन शैली के विनाश के गवाह स्वयं हैं। फिर भी नीति नियोजकों, राजनेताओं और सरकारों के लिए, इन वर्षों में, यह कोई मुद्दा नहीं रहा है इससे स्पष्ट है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे पनबिजली, सिंचाई परियोजना, खान (विशेषकर खुली खदान), वृहद ताप तथा आण्विक बिजली परियोजना, औद्योगिक परिसरों आदि के परिणाम के रूप में विस्थापित हुए लोगों के बारे में सरकार के पास कोई वास्तविक आंकड़े नहीं हैं।

विकास परियोजनाओं (Development Projects) में अक्सर उस जमीन का नियंत्रण विकासकर्त्ता (डेवलपर) के हाथों में चला जाता है, जो पहले किसी दूसरे के हाथों में था। प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण, शहरी नवीकरण या विकास कार्यक्रम, औद्योगिक पार्क और बुनियादी ढाँचा (जैसे-राजमार्ग, पुल, सिंचाई, नहर, बांध) परियोजनाओं में अक्सर बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों तथा समुदायों का विस्थापन या उथल-पुथल इसका एक आम परिणाम है। विस्थापन तथा पुनर्वास (Rehabilitation) पर लिखे गए लेखों में सिर्फ उन्हीं भौतिक विकास परियोजनाओं को विस्थापन का कारण माना जाता है, जिनमें भूमि जब्ती की आवश्यकता होती है, जबकि सिर्फ इसी प्रकार की परियोजनाएँ विस्थापन का कारण नहीं हैं, संरक्षण परियोजनाएँ (Conservation Projects) जैसे वन्य जीवन की पुनः शुरूआत, खेल पार्क तथा जैव-विविधता क्षेत्र आदि का निर्माण भी अक्सर विस्थापन का कारण बनते हैं। हालांकि और भी तरह के विस्थापन होते हैं, जैसे काम की तलाश हेतु प्रवास आदि। परन्तु हमारी चर्चा का विषय यहाँ आज्ञप्ति/आदेश द्वारा भौतिक विस्थापन से है।

विस्थापन के कारणों में विकास परियोजनाओं के कई प्रकार हैं। सुविधा के लिए हम इन्हें तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। ये हैं-बांध, शहरी नवीकरण और विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण।

विकासजनित विस्थापन का स्वरूप (Nature of developmental displacement)

बांध से विस्थापन (Displacement from Dam)

अन्य विकास परियोजनाओं की तरह बांध से विस्थापित हुए लोगों की संख्या पर भी काफी विवाद है।

हीराकुंड बांध से विस्थापित लोगों की संख्या आधिकारिक रूप से एक लाख बताई गयी परन्तु शोधकर्ताओं ने आंकड़े 1.80 लाख बताए हैं। फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट से प्रभावितों की संख्या अधिकारिक रूप से शून्य बतायी गयी, लेकिन विश्व बैंक ने 63,325 का आंकड़ा प्रदर्शित किया है।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बांध निर्माता देश है। जहाँ 3600 बड़े बांध हैं तथा 700 बांध निर्माण प्रक्रिया में हैं।

यह भी स्पष्ट है कि परियोजना अधिकारी विस्थापन और पुनर्वास की समस्या का परियोजना (Problem of Displacement and Rehabilitation) के महत्त्वपूर्ण भागों के रूप में विचार नहीं करते हैं। उनकी प्राथमिकता इंजीनियरिंग, बिजली तथा सिंचाई के लाभों को देखना तथा उन पर विचार करना होता है। वे जनसंख्या के विस्तृत तथा व्यवस्थित सर्वेक्षण पर कम ही ध्यान देते हैं। इससे वास्तविक प्रभावितों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

अच्छी तरह से ज्ञात है कि परियोजना अधिकारी अक्सर उससे कम विस्थापन आँकड़े दिखाते हैं, जितना कि वास्तविकता में हो सकता है ताकि अनुकूल लागत (Favorable Cost) लाभ दिखाकर परियोजना के लिए मंजूरी ली जा सके।

विश्व बैंक द्वारा विस्थापन और पुनर्वास के स्थिति की समीक्षा से पता चला है कि 192 परियोजनाओं में लगभग 6 करोड़ लोगों को परियोजना नियोजन में गिना ही नहीं गया। एक उदाहरण में परियोजना से विस्थापित वास्तविक लोगों की संख्या परियोजना दस्तावेज में अंकित संख्या का 7 गुना थी।

1979 में सरदार सरोवर जलाशय से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 6000 से थोड़ा ऊपर होने का अनुमान किया गया था। 1987 में यह बढ़कर 12000 हो गयी। 1991 में यह 27,000 हो गयी। 1992 में सरकार ने प्रभावित परिवार 40,000 होने की घोषणा की, आज यह 40,000 से 41,500 के बीच घूम रही है। परन्तु नर्मदा बचाओं आन्दोलन के अनुसार वास्तविक संख्या 85,000 है।

जबलपुर के पास नर्मदा पर पूरा होने वाला यह पहला बांध था। 1990 के बजट में तय राशि का दस गुणा खर्च आया तथा तय भूमि से 3 गुना ज्यादा भूमि डूब गयी। जब जलाशय में पानी भरा गया तो अनुमानित 101 गाँव की जगह 162 गांव डूब गए।

शहरी नवीकरण और विकास से उत्पन्न विस्थापन (Displacement Resulting from Urban Renewal and Development)

शहरी बुनियादी ढाँचे और परिवहन परियोजनाएँ जो विस्थापन का कारण बनती है उनमें झुग्गी झोपड़ी सफाई तथा उन्नयन, सीवरेज सिस्टम निर्माण तथा उन्नयन, स्कूल, हॉस्पिटल, बंदरगाह तथा संचार और यातायात नेटवर्क का निर्माण शामिल है, जो विभिन्न शहरी केन्द्रों को जोड़ती हैं। इसके अलावा औद्योगिक और वाणिज्यिक संपदा की स्थापना से भी विस्थापन हो सकता है।

विश्व बैंक पर्यावरण विभाग के अनुमान के अनुसार विकास जनित विस्थापन का 60% (लगभग 60 लाख), प्रत्येक वर्ष, शहरी अवसंरचना और परिवहन परियोजना का परिणाम होता है।

1980 में जहाँ विश्व की जनसंख्या का 15.8% (लगभग 40 लाख) निवासी शहरों में निवास करते थे वहीं जनसांख्यिक 2025 तक इसके 24.5% तक हो जाने का अनुमान करते हैं। यह अनुमान विकासशील देशों के लिए 28.2% है। ग्रामीण विकास परियोजनाओं (Rural Development Projects) ने भी इसके बढ़ने में अपना योगदान दिया है क्योंकि विस्थापितों में से ज्यादातर को शहरों में पुनर्वासित किया गया है या वे अपने खराब पुनर्वास स्थल से काम की तलाश में शहरों की ओर चले गए।

प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से विस्थापन (Displacement form Extraction of Natural Resources)

इस श्रेणी के विस्थापन में मुख्यत: खनिज और तेल निष्कर्षण परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन शामिल हैं। समानता के बावजूद वानिकी निकास परियोजनाओं (Forestry extraction projects) को अनुसंधानों में संरक्षण प्रेरित विस्थापन माना गया है। प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से विस्थापितों के कोई प्रमाणिक आँकड़े (संचयी या वार्षिक) उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु विश्व बैंक परियोजनाओं के आंकड़ों के अनुसार इसके द्वारा विस्थापन बांध तथा शहरी नवीकरण परियोजनाओं के द्वारा विस्थापन से काफी कम है।

विकास जनित विस्थापन तथा पुनर्वास सम्बन्धी आंकड़ों में प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से होने वाले विस्थापन के कम मामले के होने के मुख्यत: दो कारण हो सकते हैं। पहला, खनन तथा तेल परियोजनाएँ बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं (Infrastructure Projects) के मुकाबले कम/सीमित संख्या में विस्थापन करते हैं।

दूसरा, निष्कर्षण परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए एक तेल पाइपलाइन से रिसाव के कारण पीने का पानी दूषित हो सकता है तथा खेत बंजर हो सकते हैं, इससे वहां रहने वाले परिवार को अपना घर, जमीन छोड़कर एक सुरक्षित जगह जाना पड़ सकता है। इस प्रकार के विस्थापन अस्पष्ट होते हैं तथा शायद ही कभी इसके लिए पुनर्वास किया जाता है।

विस्थापन से उत्पन्न समस्याएँ (Problems Resulting from Displacement)

1. बहुत सारे विस्थापितों को बार-बार विस्थापन से गुजरना पड़ता है। इसका एक उदाहरण सिंगरौली में विस्थापित लोग हैं जिसमें से 2 लाख लोग वे हैं जो रिहन्द बांध से 1964 में विस्थापित हुए थे। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता स्मितु कोठारी कहते हैं कि हजारों लोग पुनर्वास के अभाव में जलाशय के किनारे बस गए। वे गर्मियों में जलाशय का जल सूखने से बाहर आई भूमि पर खेती करके जीवन-यापन करने लगे। वे बाद में ताप विद्युत संयंत्र, कोयला खान, रेलों, उद्योगों एवं शहरीकरण द्वारा फिर से बार-बार विस्थापित हुए क्योंकि

उनकी अस्थाई बस्तियों को परिवहन तथा वनोरोपण के कारण फिर से बार-बार खाली कराया गया।

2. व्यक्ति जहाँ रहता है वहां उसका एक सामाजिक संबंधों का ताना-बाना बुना रहता है। एक गांव या शहर में जो लोग लम्बे समय से एक ही जगह रह रहे होते हैं वहां उनका आस पड़ोस के लोगों तथा वातावरण से एक मानसिक लगाव उत्पन्न हो जाता है और चाचा, भैया, दादा आदि जैसे मुंहबोले सम्बन्ध बन जाते हैं तथा एक पारिवारिक ढांचा सा तैयार हो जाता है।

   नई जगह पर विस्थापित होने से व्यक्ति के ये सारे संबंध तथा लगाव को एक बड़ा झटका लगता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में विखराव आने लगता है। जब यह विखराव अधिक हो तो व्यक्ति अवसाद में जा सकता है तथा अवसाद के गहराने से व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है।

3. व्यक्ति जहाँ होता है वहीं वह अपने जीवन-यापन तथा अन्य साधनों का विकास करता है, जैसे-व्यवसाय सम्पर्कों का निर्माण। जब व्यक्ति विस्थापित होता है तो उसके ये संपर्क, जो काफी मेहनत से लंबे समय में बने होते हैं, टूट जाते हैं तथा फिर से नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है।

4. विस्थापितों में जमीन से बेदखली (Eviction) (भूमिहीनता), बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, आम / सामुदायिक संपत्तियों तक पहुँच में कमी, बेघरी आदि के कारण गरीबी आ जाती है। इससे ये अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं।

5. विस्थापियों का पुनर्वासन अधिकांशतः सही तरीके से नहीं हो पाता है। पुनर्वास स्थल पर सार्वजनिक सुविधाओं का आभाव होता है, नागरिक तथा मानव अधिकारों का हनन होता है।

6. पुनर्वासित स्थलों पर कानून व्यवस्था की समस्या काफी ज्यादा आती है तथा अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। इससे न सिर्फ विस्थापित प्रभावित होते हैं बल्कि जहाँ विस्थापन किया गया है वहां के लोग भी प्रभावित होते हैं। जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों को हासिल करने की होड़ सी लग जाती है तथा कई बार पुनर्वासितों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष भी होने लगते हैं।

7. ज्यादातर विस्थापित बेहतर माहौल तथा रोजगार के लिए शहर में चले जाते हैं। इससे शहरों में भी भीड़ बढ़ती है तथा झुग्गी झोपड़ियों जैसे अस्वास्थ्यकर (Unhealthy) एवं जन सुविधा रहित केन्द्रों का शहर में विस्तार होता चला जाता है।

8. विस्थापन के समय विस्थापित जनसंख्या की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच भी सीमित हो जाती है। पुनर्वास स्थलों पर आधारभूत संरचना का विकास तुरंत नहीं हो पाता इस कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास भी जल्दी नहीं होता। यह देखा गया है कि विस्थापन के समय विस्थापित जनसंख्या में रुग्णता तथा मृत्युदर बढ़ जाती है।

9. विस्थापन की समस्या तथा इसका विरोध होने के कारण कई परियोजनाएँ बीच में ही अटक जाती हैं। इससे कई परियोजनाओं का खर्च अनुमान से कई गुणा ज्यादा हो जाता है।

इस तथ्य के बावजूद कि विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों की संख्या भारत के विभाजन से विस्थापित लोगों की संख्या का तीन गुना है, यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में प्रवेश नहीं कर पाया है। इस कठोर रवैया का कारण, विद्वानों के अनुसार यह है कि विस्थापितों में ज्यादातर संपत्तिविहीन (Propertyless) ग्रामीण गरीब हैं जैसे भूमिहीन श्रमिक तथा छोटे सीमांत कृषक/जनजातियाँ जो भारत की जनसंख्या का लगभग 8.08% हैं वे विस्थापितों में लगभग 55% हैं। दलित विस्थापितों में 20% हैं तथा अन्य विस्थापितों में ग्रामीण गरीब हैं। यह स्पष्ट है कि ज्यादातर शक्तिहीन तथा मूक लोगों को विस्थापित किया गया तथा राष्ट्रीय विकास का मूल्य चुकाने के लिए बाध्य किया गया।

भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 तैयार की। नई नीति को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। यह 31 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी हो गयी। इसके आधार पर कई राज्य सरकारों ने अपनी स्वयं की पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीतियाँ बनायीं हैं।

राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति (NRRP), 2007 उन सभी विकास परियोजनाओं के लिए लागू है जिनसे लोगों का अनैच्छिक विस्थान हो।

नीति का उद्देश्य विस्थापन को कम करना तथा जब तक संभव हो विस्थापन न करने वाले या कम से कम विस्थापन करने वाले विकल्पों को बढ़ावा देना है।

नीति में पर्याप्त पुनर्वास पैकेज और प्रभावित लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनर्वास प्रक्रिया का शीघ्र कार्यान्वयन (Implementation) सुनिश्चित करना है।

नीति समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा की जरूरत की पहचान करती है।

विकासजनित विस्थापन तथा जनजातीय समूह
(Development Induced Displacement and Tribal Groups)

विकासजनित विस्थापन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव जनजातीय समूहों पर पड़ता है। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय समूह की भागीदारी सिर्फ 8.1% है, जबकि विस्थापन से प्रभावित लोगों के आंकड़ों पर नजर डालें तो विस्थापितों में जनजातीय समूह की संख्या का अनुपात 55.16% अर्थात् आधे से भी अधिक है।

विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन एक चुनौती है। –कृष्णा तीरथ, महिला एवं बाल विकास मंत्री (मई, 2011)

उपरोक्त टिप्पणी गम्भीरता से यह गवाही देती है कि आदिम जाति कल्याण कानून जैसे-पेसा (PESA), वन अधिकार नियम, 2006 तथा यहाँ तक कि संविधान की पांचवी अनुसूची भी भारत के आदिवासी समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही है।

हाल के दिनों में विकास के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, निजीकरण और भू-मंडलीकरण की प्रक्रियाओं को अपनाया गया। यह आदिवासियों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। विडंबना यह है कि आधुनिक तथा सभ्य (Civilized) कहा जाने वाला समाज उनकी पुरानी, पर्यावरण अनुकूल, शांतिपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली का शिकारी बन गया है।

खनिज तथा अन्य संसाधनों के लिए राज्य तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रायोजित विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासी उनकी भूमि तथा अन्य संसाधन बाजार की शोषणकारी शक्तियों (Exploitive Powers) के सामने आ गए हैं। शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण आम हो गया है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको संविधान द्वारा 'अपने परम्परागत तरीके से जीने की' दी गयी गारंटी का उल्लंघन संविधान को ज्यादा अच्छे से समझने वाले ही कर रहे हैं।

परियोजना प्रबंधकों को राज्य स्वामित्व वाली आदिवासी सामुदायिक भूमि (जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है तथा इसके लिए कोई मुआवजा (Compensation) नहीं दिया जाता है।) अपनी परियोजना के लिए आसान प्रविष्ट बिन्दु (Entry point) प्रदान करता है। परियोजना लागत को कम करने के लिए वे जान-बूझकर उच्च सामुदायिक भूमि तथा प्रशासकीय दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र का चयन अपनी परियोजनाओं के लिए करते हैं, जहाँ कानूनी मुआवजा कम होता है।

ये तथाकथित विकास परियोजनाएँ आदिवासियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं पहुँचाती हैं तथा उन्हें भूमिहीन और संसाधन रहित कर देती है। मौद्रिक लाभ उस समय कोई मायने नहीं रखता जब पीढ़ियों की जीवन शैली ही अप्रतिकार्य (जिसे सुधारा नहीं जा सके) रूप से बदल जाय। अपनी पारंपरिक बस्तियों से विस्थापन उन्हें तीव्र आघात तथा अनिश्चितता में छोड़ देता है।

आदिवासियों ने राष्ट्रीय विकास की उच्चतम कीमत चुकाई है क्योंकि उनके क्षेत्र संसाधन समृद्ध हैं। कोयला का 90% तथा अन्य खनिजों का लगभग 50% इनके ही क्षेत्र में हैं। इसके अलावा जंगल, पानी तथा अन्य स्रोत भी उनके निवास में बहुतायत में हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार 1990 तक 85 लाख जनजातीय लोग विस्थापित हुए जो कुल विस्थापितों का लगभग 50% है, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात सिर्फ 8.1% है। लाखों आदिवासी 1990 के बाद बिना किसी उचित पुनर्वास के विस्थापित हुए हैं। (पश्चिमी ऋणदाताओं के दबाव में केन्द्र की उदारीकरण की नीति के कारण) फिर भी इसके अध्ययन के लिए अभी तक कोई उचित प्रयास नहीं हुए हैं।

संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से उन्हें बचाने के लिए राज्य का दायित्व सुनिश्चित करता है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि आदिवासियों का उनकी जमीन से विस्थापन संविधान की पांचवी अनुसूची का उल्लंघन है क्योंकि यह जमीन तथा प्राकृतिक संसाधन के उनके मालिकाना हक, जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, से उन्हें वंचित (Deprived) कर देता है।

आदिवासी प्रकृति के बेहद नजदीक, जंगल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहते आए हैं। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शिकार, कंदमूल की खोज तथा झूम खेती रही है। 90% से ज्यादा जनजाति अपनी आजीविका (Livelihood) के लिए बहुत हद तक जंगल तथा जंगली संसाधनों पर निर्भर होते हैं। आधुनिक समाज में प्रचलित मानसिकता के विपरीत जनजातियाँ जमीन और जंगल को केवल एक आर्थिक वस्तु के रूप में नहीं देखती हैं उनके लिए ये उनकी संस्कृति तथा पहचान के केन्द्र भी हैं। परम्परागत रूप से इन्होंने अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था तथा सतत् प्रबंधन प्रणाली इन्हीं के आस-पास विकसित की है। इनकी संस्कृति का मूल समता (Equality) है अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलें। दूसरे, संसाधनों को अक्षय बनाए रखा जाता है अर्थात् जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल तथा भविष्य के लिए बनाए रखना। तीसरा, सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि तथा जंगल में काम कर परिवार के एक उत्पादक सदस्य के रूप में ये अपेक्षाकृत एक उच्च स्तर / दर्जे का आनंद लेती हैं।

विस्थापन के कारण जनजातियों की समस्याएँ
(Problems of Tribes due to Displacement)

1. जनजातीय समूह ज्यादातर अशिक्षित होते हैं तथा उन्हें कानूनों तथा अपने अधिकारों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अतः वे विस्थापन के समय अपने लिए अच्छी तरह से नहीं सोच पाते हैं तथा वे अपने अधिकारों की मांग में कमजोर पड़ जाते हैं। इसका फायदा कॉरपोरेट जगत को मिलता है तथा वे आसानी से अपनी परियोजना के लिए अधिग्रहण (Acquisition) कर लेते हैं।
2. आदिवासियों की ज्यादातर संपत्तियाँ सामुदायिक होती हैं जिनका मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। अतः ये सरकारी संपत्ति मानी जाती हैं। सरकार इस संपत्ति/भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा नहीं देती है। (इससे परियोजना का खर्च कम करने में कंपनियों को सहायता मिलती है और वे जानबूझकर ऐसी भूमि को परियोजना के लिए चुनते हैं)
3. परियोजना के लिए भू-खण्ड पर लगे वनों को काट दिया जाता है तथा उस क्षेत्र में जनजातियों का आना मना कर दिया जाता है। इस प्रकार वे जंगल के कई उत्पादों के उपभोग में असमर्थ

हो जाते हैं तथा अपनी आजीविका चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाती है। अपने मूल स्थान (Place of Origin) से दूसरी जगह विस्थापित किए जाने पर भी इसी प्रकार की समस्याएँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं।

4. यह देखा गया है कि जनजातियों को जो कुछ मुआवजा मिलता भी है तो उसे ये उपभोग वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर देते हैं क्योंकि मुद्रा के रूप में बचत का प्रचलन उनमें नहीं होता है। अंततः वे और भी गरीबी की ओर बढ़ जाते हैं।
5. विकास परियोजनाओं का जरा भी लाभ जनजातीय समुदायों को नहीं मिल पाता है। उन्हें न तो कोई सुविधा मिलती है (जैसे- बिजली, पानी) न ही लाभ में कोई हिस्सा मिलता है। जनजातियों के कल्याण के लिए भी उस लाभ से, जो उन्हें विस्थापित करके लिया गया है, कोई मदद नहीं दी जाती है।
6. विकास परियोजनाओं से उत्पन्न रोजगार में भी जनजातियों को कोई भागीदारी नहीं मिल पाती है क्योंकि वे नई तकनीकों तथा मशीनों से अनभिज्ञ होते हैं।
7. उनके जमीनों तथा सामुदायिक भूमि (Community Land) या संसाधनों का लाभ बाहरी लोग लेने लगते हैं। इसी तथ्य को आधार बनाकर नक्सलवादी भी क्षेत्रों में अपने पैर जमा लेते हैं।
8. विस्थापन के कारण जनजातियों के लिए चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है क्योंकि नई जगह पर फिर कल्याण कार्यक्रम शुरू करने में काफी देर होती है।

इनके अलावा अन्य समस्याएँ भी हैं, जैसे–

- जनजातीय पारिवारिक सम्बन्धों में बिखराव उत्पन्न हुआ है।
- पैतृक स्थान के परित्याग (Abandonment) की पीड़ा से पीड़ित हुए हैं।
- उनकी अपनी बाजार एवं व्यापार व्यवस्था का ह्रास हुआ है।
- अनेक पवित्र एवं सांस्कृतिक स्थलों का विनाश हुआ है।
- नए क्षेत्र में अनुकूलन में कठिनाई उत्पन्न हुई है।

विस्थापन की समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास (Efforts made to Resolve Displacement Problem)

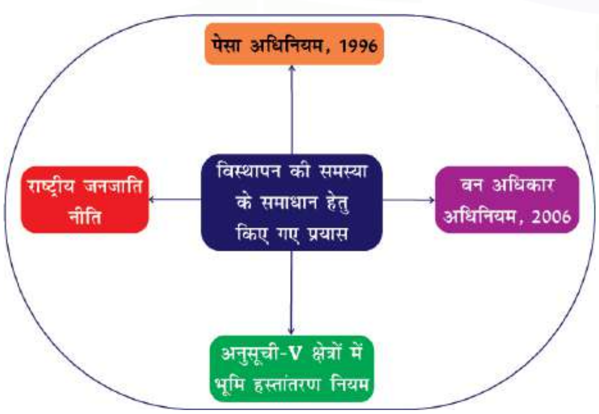

विकास योजनाओं की अनिवार्यता के कारण विस्थापन एक आवश्यकता बन गई है। अतः इसके दुष्परिणामों से बचने हेतु सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं।

1. ***पेसा अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) –*** इस अधिनियम को आदिवासी समाज को प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अपना परंपरागत अधिकार प्राप्त करने के लिए पारित किया गया। यह राज्यों को केन्द्र सरकार से असंगत नियमों (Inconsistent Rules) को बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है।
2. ***वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) –*** यह अधिनियम वन भूमि और उससे जुड़े व्यवसाय की पहचान जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वनवासियों के लिए करता है तथा उन्हें उस व्यवसाय का अधिकार देता है। इन अधिकारों में लघु वन उपजों को इकट्ठा करना, उन्हें बेचना, रहने तथा खेती के लिए वन भूमि का उपयोग आदि शामिल हैं।
3. ***अनुसूची-V क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण नियम (Land Transfer Rules in Schedule - V Areas) –*** इसके द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि की खरीद पर रोक लगायी गयी है, ताकि इनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके।
4. ***राष्ट्रीय जनजाति नीति (National Tribal Policy) –*** जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय जनजाति नीति बनाई है जिसमें जनजातियों से संबंधित मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही गयी है।
5. ***भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2014 (Land Acquisition Act, 2014) –*** इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण को भी ध्यान में रखा गया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2014 की मुख्य विशेषताएँ (Main Features of Land Acquisition Act - 2014)

- जमीन का मुआवजा सर्किल रेट पर नहीं, बाजार मूल्य पर तय होगा। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि प्रभावितों को ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दो गुना मुआवजा मिलेगा।
- यह पहला कानून है, जिसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन की बात कही गयी है। एकमुश्त नकद मुआवजे के साथ इसमें जमीन के बदले जमीन, आवास और रोजगार जैसे विकल्प दिए गए हैं।
- यह पुराने मामलों पर भी लागू होगा। विधेयक में यह प्रावधान है कि अगर जमीन पांच वर्ष पहले अधिग्रहित की जा चुकी है, लेकिन प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है या जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है, तो भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया नए तरीके से नए कानून के तहत होगी।

- इस विधेयक को व्यापक सहभागी और अर्थपूर्ण बताया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अब स्थानीय लोगों की सहमति जरूरी होगी और स्थानीय पंचायतों की भी इसमें भागीदारी होगी। इतना ही नहीं, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की निगरानी के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा।
- आदिवासी समुदायों और अन्य वंचित वर्गों को लेकर इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। आदिवासी/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकेगा। इसके तहत पंचायत कानून, 1996 और वन अधिकार कानून, 2006 के तहत मिले अधिकार की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
- विस्थापितों के हितों की रक्षा करते हुए प्रस्तावित कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक विस्थापितों का पूरा भुगतान नहीं हो जाता और उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उन्हें जमीन से बेदखल (Evict) नहीं किया जाएगा।
- निजी परियोजनाओं के लिए जमीन तभी अधिग्रहित की जाएगी, जब 80 फीसदी भू-स्वामी इसके लिए अनुमति देंगे। पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के लिए 70 फीसदी भू-स्वामियों की सहमति जरूरी होगी।
- नए कानून के तहत मुआवजा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। स्टांप शुल्क से भी छूट रहेगी।
- इस विधेयक में किसानों के लिए उचित और न्यायसंगत हर्जाना और कोई भी जमीन बलपूर्वक अधिग्रहित नहीं किए जाने का भी प्रावधान है।
- जमीन देने वाले और आजीविका गंवाने वाले के लिए मुआवजा पाँच लाख रुपये या एक नौकरी और एक वर्ष तक मासिक तीन हजार रुपये भत्ता आदि के रूप में हो सकता है।
- बहुफसल खेती वाली जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और यदि इसकी जरूरत हुई, तो संबंधित राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी।
- सिंचाई परियोजनओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सिंचाई परियोजना की समयावधि में छूट होगी। ऐसी परियोजनाओं में भू-स्वामी को सिर्फ जमीन का मुआवजा मिलेगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान हटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त सिंचाई परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव के आकलन का प्रावधान भी नहीं होगा।
- प्रस्तावित कानून के तहत भूमि के बढ़े हुए मूल्य में मूल स्वामी को भी हिस्सा दिया जाएगा। अधिग्रहण के पांच साल के भीतर यदि जमीन किसी तीसरी पार्टी को बढ़ी कीमतों पर दी जाती है, तो बढ़े मूल्य का 40 प्रतिशत हिस्सा मूल स्वामी (Original Owner) को दिया जाएगा।
- अर्जेंसी क्लॉज की परिभाषा को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा तक सीमित किया गया है। इन दोनों परिस्थितियों में ही अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- नया कानून तीन महत्त्वपूर्ण बदलाव लाता है।
    - मुआवजे को बहुत बढ़ाया जाना है-शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक।
    - जमीन मालिकों के साथ ही 'आजीविका गंवाने वाले (विशेष रूप से बटाईदार और जमीन से आजीविका चलाने वाले मजदूर) अब राहत और पुनर्वास पैकेज के हकदार हैं।
    - प्रक्रियात्मक बाधाओं को उठाया गया है-निजी कंपनियों के मामले में अधिग्रहण को अब ज्यादा समितियों से और अधिक मंजूरी की जरूरत है और इससे प्रभावित होने वाली आबादी का कम से कम 70 फीसदी की सहमति होनी आवश्यक है।

6. परियोजना निर्माण, उसे लागू करना, पुनर्वास सम्बन्धी नियम इत्यादि बनाने में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी भी आवश्यक है।
7. विस्थापन तथा पुनर्वास के समय मानवीय गरिमा, मानवाधिकार और स्थानीय लोगों की संस्कृति को पूरा सम्मान देना चाहिए।
8. पुनर्स्थापना स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सरकारी सुविधाओं जैसे-पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन आदि की स्थापना होनी चाहिए।

पुनर्वास की व्यवस्था इन जनजातीय समूह के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। चूंकि उनके सांस्कृतिक लक्षण और संरचनात्मक विशेषताएँ (Structural Features) अन्य जातीय समूह की तुलना में भिन्न हैं, वे अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति कठोर हैं तथा परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों के प्रति कम उत्साह रखते हैं। दूसरी ओर विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाओं की स्थापना भी अपरिहार्य है, परन्तु ऐसा जनजातीय समुदाय की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अतः इनकी समस्याओं का उपयुक्त समाधान/निदान करते हुए विकास और आधुनिकीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जनजातियों के विस्थापन से उत्पन्न समस्याओं के बावजूद आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए प्रारम्भ किए गए विभिन्न परियोजनाओं की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है।

विस्थापितों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी विधियाँ तथा अन्य प्रयास उनकी समस्या के आघात को कम तो करती हैं पर इनसे भी उनके असंतोष को कम नहीं किया जा सका है। कई स्थानों पर कई परियोजनाओं का विरोध इसके स्पष्ट संकेत देते हैं। इस असंतोष को कम करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

जनजातीय विस्थापन से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव (Suggestions to Overcome the Problems Arising From Tribals Displacement)

1. परियोजना से संबंधित सभी जानकारियाँ स्पष्ट की जानी चाहिए। जैसे- परियोजना की प्रकृति क्या है? इससे किन्हें लाभ मिलेगा? कितने लोग प्रभावित होंगे इत्यादि।

KGS IAS

2. परियोजना निर्माण के समय प्रभावितों की भी भागीदारी (Participation) सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे परियोजना के सफल होने की संभाविता में वृद्धि हो जाती है।
3. विस्थापन के तुरंत बाद पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। पुनर्वास स्थलों तक सार्वजनिक सुविधा जैसे-सड़क, बिजली, पानी इत्यादि का उत्तम प्रबंध होना चाहिए।
4. विस्थापन के समय ही मुआवजे का भुगतान उचित तरीके से होना चाहिए। मुआवजे की राशि भी उचित होनी चाहिए।
5. सभी राज्यों में पुनर्वास अधिनियम का निर्माण होना चाहिए तथा इसे लागू किया जाना चाहिए। अभी तक बहुत ही कम राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक) में पुनर्वास अधिनियम बन पाए हैं।

किसान आत्महत्या (Farmers Suicides)

भारत की लगभग 2/3 जनता कृषि से अपना जीवन यापन करती है। लगभग 1.2 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि से ही मिलता है। भारत में सबसे अधिक छोटे कृषक हैं। ये कृषक अपनी छोटी भूमि पर कृषि कार्य करते हैं तथा अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं।

हालांकि 90-91 अर्थात् उदारीकरण (Liberalization) के बाद खेती को पृथ्वी, मिट्टी, जैव-विविधता तथा पर्यावरण से अलग कर वैश्विक कंपनियों तथा भू-मंडलीकरण से जोड़ दिया गया। भूमि की उदारता को कम्पनियों के मुनाफे के लालच से जोड़ दिया गया। बड़ी-बड़ी कम्पनियों के आने से तथा कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ दिए जाने के कारण कृषि वस्तुओं के मूल्य में भारी प्रतिस्पर्धा आयी, वहीं कृषि की लागत भी बढ़ी। इस प्रक्रिया ने छोटे-छोटे कृषि कार्यों (जोतों) की उपयोगिता (Utility) पर प्रश्न चिह्न लगा दिया। ये छोटे किसान न तो इतने सक्षम हैं कि अपनी छोटी सी भूमि में निवेश करें और ना ही इतने संगठित कि बाहरी बड़ी ताकतों का मिलकर मुकाबला कर सकें। कृषि उपजों की घटती कीमतों तथा कृषि में बढ़ती लागतों के कारण छोटे किसान ऋणजाल में फंसने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह ऋणजाल इन्हें अनंत गरीबी की ओर ढ़केल रहा है और अंततः व्यक्ति के व्यक्तित्व में विघटन कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है।

किसान आत्महत्या का स्वरूप (Nature of Farmers Suicide)

जनगणना रिपोर्ट, 2011 के अनुसार भारत में किसानों की आत्महत्या दर कुल आत्महत्या दर से 47% ज्यादा है। कुछ राज्यों में जहाँ कृषि संकट सर्वाधिक है यह दर 100% से भी ज्यादा है। यह हालात तब है जब जनगणना 2011 भारत में किसानों के कुल संख्या में कमी बता रही है।

नई जनगणना (New Census) के कुल मात्रा को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से मिलाने पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के एक किसान के आत्महत्या करने की संभावना देश के किसी अन्य नागरिक (किसानों को छोड़कर) की अपेक्षा तीन गुना है।

किसान आत्महत्या की तीव्रता में कोई गिरावट नहीं दिख रही है और ना ही आत्महत्याओं की संख्या में कोई भारी गिरावट दिख रही है। दरअसल 2011 की किसान आत्महत्या दर (16.3 किसान प्रति 1,00,000 किसान) 2001 की किसान आत्महत्या दर (15.8 किसान प्रति 1,00,000) से थोड़ी ही ज्यादा है।

इन आत्महत्याओं की संकेन्द्रण (Concentration) 5 राज्यों के कृषि क्षेत्र में अधिकतम है। वे 5 राज्य हैं:- महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल किसान आत्महत्या का 2/3 (दो तिहाई) इन्हीं 5 राज्यों में होता है। वह भी तब जब जनगणना आँकड़ों के अनुसार इनमें से 4 राज्यों में किसानों की संख्या में कमी आयी है। सिर्फ महाराष्ट्र में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या दर 29.1 प्रति 1,00,000 किसान है जो राष्ट्रीय किसान आत्महत्या औसत 16.3 से कहीं ज्यादा है।

लगभग 22 बड़े राज्यों में से 16 राज्यों में किसान आत्महत्या की दर बांकी जनसंख्या की आत्महत्या दर (11.1 प्रति 1,00,000) से ज्यादा है।

यह भयावह स्थिति (Terrible Situation) तब दिख रही है जब राज्य स्तर पर आंकड़ों से छेड़-छाड़ हो रही है, जैसे छत्तीसगढ़ ने साल 2011 के लिए शून्य किसान आत्महत्या रिपोर्ट दर्ज किया है, जबकि इससे पहले के तीन सालों में 4,700 किसान आत्महत्या दर्ज की गयी थी। अन्य राज्यों तथा क्षेत्रों में भी इसी तरह के तरीके अपनाने की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। (पुदुचेरी ने भी 2011 में शून्य किसान आत्महत्या दिखायी है।)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के दस्तावेजों में दर्ज रिपोर्टों की भी आलोचना कई बार हुई है। दरअसल अधिकांश घटनाओं में किसान अपने परिवार के सदस्यों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार की घटनाओं में किसान आत्महत्या एक दर्ज की जाती है और अन्य मौतों को हत्या में गिन लिया जाता है जबकि किसान आत्महत्या की सही स्थिति के आकलन के लिए इन सभी मौतों को किसान आत्महत्या में गिना जाना चाहिए।

किसान आत्महत्या के कारण (Causes of Farmers Suicide)

1. ***उदारीकरण (Liberalization)*** – 1998 में भारत को विश्व बैंक के दबाव में अपना बीज बाजार कारगिल, मॉनसान्टो, सि-जेन्टा जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलना पड़ा। इन

कम्पनियों ने कृषि की लागत व्यवस्था (Cost System) को रातों-रात परिवर्तित कर दिया। परम्परागत बीजों का स्थान इनके रूपांतरित बीजों ने ले लिया जिसने कृषि लागत बढ़ा दी।

दूसरी ओर कृषि बाजार के खुलने तथा कृषि जनित वस्तुओं के सस्ते आयात से कृषि उपजों की कीमतों में कमी आयी इस कारण से किसान को लागत तथा कीमत दोनों स्तरों पर हानि उठानी पड़ी, जिसने गरीब किसानों को ऋणजाल (Debt trap) की तरफ ढ़केल दिया। इन किसानों को सिर्फ आर्थिक हानि ही नहीं हुई, इनकी आय इतनी कम हो गयी कि ये भुखमरी के शिकार होने लगे। इस प्रकार के संकट ने किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।

2. ***वाणिज्यीकरण (Commercialization)–*** भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण ने काफी जोर पकड़ा खासकर वैश्वीकरण, उदारीकरण के बाद। इसके बाद भारत में नकदी फसलें खासकर कपास का उत्पादन जोड़ पकड़ने लगा कपास क्षेत्रों के किसान मोटा अनाज तथा अन्य खाद्यान्न फसलों की जगह कपास उगाने लगे। इससे किसानों को खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो गयी। इधर नकदी फसल का ज्यादातर लाभ बिचौलियों और साहूकारों को हुआ इससे किसानों की क्रयशक्ति (Purchasing Power) में कमी आ गयी और किसान खाद्यान्न नहीं खरीद पाने के कारण भुखमरी के शिकार होने लगे। ऋणग्रस्तता तथा भुखमरी से परेशान किसानों की आत्महत्या दर इन कपास क्षेत्रों में ज्यादा है।

3. ***विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीज (Seeds of Foreign Multinational Companies)–*** बीज बाजार के खुलने पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जब बीज बाजार में अपने रूपांतरित बीज (Modified Seeds) लेकर आयीं तो इन बीजों के महंगे होने के साथ-साथ इनमें कई खामियाँ भी थीं। इन बीजों में अधिक खाद, अधिक पानी तथा अधिक कीटनाशी की आवश्यकता होती है, जो कृषि कार्य की लागत को और बढ़ाती है।

इसके अलावा ये बीज बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत इस प्रकार रूपांतरित होते हैं कि इनका प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो पाता है। उपज का प्रयोग फिर बीज के रूप में नहीं हो पाता या होता भी है तो कम उपज देता है। इस प्रकार किसानों को हर बार बाजार से नए बीज खरीदने पड़ते हैं जो किसानों के लिए पहले लगभग मुफ्त उपलब्ध होता था।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन तरीकों से बीज बाजार पर एकाधिकार कर लिया है। रिपोर्टों के अनुसार जब से बीज बाजार अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोला गया है (1997) तब से लगभग 25,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

कम्पनियाँ अपने बीजों को कई बार बिना परीक्षण तथा अनुकूलित बीजों को भी बाजार में उतार देती हैं। कम्पनी बीजों को बेचने के लिए कई बार गलत वायदे भी करती हैं। उदाहरण के लिए 2002 में जब मॉनसान्टो ने पहली बार बीटी कपास बाजार में उतारा था तो किसानों को 1,500 किलोग्राम/एकड़ की उपज का वायदा किया गया था, परन्तु वास्तविक उपज करीब 200 किग्रा/एकड़ तक ही रही। इससे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के अतिरिक्त लाभ की जगह 6,400 रुपये प्रति एकड़ की हानि हो गयी। अगर किसानों की पूरी हानि को मिला दिया जाय तो यह हानि लगभग एक अरब करोड़ की थी।

इस प्रकार की हानि को निजी दलाल नकली बीज बेच कर और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।

4. ***नई प्रौद्योगिकी तथा उच्च उत्पादन विधियों की जानकारी का अभाव (Lake of Knowledge of New Technology and High Production Methods)–*** भारत में अभी भी अधिकतर कृषि में परम्परागत तरीकों (Traditional Method) तथा उपकरणों का ही प्रयोग हो रहा है। अधिकतर किसान छोटी भूमि के स्वामी हैं उनके पास नई प्रौद्योगिकी या उपकरण लगाने के लिए या तो धन की कमी होती है या जोतें इतनी छोटी होती हैं कि वहां निवेश करना नुकसानदायक होता है। ये छोटे किसान ज्यादातर अशिक्षित भी होते हैं इन्हें वैज्ञानिक कृषि की कोई जानकारी नहीं होती है। ये अपने खेतों की मिट्टी की जाँच कराए बिना ही यूरिया, नाइट्रोजन तथा पोटाश का उपयोग गलत अनुपात में तथा अधिक मात्रा में करते हैं। इससे इनकी लागत तो बढ़ती ही है उपज भी सही नहीं होती ऊपर से पानी की आवश्यकता और बढ़ जाती है।

5. ***पानी की कमी / मानसून आधारित कृषि (Water Deficiency / Monsoon based Agriculture)–*** भारत में अभी भी 60% से ज्यादा कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर है। ज्यादातर खेतों तक सिंचाई सुविधा का नितांत अभाव है। भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है इस कारण किसानों को सिंचाई के लिए मंहगे पम्प तथा गहरे बोरिंगों की आवश्यकता पड़ रही है जिससे कृषि लागत बढ़ रही है।

वैश्विक भू-तापन तथा जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण मौसम में भी अनियमित बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव के कारण तथा वर्षा की अनियमितता के कारण फसलों को बारम्बार नुकसान पहुँच रहा है। लगातार फसलों के नुकसान को गरीब किसान झेल नहीं पाते और ज्यादा निर्धनता से ग्रसित हो जाते हैं।

6. ***साख की उचित दर पर अनुपलब्धता (Non-Availability of Credit at Reasonable Rates)–*** भारत में किसान आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण ऋणग्रस्तता है। किसान ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं जिनकी ब्याजदर 36% से 120% तक होती है। इतने उच्च ब्याजदर पर ऋण लेने से किसानों पर ऋणजाल में फंसने का एक बड़ा खतरा मंडराता रहता है। कृषि की लागतों के लिए दिए गए ऋण को चुकाने के लिए किसान

खड़ी फसल (Standing Crop) को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। उनके ऊपर जल्द से जल्द ऋण चुकाने का दबाव बना रहता है। इससे फसल के उत्पादन के तुरन्त बाद किसान अपनी फसल सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं। इस कारण किसान अपने उत्पादन का सही लाभ नहीं ले पाते। इनके उत्पादन का लाभ मंडी व्यापारी बिचौलिए तथा साहूकारों को मिलता है। इन किसानों को औपचारिक क्षेत्र से काफी कम या नहीं के बराबर ऋण मिल पाता है क्योंकि बैंक से ऋण के लिए कई कागजी कामों तथा कई बार जमानत/गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है, जो इन निर्धन किसानों के बस की बात नहीं होती है। बैंकों को अपने ऋण के डूबने का अंदेशा होता है इसलिए बैंक इन्हें कर्ज देने से कतराती है।

7. ***उपयुक्त बाजार का अभाव (Lock of Suitable Market) –*** बाजार के अभाव के कारण किसानों को अपना उत्पाद सस्ते दरों पर बेचना पड़ता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, खाद्यान्न खरीद केन्द्रों की घोषणा करती है, परन्तु इन केन्द्रों पर भ्रष्टाचार आदि के कारण किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। ये केन्द्र भी काफी दूरी पर खुले होते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय बाजारों की भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कमी है, अतः किसानों को अपना उत्पाद बिचौलियों को बेचना पड़ता है जो इनके उत्पादों की सही कीमत नहीं देते हैं।

8. ***आधारभूत संरचना का अभाव (Lack of Infrastructure) –*** भारत में कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना का बड़ा अभाव है। ज्यादातर खेतों तक बिजली की पहुँच नहीं है तथा ईंधनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उपज के बाद उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने वाली सड़कें खराब स्थिति में हैं। उत्पादों को कुछ समय तक बचाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेजों की कमी भी काफी ज्यादा है।

   कई गाँवों में तो बिजली के कारण तथा निवेश की समस्या के कारण कोल्ड स्टोरेज हैं हीं नहीं। जो शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) हैं भी वहाँ काफी भीड़ है तथा उनका किराया भी मनमाना रखा जाता है जबकि शीतगृहों को सहायिकी भी उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्त कारणों से किसान के सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति में गिरावट आयी है। किसान एक उत्पादक की जगह एक बीज खरीदने वाला उपभोक्ता बनकर रह गया है, जो ऋणजाल में फंसकर अपना सर्वस्व गवाँ चुका है और उसके पास आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

किसान आत्महत्या को दूर करने के लिए किए गए प्रयास (Efforts Made to Eliminate Farmer Suicides)

सरकारी स्तर पर किसान आत्महत्या को रोकने के कई उपाय किए गए हैं। भारत सरकार ने विदेशी सस्ते आयात की प्रतिस्पर्धा (Competition of Import) से किसानों को बचाने के लिए सभी विकासशील देशों के साथ मिलकर यह मुद्दा विश्व व्यापार संगठन में उठाया है कि जहाँ एक ओर विकसित देशों द्वारा कृषि व्यापार पर सहायिकी (Subsidy) देने को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं एक विकासशील देश को अपने किसानों की, कृत्रिम रूप से सस्ती की गई वस्तुओं से रक्षा करने से रोका जा रहा है। कृषि वस्तुओं की वैश्विक कीमतें भारी मात्रा में घटी हैं। जहाँ विकसित देश लगातार अपने किसानों को गलत तरीके से सहायिकी दे रहे हैं वहीं विकासशील देशों को अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने को कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका अपने सोया किसानों को 193 डॉलर प्रति टन की सहायता प्रदान करता है।

विश्व स्तर पर इसके समाधान के लिए भारत अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन में आन्दोलन चला रहा है। भारत में सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई सुधार भी किए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के कार्य भी चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कें बनवाई जा रही हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली पहुँचाई जा रही है, नलकूपों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

सरकार किसानों के हितों के लिए विभिन्न सहायिकी कार्यक्रम भी चला रही है। खाद्य, बीज, कृषि उपकरणों आदि की खरीद पर सरकार से काफी सहायता दी जाती है जिससे किसानों की कृषि लागत में कमी आती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा फसल उत्पादन के बाद किसानों को उनका उचित मूल्य मिल पाए इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिस पर सरकार खाद्यान्नों की खरीद करती है।

किसान आत्महत्या के पीछे मुख्य कारण ऋणग्रस्तता को माना गया है। इसके लिए सरकार रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को प्राथमिक क्षेत्रक में ऋण वितरण के निर्देश देती है। इस ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज सहायिकी भी प्रदान की जाती है जिससे किसानों को कम ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध होता है जिसे किसान आसानी से लौटा पाते हैं। इसके अलावा उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आसान पहुँच तथा बार-बार के बैंक के चक्करों से किसानों को बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ चलाई गयी हैं। बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

इनके साथ किसानों के ऋणों को कई बार माफ भी किया गया है। किसानों को फसलों की अनिश्चितता से बचाने तथा संकट के समय जोखिम को कम करने के लिए कई प्रकार के बीमा योजनाओं को सरकार के निर्देश से लाया गया है। जैसे–बागवानी, वृक्षारोपण, पुष्प खेती बीमा योजना, कृषि पम्प बीमा, पशुओं के लिए बीमा, कुक्कुटों के लिए बीमा, बैलगाड़ी बीमा और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो 1999-2000 की रबी फसलों से केन्द्र सरकार

द्वारा लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों के नुकसान (प्राकृतिक आपदा, कीट आक्रमण से) से बचाने तथा नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

किसान क्रेडिट कार्ड पर भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आम जनजीवन की आकस्मिकताओं से बचाने के लिए भी सरकार की कई बीमा योजनाएँ हैं, जो किसानों को भी मदद करती है, जैसे–जननी सुरक्षा योजना, आंगनबाड़ी द्वारा पोषाहार, स्कूलों में मिड–डे मील (मध्याह्न भोजन)।

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सभी निर्धनों को रियायती दर (Discounted Rate) पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की है। अब इसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया है तथा प्रभावी बनाया गया है। इसके द्वारा सभी निर्धनों, जिसमें किसान भी शामिल हैं, को भुखमरी से बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, जो किसानों को लाभ पहुँचाता है। किसानों को अपने कृषि वस्तुओं की उचित कीमत मिले इसके लिए कई जगह कृषि बाजारों की भी व्यवस्था की गयी है।

मनरेगा जैसे कार्यक्रमों द्वारा किसानों तथा अन्य निर्धनों को अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे संकट के समय भी वे संसाधन विहीन न हों। किसानों को कृषि में प्रयुक्त होने वाली नवीनतम तकनीकों (New Technologies) की जानकारी तथा विधियों के प्रयोग के लिए सूचना तंत्र का जाल बिछाया जा रहा है। हरेक ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है। हरेक जिले में मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है। किसानों की सुविधा के लिए 24 घण्टे सूचना सेवा स्थापित की जा रही है। ई–चौपालों की मदद से किसानों में जागरुकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रखण्ड स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कई कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

मूल्यांकन (Evaluation)

अपने किसानों को सस्ते आयातों से बचाने के लिए सरकार संघर्षरत तो है, परन्तु वहीं विकसित देशों तथा विश्व व्यापार संगठन के दबाव के कारण सीमा शुल्कों (Custom Duties) में कमी, बाजार तक पहुँच आदि छूट बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी जा रही है। अभी तक विकासशील देश कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं।

भारत सरकार ने आधारभूत संरचना निर्माण में बिजली सड़क पर तो ध्यान दिया है, परन्तु शीतगृह, वातानुकूलित परिवहन सेवा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इत्यादि की स्थापना के प्रयास बहुत कम हुए हैं। इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी सरकार ज्यादा आकर्षित नहीं कर पायी है। सरकार की तरफ से सहायिकी का ज्यादातर अंश उत्पादकों को दिया जाता है। इससे कृषकों तथा अन्य उपभोक्ताओं को काफी कम लाभ मिल पाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है पर खाद्यान्न मंडियाँ ज्यादातर समय बन्द ही रहती हैं। जिस समय खाद्यान्न खरीद होती है वहाँ भी गरदा, भूसा, लदान आदि के नाम पर तथा गुणवत्ता के नाम पर काफी बट्टा काट (Discount) लिया जाता है। वहाँ की लम्बी कतार, दूरी तथा परेशानियों से बचने के लिए किसान न्यूनतम मूल्य से भी कम पर बिचौलियों के हाथों अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होते हैं।

सरकार तथा भारतीय रिर्जब बैंक के निर्देशों के बावजूद बैंक प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने में आनाकानी करते हैं। छोटे किसानों के पास गारंटी के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। छोटे किसान अपनी ऋण जरूरतों का 90% से ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं। इस कारण ऋण माफी आदि जैसे–उपाय भी इनके काम नहीं आते तथा ये लगातार शोषण के शिकार होते रहते हैं।

बीमा कंपनियाँ भी बीमा की अदायगी समय पर नहीं करती या अदा न करने के बहाने ढूंढती रहती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों को निर्धारित मात्रा से कम तथा निम्न गुणवत्ता (Low Quality) के खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है।

भ्रष्टाचार के कारण मनरेगा जैसे अतिरिक्त आय के साधन भी इनके लिए कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मनरेगा में ठेकेदार अपने जानकारों को काम देना, समय पर मजदूरी नहीं देना तथा मशीनों से काम करवाना जैसे भ्रष्ट आचरण करते हैं।

कृषि वस्तुओं की विपणन व्यवस्था (Marketing System) भी सही हालात में नहीं है। कृषि बाजार कई किलोमीटर के फासले पर होते हैं और इन बाजारों में स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अन्य इंतजामों की अनदेखी होती रहती है। कुल मिलाकर उपरोक्त प्रयास किसान आत्महत्या को रोकने में नाकाफी सिद्ध हुए हैं क्योंकि किसानों की आत्महत्या की दर एक दशक में बढ़ी ही है, कम नहीं हुई।

किसान आत्महत्या की समस्या दूर करने हेतु उपाय (Measures to Solve the Problem of Farmer Suicide)

किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को दो भागों में बांटा जा सकता है:–

त्वरित उपाय (Quick Measures)

1. किसान आत्महत्या के बाद परिवार के बाकी सदस्यों को तुरन्त राहत पहुँचाना चाहिए। मुआवजे को जल्द से जल्द परिवार तक पहुँचाना चाहिए।

2. इन घटनाओं के घटित होने पर क्षेत्र के हालात का जल्द से जल्द जायजा लेना चाहिए तथा अन्य किसानों की हालत सुधारने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए।
3. घटनाओं के बाद परिवार के सदस्यों तथा आसपास के लोगों के मानसिक तनाव को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। यह कार्य मनोचिकित्सकों की देख-रेख में होना चाहिए।
4. एक सुरक्षा तंत्र जाल का निर्माण करना चाहिए, जो कृषकों तथा उसके उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करे।
5. एक सूचना तंत्र का विकास करना चाहिए, जिसमें 24 घंटे कृषि सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था हो।

दीर्घकालिक उपाय (Long Term Measures)

1. कृषकों से सम्बन्धित नीतियों तथा प्रावधानों की पुनर्संरचना (Restructuring) की आवश्यकता है, जैसे–कृषकों की आसान साख तक पहुँच उपलब्ध कराना, बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सही तरीके से लागू करना इत्यादि।
2. आधारभूत संरचना का विकास तथा इसमें निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकेंगे तथा उत्पाद को सुरक्षित जमा रख सकेंगे, जिससे बाद में लाभ उठाया जा सके।
3. वाणिज्यिक कृषि के लिए किसानों को अग्रिम राशि (Advance Amount) की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उन्हें ऋण लेकर खेती नहीं करनी पड़े।
4. अनुपूरक कृषि गतिविधियों जैसे- पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन आदि को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अतिरिक्त आय का सृजन हो।
5. फसल के विविधिकरण को प्रोत्साहन के साथ फसल के पैटर्न को भी निर्देशित किया जाना चाहिए, जिससे जोखिम में कमी आए।
6. किसानों को 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग' (वर्षा जल संचय) तकनीकों की जानकारी देनी चाहिए। इसके साथ-साथ जल के कम उपयोग वाली तकनीकों तथा उपकरणों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल आदि के प्रयोग से जल संरक्षण करना चाहिए।
7. ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इससे खाद तथा कीटनाशकों पर खर्च को कम या बंद किया जा सकता है।
8. बाजार तथा जलवायु की अनिश्चितता से बचने के लिए फसलों के विविधिकरण पर ध्यान देना चाहिए।
9. नकली खाद, बीज तथा कीटनाशकों के निर्माता तथा विक्रेताओं के लिए सख्त सजा के प्रावधान होने चाहिए।
10. जो साहूकार किसानों से ज्यादा ऋण वसूलते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
11. ग्राम पंचायतों को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे वे ऋणग्रस्त तथा आत्महत्या संभावित वाले किसानों की पहचान कर सकें और उन्हें संकट से निकाल सकें।
12. कमीशन एजेंटों, व्यापरियों तथा बिचौलियों (Middlemen) की भूमिका को कम करना चाहिए ताकि कृषक अपने उत्पाद पर अधिकतम कीमत पा सकें।
13. एक समग्र कृषि बीमा योजना लागू होनी चाहिए। नकदी फसलों जैसे–कपास, गन्ना, खाद्य तेल आदि पर खास ध्यान देना चाहिए।

विकास सम्बन्धी मुद्दें : संभावित प्रश्न

1. भारत में बढ़ती हुई विषमता ने आर्थिक सुधारों के विकास सम्बन्धी दावों पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। इस सम्बन्ध में अपन मत प्रस्तुत करें।
2. भारत में बढ़ती हुई विषमता को दूर करने हेतु हमें अपने विकास सम्बन्धी नीति में किस प्रकार के बदलावों की आवश्यकता है? स्पष्ट करें।
3. भारत में विभिन्न प्रकार की विषमताओं में वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा करें।
4. पर्यावरण संरक्षण के प्रति अति जागरुकता ने भारत के विकास मार्ग में किस प्रकार नवीन बाधाएँ उत्पन्न की हैं? स्पष्ट करें।
5. पर्यावरण संरक्षण व विकास दोनों ही आवश्यक है। दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु अपना सुझाव प्रस्तुत करें।
6. भारत में उस वर्ग को विकास की सर्वाधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जो विकास के लाभों से सर्वाधिक वंचित है। स्पष्ट करें।
7. विस्थापन से उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें तथा इन समस्याओं के बेहतर समाधान हेतु उपाय सुझाएं।
8. किसान आत्महत्या हेतु उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें तथा इसके समाधान हेतु समुचित उपाए सुझाएँ।
9. किसान आत्महत्या हमारी कृषि विकास सम्बन्धी नीति का दुष्परिणाम है। किसान आत्महत्या रोकने हेतु हमें अपनी कृषि विकास नीति में किस प्रकार के परिवर्तन लाने चाहिए।
10. एक बेहतर भारत के निर्माण हेतु विकास एवं पर्यावरण के मध्य पूरक सम्बन्ध की आवश्यकता है। स्पष्ट करें।

✪✪✪✪✪

15

भारत में क्षेत्रवाद (Regionalism in India)

परिचय (Introduction)

इन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार क्षेत्र भूतल का वह समरूपीय (Similar) भाग है जो अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर पड़ोसी भू-भाग से पृथक होता है। राष्ट्रीय भू-भाग के रूप में एक क्षेत्र में अपनी प्रथाओं एवं आदर्शों के प्रति चेतना पायी जाती है जो एक क्षेत्र के सदस्यों को राष्ट्र के दूसरे भू-भागों में पृथक पहचान (Separate Identity) प्रदान करती है। इस आधार पर एक क्षेत्र की दो विशेषताएँ होती हैं:-

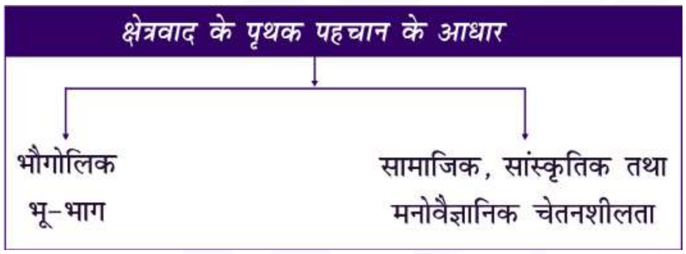

एक क्षेत्र विशेष के लोगों का कुछ सामान्य आधारों पर उस क्षेत्र के साथ लगाव की भावना ही क्षेत्रवाद है। जब यह भावना प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति क्षेत्रीय हितों के समक्ष राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर देता है और ऐसी स्थिति में क्षेत्रवाद एक समस्या का रूप धारण कर लेता है।

वर्तमान भारत में क्षेत्रवाद एक प्रमुख समस्या है जिसको राष्ट्रीय एकता (National Unity) के समक्ष एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हाल में महाराष्ट्र में अन्य राज्यों के छात्रों के प्रति उग्र व्यवहार और 'महाराष्ट्र मराठियों के लिए' का नारा तथा असम में अन्य राज्य के लोगों के प्रति किया गया बर्ताव या 'असम माता पहले भारत माता बाद में' जैसी क्षेत्रवादी गतिविधियाँ संप्रति (Present) राष्ट्रीयता के समक्ष एक प्रमुख खतरे को परिलक्षित करती हैं।

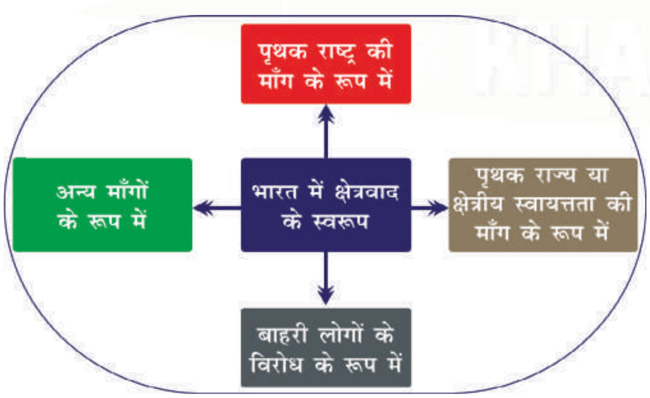

1. ***पृथक राष्ट्र की माँग के रूप में (As a demand for Separate Nation)*** - यह क्षेत्रवाद का सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण स्वरूप है। यह लोगों में कुछ प्रदेशों और क्षेत्रों को भारतीय संघ से अलग करने की माँग के रूप में उभरा है। ऐसी माँगें स्वतंत्रता के बाद शीघ्र ही उठने लगीं, परंतु अब वे कमजोर हो गयी हैं। 1963 के पूर्व तक द्रविडनाड गणतंत्र की स्थापना के लिए किया जाने वाला आंदोलन, जनरल फिजो के नेतृत्व में स्वतंत्र नागालैंड का आंदोलन, लालडेंगा के नेतृत्व में फिजो समझौता से पूर्व तक का मिजो आंदोलन, आजाद कश्मीर के लिए किया जाने वाला आंदोलन तथा खालिस्तान आंदोलन पृथक राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्यों पर आधारित क्षेत्रीयता के उदाहरण हैं।

2. ***पृथक राज्य या क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँग के रूप में (As a Demand for Separate States or Regional Autonomy)*** - इस प्रकार का क्षेत्रवाद एक प्रदेश के किसी भाग की अस्मिता और विकास की भावना में निहित होता है। यह प्रदेश के एक भाग का दूसरे भाग पर शोषण व वंचन को भी दिखाता है। इस प्रकार क्षेत्रवाद का उद्भव मुख्यत: क्षेत्रीय विषमता व राजनीतिक सहभागिता (Political Participation) के अभाव आदि के कारण होता है।

   केंद्रीकरण (Centralization) की प्रवृत्तियों से असंतुष्ट होने पर प्रांतों के द्वारा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हित में अधिक स्वायत्ता (Autonomy) दिए जाने की माँग समय-समय पर की जाती है। केंद्र के द्वारा इन माँगों को राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक कहकर दबाए जाने की प्रवृत्ति क्षेत्रीय आंदोलन की स्थिति उत्पन्न करती है।

   पृथक राज्य कायम करने की माँग को लेकर भारत में कई आंदोलन चलाए गए हैं एवं उनके परिणामस्वरूप बंबई का विभाजन करके गुजरात राज्य, पंजाब का विभाजन करके हरियाणा राज्य, असम का विभाजन करके मेघालय राज्य, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तरांचल राज्य, मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाए गए। अभी भी गोरखालैंड, बोडोलैंड आदि कई आंदोलन जारी हैं।

3. ***बाहरियों के विरोध के रूप में (As a Opposed to Out Siders)*** - इस प्रकार के क्षेत्रवाद के उदाहरण असम में बाहरियों का विरोध, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों का विरोध, झारखंड में दिकुओं के विरोध के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह के क्षेत्रवाद का उद्भव स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों के एकाधिकार (Monopoly) की भावना के कारण होता

KGS IAS

है। क्षेत्रीय दलों (शिव सेना, एमएनएस, असमगण परिषद्) द्वारा राजनीतिक लाभ लेने हेतु ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है। क्षेत्रवाद के इस स्वरूप में बाहरी लोगों की हत्या (असम में बिहारी मजदूरों की हत्या) मारपीट (महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के परीक्षार्थियों के साथ मारपीट), धमकी आदि घटनाएँ देखी जाती हैं।

इस प्रकार के क्षेत्रवाद में भूमि पुत्र (सन ऑफ द स्वायल) की वैचारिकी कार्य करती है जो मुख्यत: आर्थिक असुरक्षा के कारण विकसित हुई है।

असम में सीमित नियोजन (रोजगार) के अवसरों पर पड़ोसी राज्य के प्रवासी बंगालियों एवं बिहारियों से उत्पन्न असुरक्षा के कारण असमी मूल के निवासियों ने आंतरिक उपनिवेशवाद (Colonialism) विरोधी उग्र क्षेत्रीय आंदोलन चलाया। झारखंड राज्य सरकार द्वारा जारी मूल स्थायी आवासी (डोमिसाइल) नीति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण देने की नीति के परिणामस्वरूप उभरे आदिवासी समूहों एवं दिकू (बाहर से आकर झारखंड में बसे गैर आदिवासी) समूहों में संघर्ष का दौर इस श्रेणी की क्षेत्रीयता का तात्कालिक उदाहरण हैं।

4. ***अन्य माँगों के रूप में (As Other Demand)***– भारत में क्षेत्रवाद के उपरोक्त वर्णित स्वरूपों के अतिरिक्त अन्य कई स्वरूप भी प्रचलित रहे हैं, जैसे-भाषा की मांग को लेकर, नदी जल बंटवारे, राज्य की सीमा विवाद संबंधी आदि।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के राजभाषा के विषय को लेकर प्रमुख मतभेद उत्पन्न हुआ। संविधान में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए संघ की राजभाषा और प्रदेशों के बीच और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच संप्रेषण (Communication) की भाषा बनाने की बात कही गई। राजभाषा से संबंधित निर्देश को लागू करने के प्रयत्न ने एकता के स्थान पर अधिक गहरी भाषाई प्रतिद्वंद्विता (Linguistic Rivalry) उत्पन्न कर दी। दक्षिण प्रदेशों में हिंदी का विरोध प्रबल राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। इन प्रदेशों के अधिकांश लोगों के साथ-साथ पूर्वी भारत के गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने भी हिंदी को थोपने का विरोध किया।

दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया कि (क) उन पर हिंदी को नहीं थोपा जाएगा और (ख) अंग्रेजी को सहायक क्षेत्रीय भाषा के रूप में सरकारी उद्देश्यों के लिए तब तक प्रयोग में लाया जाएगा जब तक लोग इसे चाहेंगे। इसका निर्णय हिंदी भाषी लोगों की अपेक्षा गैर-हिंदी भाषी लोगों पर छोड़ दिया जाएगा।

भारत सरकार की राजभाषा नीति प्रस्ताव ने हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा को भी सरकारी मान्यता दे दी। नीति प्रस्ताव में यह संकेत दिए गए कि हिंदी के विकास के लिए उचित कदम उठाने चाहिए तथा अंग्रेजी को एक महत्त्वपूर्ण संबद्ध भाषा के रूप में जारी रखा जाए।

भारत में प्रदेश सीमाओं से संबंधित क्षेत्रवाद भी प्रचलित रहा है। इसमें एक या अधिक प्रदेशों की अस्मिताएँ (Identities) एक दूसरे को आच्छादित करने लगती हैं। इससे उनके हितों को खतरा भी पैदा हो जाता है। सामान्यत: नदी जल विवादों और दूसरे मुद्दों, विशेषतया महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा विवाद को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

क्षेत्रवाद का महत्त्व (Importance of Regionalism)

क्षेत्रवाद का महत्त्व केवल विघटनकारी शक्ति (Disruptive Power) के रूप में ही नहीं है, यह राष्ट्रीय एकीकरण का विरोधी मात्र नहीं है। क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय एकीकरण दोनों सृजनात्मक (Creative) साझेदारी के रूप में रह सकते हैं और दोनों ही विकास के पक्ष में हैं। क्षेत्रवाद, क्षेत्र के विकास पर जोर देता है और राष्ट्रीय एकीकरण पूरे राष्ट्र के विकास के लिए जोर देता है। यदि हमें क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण (National Integration) के अंतर्विरोधी मुद्दों का समाधान चाहिए तो देश की राजनीतिक प्रणाली को संघीय और प्रजातांत्रिक ही बने रहना आवश्यक है।

क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मकता का विघटन नहीं करता है। राष्ट्रीय, एकात्मकता के लिए महत्त्वपूर्ण शर्त है कि राष्ट्रवाद विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय उप-राष्ट्रीयताओं पर अपना नियंत्रण रख सके। दूसरे शब्दों में क्षेत्रवाद और राष्ट्रीयतावाद के बीच संतुलन होना आवश्यक है।

क्षेत्रवाद संघवाद को अधिक सफल बना सकता है। इस तरह से क्षेत्रीय अस्मिताओं की बढ़ोत्तरी समस्या नहीं बन पाएगी। यह स्वाभाविक है कि अपनी विशिष्ट संस्कृति के प्रति सचेत क्षेत्रीय समुदाय को संघीय सरकार के साथ अधिक समान साझेदारी के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। इससे राष्ट्र में केंद्रीय प्रवृत्तियाँ कम होंगी और सत्ता केंद्र से प्रदेशों की तरफ परिवर्तित हो जाएगी।

वास्तव में किसी भी रूप में देखा जाए परंतु भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रवाद और उप-क्षेत्रीयतावाद (Sub-Regionalism) से बचा नहीं जा सकता। इन दोनों क्षेत्रवादों का अस्तित्व न केवल मूल राष्ट्रीय मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है, अपितु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के कारण यह अस्तित्व तर्क पूर्वक पैदा होता है। अत: संघवाद की अवधारणा के लिए क्षेत्रवाद और उपक्षेत्रवाद से बढ़कर कुछ भी हो, मौलिक नहीं है।

भारत में क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम (Consequence of Regionalism in India)

क्षेत्रवाद के महत्त्व के संदर्भ में उपरोक्त विश्लेषण के बावजूद भारत में क्षेत्रवाद की उभरती प्रवृत्ति ने कई तरह के दुष्परिणामों को उत्पन्न किया है, जैसे:–

1. विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संघर्ष एवं तनाव (असम एवं गैर-असमियों के बीच, झारखंडी एवं दिकुओं के बीच) से जहाँ एक ओर कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है वहीं संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक स्वतंत्रता का भी हनन होता है।
2. राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि जहाँ राज्य सरकार क्षेत्रीय हितों से निर्देशित होती है वहीं केंद्र सरकार को व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना पड़ता है।
3. क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाता है। यह क्षेत्रीय मुद्दों को उभारकर वहाँ के लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति उदासीन बना देता है।
4. यह आर्थिक विकास में बाधक बन जाता है क्योंकि क्षेत्रीय हितों में ही उलझे रहने के कारण लोग राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण (Modernization) की प्रक्रिया से कट जाते हैं साथ ही, संघर्षों में संसाधनों का अपव्यय करते हैं।
5. क्षेत्रवाद के कारण लोग राष्ट्र की शक्ति को चुनौती देते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो जाता है।

भारत में क्षेत्रवाद के कारण (Causes of Regionalism in India)

भारत एक बहुलक समाज है तथा भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता (Geographical and Cultural Diversity) इसका आवश्यक पक्ष है जो अन्य तत्वों के साथ जुड़कर क्षेत्रवाद की समस्या को उत्पन्न करता रहा है। वे अन्य तत्त्व ही मूलत: क्षेत्रवाद के कारण हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है:–

1. क्षेत्रीय आर्थिक विषमता, जो भौगोलिक विविधता या त्रुटिपूर्ण नीतियों का परिणाम रही है, पिछड़े एवं गरीब क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रीय वंचन (Regional Deprivation) को उत्पन्न किया है।
2. विरोधी आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के चलते जो आर्थिक एवं राजनीतिक विषमता के बोध उत्पन्न हुए हैं, ने भी लोगों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है।
3. मुख्यत: केंद्र सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों में अपनाई गई नीतियों के कारण असमान विकास से प्रभावित लोगों में असंतोष उभरा है।
4. भारतीय राजनीति में कुछ राजनीतिक दलों या संगठनों या नेतृत्व के निहित स्वार्थ भी नृजातीय समूह को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते रहे हैं।
5. अनेक समूहों द्वारा राज्य की कुछ नीतियों को अपने सांस्कृतिक क्षरण एवं अपने नृजातीय छवि के प्रतिकूल मानते हुए क्षेत्रीयता के आधार पर संगठित रूप से उसका विरोध किया जाता है।
6. विदेशों द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी क्षेत्रवाद को उद्वेलित किया जाता है। (उत्तर-पूर्व के राज्यों में)
7. वैश्वीकरण (Globalization) के कारण उत्पन्न पहचान के संकट ने भी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को अपनी नृजातीय विशेषताओं (Racial Characteristics) के आधार पर संगठित होने के लिए उत्प्रेरित किया है, जिसका दुष्परिणाम क्षेत्रवाद के रूप में सामने आया है।
8. इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि तत्त्व भी उपरोक्त तत्त्वों के साथ जुड़कर भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने में सहायक रहे हैं।

मूल्यांकन (Evaluation)

स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद एक सीमा तक भारत जैसे बहुलक समाज में राष्ट्रीय एकता एवं संतुलित विकास हेतु अपरिहार्य हैं क्योंकि इसके द्वारा न केवल संतुलित विकास संभव होता है बल्कि राष्ट्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी कम होती है और सत्ता केंद्र से प्रदेशों की तरफ विकेंद्रित हो जाती है। परंतु जब क्षेत्रवाद अपने नकारात्मक संदर्भ में प्रकट होने लगता है तो यह कई रूपों में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समक्ष चुनौती को प्रस्तुत करता है, जिसे समकालीन भारतीय समाज (Contemporary Indian Society) में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अत: जरूरत है इस समस्या के पूर्ण उन्मूलन की जिसको कुछेक सुझावों पर अमल करके संभव बनाया जा सकता है, ताकि क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर कर विविधता में एकता को सुरक्षित रखा जा सके और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके:–

क्षेत्रवाद की समस्या की रोकथाम हेतु सुझाव (Suggestion to Prevent the Problem of Regionalism)

1. राष्ट्रवाद या हम सब एक है-की भावना को विकसित किया जाए।
2. वैयक्तिक एवं क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आर्थिक असमानता को दूर किया जाये।
3. आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया जाये तथा गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन किया जाये।
4. शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाये।
5. स्वार्थी राजनीतिक दलों एवं संगठनों एवं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाये।
6. वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों के मध्य पारस्परिक आदान-प्रदान (Mutual Exchange) को तेज करके एक सामान्य भारतीय संस्कृति का निर्माण किया जाए, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों एवं विशिष्ट सांस्कृतिक तत्त्वों का समावेश हो ताकि सभी क्षेत्र एवं संस्कृति के लोगों में इस सांस्कृतिक समानता के आधार पर सामुदायिक भावना विकसित हो सके।
7. संचार साधनों (मीडिया) की भूमिका को इस दिशा में सकारात्मक रूप से सुनिश्चित किया जाए।

✪✪✪✪✪

16 भारत में धर्मनिरपेक्षता (Secularism in India)

परिचय (Introduction)

धर्मनिरपेक्षता आधुनिक समाज की एक केंद्रीय विचारधारा (Ideology) है जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर धर्म के अवैज्ञानिक प्रभाव के उन्मूलन पर बल देती है। विचारधारा पर आधारित इस परिवर्तन की प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्षीकरण के रूप में जाना जाता है। ब्रायन आर. विल्सन के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाती हैं। इस तरह धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिदिन के जीवन पर धार्मिक नियंत्रण का कम होना, धार्मिक विश्वासों के प्रति विरोधात्मक स्थितियों (Adversarial Situation) का विकास और कर्मकाण्डीय प्रक्रिया (Ritualistic Process) का तर्क द्वारा स्थानापन्न किया जाना, शामिल किया जाता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित लक्षणों की चर्चा की जा सकती है:–

1. धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में विचार स्वतंत्रता एवं तर्कयुक्त चिंतन पर जोर दिया जाता है।
2. इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलौकिक एवं अधिप्राकृतिक सत्ता का विरोध तथा इहलौकिकता में विश्वास बढ़ता जाता है और लोग भौतिक जीवन की प्रगति में अधिक विश्वास करने लगते हैं।
3. इस प्रक्रिया के तहत जगत के अध्ययन एवं जीवन की समस्याओं के समाधान में धर्म के प्रति उदासीनता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ती जाती है तथा मानव जीवन के अध्ययन एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तार्किक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास धार्मिक विश्वासों पर आच्छादित हो जाता है।
4. इस प्रक्रिया का एक प्रमुख पहलू धर्म का धर्मनिरपेक्षीकरण है जिसके अंतर्गत सभी धर्म अपने सिद्धांतों व व्यावहारिक प्रक्रियाओं को अपने सदस्यों की बदलती आवश्यकताओं एवं समाज की बदलती स्थिति के अनुरूप ढाल लेते हैं। यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद का विकास या फिर आधुनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा आधुनिक अस्पतालों, धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों आदि का संचालन इस प्रक्रिया को परिलक्षित करते हैं।

धर्मनिरपेक्षता का उद्भव (Emergence of Secularism)

धर्मनिरपेक्षता का उद्भव यूरोप के दैनिक जीवन में प्रभावी धर्म या चर्च के प्रभाव के उन्मूलन के रूप में हुआ माना जाता है। मध्यकाल का यूरोपीय समाज एक धर्म प्रधान समाज था और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव प्रबल था। 13वीं – 14वीं सदी तक आते-आते धर्म और राज्य के बीच गठबंधन ने धर्म के अंतर्गत अनेक रूढ़ियों एवं कुरीतियों (Stereotypes and Vices) को विकसित किया जो राज्य और धर्म द्वारा किए जाने वाले शोषण को वैधता प्रदान करती थीं।

यूरोप के सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के इसी प्रभाव के उन्मूलन के रूप में धर्मनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का उद्भव हुआ, जिसके लिए निम्नलिखित घटनाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:–

1. पुनर्जागरण (Renaissance) आंदोलन ने तर्कसंगत ज्ञान के महत्त्व में वृद्धि को संभव बनाया। फलत: कला एवं ज्ञान के प्रति रुचि व तर्कसंगत खोज के साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में पुनर्व्याख्या एवं आलोचना का दौर आरम्भ हुआ। छापेखाने के आविष्कार के कारण इन विचारों की जन सामान्य के लिए सरलता से उपलब्धता संभव हो सकी और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बल मिला।
2. यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति ने तर्कसंगत, पद्धतिबद्ध तथा प्रयोगसिद्ध ज्ञान के महत्त्व में वृद्धि को संभव बनाया। फलत: इस ज्ञान के आधार पर विश्व संबंधी पूर्व पारलौकिक व्याख्याओं एवं धारणाओं को चुनौती मिली, जिससे धर्म के प्रभाव में कमी आयी। इस क्रांति से मनुष्य का विश्व और प्राकृतिक जगत के बारे में वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसंगत ज्ञान में वृद्धि हुई और इस संदर्भ में धर्म पर निर्भरता में कमी आई।
3. सोलहवीं सदी में ईसाई धर्म के अंतर्गत सुधार आंदोलन द्वारा ईसाई धर्म में विद्यमान मध्ययुगीन कुरीतियों को समाप्त करने व बाइबिल के अनुरूप सिद्धांतों तथा रीतियों (Rituals) के पुनर्स्थापना पर बल दिया गया तथा इन सिद्धांतों एवं रीतियों को प्रोटेस्टेंटवाद नाम दिया गया। प्रोटेस्टेंटवाद ने ईश्वर को व्यक्तिगत बना दिया और व्यक्तिगत सांसारिक क्रिया को ईश्वर की आस्था के प्रतीक के रूप में प्रोत्साहित करके धर्म को अधिकाधिक व्यावहारिक एवं तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया।
4. यूरोप में होने वाले व्यापार एवं वाणिज्य के विकास तथा औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग का विकास संभव हुआ। इस मध्यम वर्ग ने अपने अस्तित्व को स्थापित करने की प्रक्रिया में धर्म आधारित परंपरागत विचारधारा एवं व्यवस्था का विरोध किया। साथ ही, औद्योगीकरण ने व्यक्ति को विवेकसम्मत आर्थिक क्रियाओं की ओर प्रेरित कर समाज को अधिकाधिक तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया।

5. ब्रायन विल्सन ने अपनी पुस्तक में साम्यवाद जैसी विचारधारा और ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों के विकास को भी धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के कारण के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने यह दर्शाया है कि इस विचारधारा और ऐसे संगठनों के विकास ने धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी और समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करके तर्कसंगत विचार और विश्व दृष्टि के विकास में सहायता पहुंचायी है।

स्पष्ट है यूरोप में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया एक लंबी, जटिल एवं ऐतिहासिक घटना है जो कई तत्त्वों का संयुक्त परिणाम रही है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता (Secularism in India)

धर्मनिरपेक्षीकरण से तात्पर्य सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव की उन्मूलन की प्रक्रिया से है और इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षीकरण का उद्भव यूरोप में संभव हुआ जो धीरे-धीरे आधुनिकीकरण (Modernization) के एक घटक के रूप में आज दुनिया के सभी समाजों में क्रियाशील है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्षता एक गतिशील अवधारणा रही है। भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता को एक जीवनशैली के रूप में स्वीकार किया गया है जहाँ विभिन्न धर्मो के लोग स्वतंत्रता समानता एवं सहिष्णुता की भावना के आधार पर बिना एक दूसरे के परंपरागत विश्वासों में बाधा उत्पन्न किए, ऐसे कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करे, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म न हो और उसके लिए सभी धर्म समान हों।

इस रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसके तहत संवैधानिक रूप से राज्य किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है और राज्य तथा धर्म के बीच पृथकता विद्यमान है। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता के लक्षणों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है:–

भारत में धर्मनिरपेक्षता के लक्षण (Characteristics of Secularism in India)

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए पंथनिरपेक्ष / धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गयी है।
2. राज्य किसी धार्मिक समुदाय पर अपनी संस्कृति नहीं थोपेगा और कोई भी धर्म या समुदाय स्वेच्छापूर्वक अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित करने में स्वतंत्र होंगे (अनुच्छेद 30)।
3. राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान से धर्म पृथक होगा (अनुच्छेद 28)।
4. राज्य किसी के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा (अनुच्छेद 26, 27)।
5. सभी को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है (अनुच्छेद 25)।
6. संविधान के समक्ष सभी समान है और राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर की समानता उपलब्ध करता है (अनुच्छेद 14 से 18)।
7. भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है और संवैधानिक रूप से भारत राज्य किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है।

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत (India as a Secular State)

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की प्रकृति को दो स्वरूपों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

सैद्धांतिक स्वरूप

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय राज्य किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है और राज्य तथा धर्म के बीच पृथकता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 30 में निहित प्रावधान इस बात की पुष्टि करते हैं।

व्यवहारिक स्वरूप

सैद्धांतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक स्वरूप सैद्धांतिक स्वरूप से भिन्न प्रतीत होता है, जैसे:–

1. सरकार द्वारा अल्पसंख्यक धर्म की शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।
2. अल्पसंख्यकों द्वारा धर्म के आधार पर विशेष सुविधाओं की माँग की जा रही है और कुछ राज्यों द्वारा इन्हें प्रदान भी किया जा रहा है।
3. आज तुष्टीकरण (Appeasement) की नीति के तहत चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ धार्मिक समूहों को धर्म के नाम पर विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है।
4. राजनीतिक दलों द्वारा धर्म को आधार बनाकर मतों को लामबंद करने का प्रयास किया जा रहा है।
5. आज भारत में समान नागरिक संहिता का अभाव और अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों का प्रावधान किया गया है।
6. राज्य और धर्म में वैधानिक पृथकता के बावजूद सरकार या राज्य द्वारा किसी धार्मिक समुदाय विशेष पर समाज कल्याण के नाम पर धन खर्च किया जाता है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सैद्धांतिक व व्यवहारिक स्वरूप में कुछ ऐसे विरोधाभास परिलक्षित होते हैं, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रकृति पर प्रश्न उठाते हैं और इसी आधार पर भारतीय धर्म-निरपेक्षता की आलोचना की जाती है और कुछ विद्वानों द्वारा यहाँ तक कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। परंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य या समाज एक आदर्श-प्रारूपी (Ideal - Model) अवस्था है जिसकी प्राप्ति किसी भी आधुनिक राज्य या समाज का प्रमुख लक्ष्य होता है। चूंकि राज्य समाज के अनुरूप होता है और जब तक भारत के संपूर्ण समाज में धर्म का प्रभाव व्याप्त है तब तक भारतीय राज्य

से पूर्ण धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा करना तर्क संगत नहीं हैं। भारत एक बहुलक समाज (Puluralistic Society) है जहाँ विभिन्न धर्म, संप्रदाय, भाषा, नृजातीयता आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। एक संघ के रूप में भारत का निर्माण अमेरिका की तरह इकाईयों की इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि यहाँ भारतीय संघ द्वारा इसकी इकाईयों को संगठित किया गया है। इसलिए भारत सरकार द्वारा विविधता में एकता के आदर्श को अपनाते हुए सभी धार्मिक एवं नृजातीय समुदाय (Ethnic Community) को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में एकीकृत करने का आश्वासन दिया गया है और यह बात भारत सरकार द्वारा अपनाए गए धर्मनिरपेक्षता के स्वरूपों से भी परिलक्षित होती है जो यूरोपीय प्रतिरूप से भिन्न है। इसलिए भारत व्यवहारिक क्रिया-कलापों में धर्मनिरपेक्षता के सैद्धांतिक आदर्शों से कहीं-कहीं विचलित प्रतीत होता है। अतः निष्कर्ष है कि भारत को एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष राज्य भले न कहा जाय, परंतु इसे एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा अवश्य दी जा सकती है जो राज्य रूपी संस्थागत साधनों की मदद से लोगों की धार्मिक भावनाओं को महत्त्व देते हुए एक धर्मनिरपेक्ष समाज के आदर्श प्रारूप के स्वरूप की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है, साथ-साथ इस प्रक्रिया में वह अपने बहुलक चरित्र को भी बनाए रखना चाहता है। इसी कारण वैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी इसकी गतिविधियाँ कुछ मामलों में धर्म से जुड़ी प्रतीत होती हैं।

भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण का सामाजिक प्रभाव
Social Consequences of Secularism in India

ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज एक धार्मिक समाज रहा है जहाँ सामाजिक जीवन के सभी पक्ष धर्म के इर्द-गिर्द संगठित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आधुनिक समाज के लक्ष्य को स्वीकार किया गया और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के तहत राज्य द्वारा अपने आप को धर्म से पृथक करते हुए आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक प्रावधान आदि के माध्यम से भारतीय समाज को एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक समाज के रूप में बदलने का प्रयास किया गया है। पिछले 63 वर्षों से भारत में क्रियाशील धर्मनिरपेक्षीकरण की इस प्रक्रिया ने धर्म प्रधान भारतीय समाज के सभी पक्षों में कई परिवर्तनों को संभव बनाया है, जैसेः–

1. भारतीय समाज में विश्व एवं समाज के बारे में प्रचलित धार्मिक दृष्टिकोण कमजोर हुआ है तथा तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ है और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं के निर्माण के साथ धर्म का प्रभाव क्षेत्र सीमित हुआ है। आज लोगों में पवित्रता और अपवित्रता (Purity and Pollution) की धारणा कमजोर हुई है और भारतीय लोग अपनी सोच व गतिविधियों में अधिकाधिक लौकिक हुए हैं।
2. धर्म आधारित परंपरागत समाज के दार्शनिक आधार जैसे पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत, संस्कार, यज्ञ एवं ऋण की धारणा आदि आज महत्त्वहीन होते जा रहे हैं।
3. आज जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार कमजोर हुआ है फलतः जाति व्यवस्था में निहित अस्पृश्यता, निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, जन्मजात पेशा, प्रदत्त प्रस्थिति, (Ascribed Status) खान-पान संबंधी प्रतिबंध, सांस्कारिक सोपान आदि का महत्त्व घटा है और आज जाति व्यवस्था मुख्यतः लौकिक आधार पर अपनी निरंतरता बनाए हुए है।
4. आज भारतीय स्तरीकरण व्यवस्था धार्मिक आधार पर निर्मित जाति स्तरीकरण से लौकिक आधार पर निर्मित वर्ग स्तरीकरण के रूप में परिवर्तित हो रही है फलतः जहाँ सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि और निम्न जातियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, वहीं जाति प्रतिस्पर्धा, तनाव एवं संघर्ष में भी वृद्धि हुई है।
5. धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने परंपरागत शक्ति संरचना में उच्च जातियों के महत्त्व को कमजोर करके और निम्न व मध्यम जातियों को राजनीतिक व आर्थिक शक्ति प्रदान करके शक्ति संरचना (Power Structure) में उन्हें उभरने का मौका दिया है, फलतः ये जातियाँ अनेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर काबिज होकर अपने प्रस्थिति उन्नयन (Status Upgrade) में सफल हुई हैं।
6. आज भारत में विवाह का सांस्कारिक पक्ष कमजोर हुआ है और आज लोग विवाह धार्मिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। नातेदारी संबंधों में भी पति-पत्नी, माता-पिता, पिता-पुत्र, पुत्र-पुत्री आदि एक दूसरे के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन धार्मिक कर्त्तव्यों के रूप में न करके लौकिक आधार पर करते हैं। आज भारतीय स्त्रियों में अपने पति को परमेश्वर मानने की धारणा कमजोर हुई है फलतः जहाँ एक ओर महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार हुआ है तो दूसरी तरफ परिवारिक तनाव एवं विघटन में भी वृद्धि हुई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज में विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया है और आधुनिकता की दिशा में सामाजिक परिवर्तनों को संभव बनाया है, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। हाल के वर्षों में वैश्वीकरण जनित पहचान के संकट से उत्पन्न प्रतिक्रियात्मक चेतना, (Reactive Consciousness) धार्मिक रूढ़िवाद एवं सांप्रदायिक तनाव, धर्म का बाजारीकरण, कुछ व्यक्तियों या समूहों द्वारा अपने स्वार्थों को सिद्ध करने हेतु धर्म का प्रयोग आदि के परिणामस्वरूप भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की यह प्रक्रिया कमजोर हुई है फलतः सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में धर्म का अवैज्ञानिक प्रभाव पुनः दृष्टिगत होने लगा है। अतः इन नवीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं के समाधान द्वारा ही धर्मनिरपेक्षीकरण की इस प्रक्रिया को क्रियाशील रखा जा सकता है और इसके माध्यम से आधुनिक समाज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

धर्मनिरपेक्षीकरण की समकालीन चुनौतियाँ
Contemporary Challenges of Secularization

हालांकि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया कभी भी निर्बाध नहीं रही है परंतु हाल के वर्षों में देखा जाए तो यह प्रक्रिया लगभग सभी देशों में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो निम्न चुनौतियों की चर्चा करना प्रासंगिक होगा–

1. धार्मिक रूढ़िवाद और धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद (Religious Fundamentalism and Religious Revivalism) समकालीन विश्व की प्रमुख घटनाएँ हैं जो भारत में भी धर्मनिरपेक्षीकरण की वर्तमान प्रक्रिया के सामने प्रमुख चुनौती प्रस्तुत कर रही है। इन दोनों प्रक्रियाओं के तहत व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अधिकाधिक केंद्रित हुआ है और अपने मूल धार्मिक विश्वासों को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
2. वैश्वीकरणजनित पहचान के संकट ने लोगों को पहचान की तलाश में अपने धर्म की ओर उन्मुख किया है परिणामतः धार्मिक रूढ़िवाद और धार्मिक पुनःप्रवर्तनवाद निरंतर मजबूत हो रहा है और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया कमजोर हुई है।
3. धर्म के आधार पर होने वाले सांप्रदायिक तनाव, संघर्ष एवं दंगे भी धार्मिक भावना को भड़काकर अपने धर्म के प्रति लोगों को और अधिक रूढ़िवादी बना रहे हैं। गुजरात दंगे तथा हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए दंगे जैसी सांप्रदायिक घटनाओं ने धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है।
4. भारत में राजनैतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु अपने पक्ष में मतों को लामबंद करने हेतु धर्म का प्रयोग, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण आदि घटनाओं ने धर्म के महत्त्व को बढ़ाकर धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है।
5. भारत में विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा सामाजिक क्षेत्र यथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में किए गए प्रयासों ने धर्म के महत्त्व और धार्मिक विश्वासों को मजबूत बनाकर धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है।

   वैश्वीकरण और इससे उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से वर्तमान समय में उत्पन्न तनावों से मुक्ति प्रदान करने हेतु धर्म की भूमिका और पहचान के संकट के समाधान में धर्म का महत्त्व, धर्म के समकालीन प्रकार्यों को दर्शाता है जो धर्म की निरंतरता बनाए रखने और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित करने की दिशा में उल्लेखनीय घटनाएँ हैं।
6. वर्तमान में बाजार की शक्तियों द्वारा धार्मिक विश्वासों व मान्यताओं का बाजारीकरण, धार्मिक चैनलों की भरमार (आस्था, साधना, संस्कार) आदि ने भी धर्म के प्रभाव में वृद्धि करके धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है।

मूल्यांकन एवं निष्कर्ष / Evaluation and Conclusion

उपरोक्त समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि समकालीन भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, इसके बावजूद यह प्रक्रिया सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के अवैज्ञानिक प्रभावों के उन्मूलन और धर्म को अधिकाधिक वैयक्तिक घटना के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण रही है और इस रूप में इसने आधुनिक समाज के निर्माण को संपोषित किया है। आज राज्य के दैवीय अधिकार के सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त नहीं है। विवाह एवं परिवार के निर्माण का उद्देश्य धार्मिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं रह गया है। स्तरीकरण की व्यवस्था के रूप में भारत में जाति व्यवस्था को वैधता प्रदान करने वाला धार्मिक आधार कमजोर हो गया है। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में रूढ़िवादी मान्यताओं एवं कुरीतियों का उन्मूलन संभव हो पाया है।

स्पष्ट है कि समकालीन समाज पर धर्म का वैसा नियंत्रण नहीं रह गया है जैसा प्राचीन भारतीय समाज में विद्यमान था। आज हम संसार को रहस्यमयी धार्मिक विचारों के आधार पर परिभाषित नहीं करते और प्रकृति व जीवन के बारे में तथा उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि व तर्कयुक्त चिंतन पर जोर देते हैं। परंतु इसके साथ यह भी उल्लेखनीय है कि आज भी हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक समाज के रूप में पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाये हैं। अनगिनत नए धार्मिक आंदोलन, अध्यात्मिक जीवन के नए स्वरूप तथा नए धार्मिक विचार (एस्कॉन, साई बाबा, निरंकारी बाबा, डेरा सच्चा सौदा आदि) जो पिछले कुछ दशकों में उभरे हैं; धार्मिक आधार पर होने वाला संघर्ष जो दुनिया के सभी देशों में कमोवेश मात्रा में एक महत्त्वपूर्ण समकालीन घटना बना हुआ है, धार्मिक आतंकवाद जो अब विश्व के समक्ष एक ज्वलंत समस्या (Burning Issues) के रूप में विद्यमान है आदि इस तथ्य को परिलक्षित करते हैं।

अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण जो समकालीन आधुनिक समाज के निर्माण की एक प्रमुख प्रक्रिया है अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है और जब तक इसको एक आंदोलन का रूप नहीं प्रदान किया जाएगा और इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों का तर्कयुक्त निदान नहीं होगा तब तक एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक भारत की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी।

✪✪✪✪✪

17 भारत में सांप्रदायिकता (Communalism in India)

सांप्रदायिकता का अर्थ (Meaning of Communalism)

सांप्रदायिकता मस्तिष्क की वह प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत एक धार्मिक समूह के समर्थक अपने आपको एक पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई मानते हुए दूसरे समूह को अपने विरोधी हितों वाला समूह मानते हैं।

किसी धर्म के प्रति आस्था या धार्मिक व्यवस्था का अनुगमन सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता बल्कि धर्म का शोषण करना सांप्रदायिकता है। एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध तथा राष्ट्र की संयुक्तता के विरुद्ध उपयोग किया जाना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता वस्तुत: धार्मिकता को राजनीतिक शत्रुता में बदलने की प्रक्रिया है जो प्रगति, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति, तार्किकता एवं वैज्ञानिकता का विरोधी है। साम्प्रदायिक व्यक्ति के लिए राजनीति एवं राज्य के मामलों में धार्मिक समुदाय ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधार है। इस आधार पर सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद की विरोधी प्रक्रिया है जिसमें बहुल नृजातीय, धार्मिक एवं भाषायी समुदायों को एकीकृत करने की बजाय विखंडित करने की रणनीति अपनायी जाती है। इसमें सामाजिक- सांस्कृतिक सहअस्तित्व एवं राजनीतिक समन्वय की विचारधारा का विरोध सन्निहित है।

सांप्रदायिकता धर्म और राजनीति का एक अपवित्र समझौता है जिसकी अभिव्यक्ति दो रूपों में परिलक्षित होती है–

1. धार्मिक उद्देश्यों के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया जाना तथा
2. राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग किया जाना।

सांप्रदायिकता की प्रक्रिया में धर्म का उपयोग आत्म परिपूर्णता के लिए नहीं वरन् एक विशेषाधिकारयुक्त अस्त्र के रूप में राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए किया जाता है।

इन परिभाषाओं के आधार पर सांप्रदायिकता की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं:–

सांप्रदायिकता की विशेषताएँ (Characteristics of Communalism)

1. सांप्रदायिकता एक मन:स्थिति अथवा मन की प्रवृत्ति है। सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति में प्रत्येक धार्मिक समूह को एक पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है।
2. इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समूह दूसरे समूहों के प्रति प्रतिद्वंद्विता एवं वैर का भाव रखता है।
3. सांप्रदायिकता में धर्म का शोषण किया जाता है अर्थात् एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय के विरुद्ध उपयोग किया जाता है।
4. सांप्रदायिकता में राजनीतिक आकांक्षा (Political Aspiration) एवं क्रिया हेतु धार्मिक समुदाय को ही समग्र के रूप में स्वीकारा जाता है।
5. सांप्रदायिकता विभिन्न समूहों को जोड़ने एवं तोड़ने की एक राजनीतिक रणनीति है।
6. सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के आधार पर राष्ट्रीय एकीकरण एवं राजनीतिक व्यवस्था की विरोधी प्रक्रिया है।
7. सांप्रदायिकता एक विशेषाधिकार युक्त अस्त्र है जिसमें राजनीति एवं धर्म के अपवित्र गठबंधन के आधार पर शक्ति हासिल की जाती है। वस्तुत: यह नृजातीय अस्मिता (Ethnic Identity) एवं आधुनिक हितों (स्वार्थों) का एक विलक्षण संयोजन है।

भारत में सांप्रदायिकता (Communalism in India)

दो समुदायों के मध्य भाषा, जाति व अन्य नृजातीय तत्त्वों के आधार पर व्याप्त घृणा, विद्वेष या संघर्ष की मनोवृत्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं, जिसको भारत में मुख्यत: धर्म के संदर्भ में देखा जाता है।

नई आर्थिक नीति व वैश्वीकरण की छाया में सांप्रदायिकता का विस्फोट भारत में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का एक प्रमुख अभिलक्षण (Characteristics) बन गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड, गोधरा कांड के परिणामस्वरूप संपूर्ण भारत व गुजरात में फैला दंगा तथा पंजाब में अकाली दल और डेरा सच्चा सौदा के मध्य तनाव तथा मुजफ्फरनगर दंगा ने साम्प्रदायिक तनाव को ज्वलंत मुद्दा बना दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सांप्रदायिकता उन्मूलन को दी गई प्राथमिकता राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता की गंभीरता को परिलक्षित करती है।

भारत में सांप्रदायिकता के कारण (Causes of Communalism in India)

भारत में साम्प्रदायिक तनाव का बीजारोपण मुस्लिम आक्रमणों और मुस्लिम शासनकाल में ही हो गया था परंतु इसे सम्पुष्ट (Solid) करने वाले कारकों को निम्न रूप में देखा जा सकता है:–

1. अँग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदायों के मध्य विद्वेष को तीव्र कर दिया, जिसका परिणाम भारत का विभाजन और 1946-48 के दंगों में लगभग 2 लाख लोगों की मौत के रूप में सामने आया।
2. 1947 के बँटवारे के बाद भारतीय मुस्लिमों में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति (जो कि स्वाभाविक थी) से भारत के हिन्दू जनमानस में भ्रामक संदेश गया, जिसने उनके मन में मुस्लिमों के प्रति अविश्वास को पुष्ट किया।
3. शाहबानो प्रकरण ने दोनों समुदायों में परस्पर अविश्वास एवं विद्वेष को और बढ़ा दिया। शाहबानों के मामले में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं माना तथा साम्प्रदायिक दबाव के कारण मुस्लिम महिला विधेयक पारित करवाया। परिणामस्वरूप हिन्दू कट्टरपंथी संस्थाओं ने भी राम जन्म भूमि विवाद पर न्यायालय के नकारात्मक फैसला आने की स्थिति में मानने से मना कर दिया।
4. स्वार्थी राजनीतिक दलों, नेताओं एवं असामाजिक तत्त्वों ने अपने स्वार्थों की सिद्धि हेतु इसको कम करने के बजाए इसे बढ़ाने का प्रयास किया (मुज्जफरनगर दंगों, केरल, कर्नाटक के 2004 के दंगे, गोधरा दंगा, मुबई दंगे)। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है।
5. धार्मिक कट्टरपंथियों (Religious Fundamentalist) द्वारा अपने-अपने समुदायों को धर्म रक्षा के नाम पर एक-दूसरे के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। कट्टरपंथियों द्वारा अपने समुदाय में हिन्दू खतरे में, इस्लाम खतरे में जैसे-नारों के द्वारा डर फैलाया जाता है। इससे दूसरे समुदाय के प्रति विरोध एवं कटुता तीव्र होती है।
6. मुस्लिमों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया जाना भी हिन्दुओं में उनके प्रति संदेह और द्वेष को बढ़ाया है। हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा इसको मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की रणनीति के रूप में प्रचारित किया जाता है।
7. सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने भी विभिन्न समुदायों को उद्वेलित किया है। वोट बैंक की राजनीति के तहत विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा एक विशेष समुदाय हेतु योजनाएँ एवं कार्यक्रम का लाया जाना अन्य समुदाय में विद्वेष की भावना पैदा करती है।
8. कानून लागू करने वाली एंजेसियों के सम्प्रदायीकरण (वी.एन. राय का परसेप्सन ऑफ पोलिस न्यूट्रालिटी इन कम्यूनल राइट्स) ने स्थिति को और गम्भीर बनाया है।
9. वैश्वीकरणजनित पहचाना संकट के समाधान के क्रम में धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद एवं धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया ने भी धार्मिक समुदायों के मध्य संदेह एवं विद्वेष की भावना में वृद्धि की है। 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान असमाजिक तत्त्वों द्वारा लूटपाट एवं बलात्कार की वीभत्स घटनाओं में असमाजिक तत्त्वों की भूमिका देखी जा सकती है। इसी तरह 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी असमाजिक तत्त्वों की व्यापक भूमिका देखी जा सकती है।
10. वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत धार्मिक समुदायों के मतों का ध्रुवीकरण (Vote Polarization) हेतु भी दंगे एवं तनाव का वातावरण पैदा किया जाता है। हाल ही में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
11. धर्मांतरण एवं पुनः धर्मांतरण के मुद्दे के राजनीतिकरण ने भी संप्रदायवाद की उत्पत्ति एवं विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ओडिशा के कंधमाल के हुए दंगों को इसके उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है।
12. सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विसंगतियाँ भी ऐसे परिवेश का निर्माण करती हैं जो कि सम्प्रदायवाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। कृषि मंत्रालय के एक शोध रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्र में 50% प्रतिशत अतिरिक्त भूमि का सही वितरण न हो पाना साम्प्रदायिकता में बढ़ोतरी का एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

इनके अतिरिक्त कई अन्य कारक, यथा-गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मीडिया की नकारात्मक भूमिका, हाल में उभर रहे धार्मिक कट्टरवाद, पड़ोसी देशों द्वारा प्रोत्साहन, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों में भिन्नता आदि भी सांप्रदायिकता के पोषक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम
(Consequences of Communalism in India)

भारत एक बहुलवादी समाज (Pluralistic Society) है जहाँ विभिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं। समाज में अपने अस्तित्व एवं स्वतंत्र पहचान कायम रखते हुए भी एक-दूसरे के साथ इनकी सामाजिक अंत:क्रिया (Social Interaction) होती रही है जो कि प्रायः समाज के संदर्भ में सकारात्मक रही है, जिसके कारण ही भारतीय समाज एक बहुरंगी धार्मिक एवं सांस्कृतिक छवि वाले समाज के रूप में देखा एवं समझा जाता रहा है।

किंतु वर्तमान में विविध कारणों के परिणामस्वरूप भारत के इन विविध धर्मावलम्बियों के अंत:क्रिया का स्वरूप नकारात्मक हो रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव समाज में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उन दुष्प्रभावों की चर्चा निम्न रूप में की जा सकती हैं:–

1. ***समाज में तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि (Increase tension and Conflict in Society)–*** भारत में विविध साम्प्रदायिक समूह एक-दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाने से बचते ही नहीं बल्कि एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। विभिन्न सम्प्रदाय के लोग सभाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से एक-दूसरे का छिन्द्रान्वेषण (Hole exploration) करते हैं तथा उनके व्यक्तिगत विचारों एवं व्यवहारों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके कारण इनमें तनाव एवं संघर्ष पैदा होता है, भारत में विविध हिन्दू एवं मुस्लिम त्यौहारों के समय ऐसा अक्सर देखा जाता है, ताजिया निकालते समय अथवा होली एवं दशहरे के त्यौहारों पर अंतर्सामुदायिक (Inter community) संघर्ष अक्सर देखे जा सकते हैं।

2. ***राष्ट्रीय संपत्ति एवं जानमाल की हानि (Loss of National Property and Life)–*** साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान भारत में अक्सर जान माल का नुकसान होता है, चाहे भारत-पाक बंटवारे के समय हो अथवा विविध त्यौहारों के समय, जब भी साम्प्रदायिक तनाव होते हैं। वे संघर्ष में बदल जाते हैं। पहले तो एक-दूसरे की जान लेने की कोशिश की जाती है उसमें सफल न होने पर लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। तनाव एवं संघर्ष के अधिक बढ़ जाने पर सारा दोष सरकार पर थोप दिया जाता है और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचायी जाती है। साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान अक्सर सरकारी वाहनों, रेलगाड़ियों में तोड़-फोड़ एवं जलाने की घटना देखी जाती है।

3. ***देश की एकता एवं अखंडता को खतरा (Challenges of Unity and Integrity of the Country)–*** साम्प्रदायिक तनाव एवं संघर्ष के दौरान विविध समुदायों के बीच हिंसक घटनाएं जन्म लेती हैं जिससे देश की एकता एवं अखंडता भी प्रभावित होती है। साम्प्रदायिक गतिविधियां (Communal Activities) के तहत कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। भारत में आतंकी घटनाएं भी अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न हो रही हैं जोकि देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भारत में संसद पर हमला, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं पर आतंकी कार्यवाही देश की संप्रभुता-एकता एवं अखंडता को चुनौती दे रही है।

   पंजाब में खालिस्तान की माँग हो अथवा आजाद कश्मीर का मुद्दा हो। मुख्यत: यह धर्म आधारित मांग थी। इसी तरह नागालैंड में ईसाईयों द्वारा पृथक राज्य की स्थापना की माँग भी मुख्यत: धार्मिक निष्ठा पर ही आधारित थी।

4. ***आर्थिक विकास, धर्मनिरपेक्षीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया दुष्प्रभावित–*** साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान प्रभावित क्षेत्र की सामान्य गतिविधियां प्रभावित होती हैं साथ ही, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। वस्तुत: साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान लोग सरकारी तंत्र पर हमला बोल देते हैं तथा भौतिक संसाधनों एवं मशीनरी को तो नष्ट करने का प्रयास करते हैं साथ ही, सरकारी संस्थाओं में कार्यरत लोगों के प्रति भी हिंसक व्यवहार करते हैं जिसके कारण हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कोई कर्मचारी एवं अधिकारी जाना नहीं चाहता। विकास कार्यक्रम (Development Programme) के क्रियान्वयन के अभाव के परिणाम स्वरूप उस समाज का तो आर्थिक विकास रुकता ही है, राष्ट्र की आर्थिक विकास (Economic Development) की गतिविधियों पर भी चोट पहुंचती है। परिणामत: देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुकने के पश्चात् भारतीय समाज में आधुनिकीकरण (Modernization) की प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास का परिणाम होती है इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार संबंधी कानूनों के निर्माण एवं क्रियान्वयन को भी साम्प्रदायिक भावना के कारण अवरुद्ध किया जाता है, जिससे आधुनिक समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। शाहबानों प्रकरण एवं समान आचार संहिता के भारत में न लागू हो पाने के साम्प्रदायिक कारणों को आधुनिकीकरण एवं महिला विकास में बाधा के रूप में स्पष्टत: समझा जा सकता है।

5. ***राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability)–*** भारतीय समाज में साम्प्रदायिक समस्या के परिणामस्वरूप उपजे सामाजिक एवं सामुदायिक संघर्ष के बाद सामान्य सामाजिक जीवन में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी-कभी संवैधानिक तंत्र भी फेल हो जाता है जिसके कारण राजनीतिक प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। हिंसा ग्रस्त क्षेत्र में अक्सर चुनाव कराना कठिन हो जाता है (जम्मू-कश्मीर) और लोकतांत्रिक प्रणाली को चोट पहुंचती है। कभी- कभी सरकारें भी साम्प्रदायिक ताकतों को परोक्ष रूप से सहयोग देती हैं और साम्प्रदायिक संघर्ष (Communal Conflict) को बढ़ावा देती हैं जिसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। इन सभी उदाहरणों को भारतीय समाज में अक्सर देखा जाता है जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।

6. ***असामाजिक तत्त्वों एवं विचलित व्यवहारों में वृद्धि (Increase of Anti Social Elements and Deviant behaviours)–*** भारतीय समाज में साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान

अक्सर हिंसक घटनाएँ बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में असामाजिक तत्त्वों को भी अपनी गतिविधि संचालित करने का मौका मिल जाता है। मौके का फायदा उठाकर अपराधी लोग समाज में अपने क्रिया-कलापों को अंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा संघर्ष एवं हिंसा की स्थिति में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की संख्या बढ़ जाती है सामान्य व्यक्ति भी कभी-कभी परिस्थितिवश विचलित व्यवहार करने लगते हैं। हिंसा के दौरान लोग इसी बहाने अपनी दुश्मनी निकालने लगते हैं जिससे हिंसा और बढ़ जाती है।

भारत में सांप्रदायिकता निवारण हेतु किए गए प्रयास (Efforts made to Prevent Communalism in India)

भारतीय समाज में सांप्रदायिकता निवारण हेतु सर्व-धर्म-समभाव की प्रवृत्ति विचारकों में पहले से ही रही है, जिसके लिए विभिन्न समाज सुधारक समय-समय पर प्रयास करते रहे हैं। आजादी के आंदोलन के समय गांधी जी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर सांप्रदायिकता के उन्मूलनार्थ प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसे आजादी के बाद सरकारी स्तर पर किया जाने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात् किए गए प्रमुख प्रयासों को निम्नवत समझा जा सकता है:–

1. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। आगे चलकर 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा देते हुए इसका नामकरण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया।

   राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पांच समुदायों, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख के कल्याण हेतु उपाय सुझाता है तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व इस आयोग को दिया गया है (केन्द्र सरकार द्वारा 2014 में जैन समुदाय को छठे अल्पसंख्यक के रूप में नामित किया गया)।
2. साम्प्रदायिक समस्याओं पर विचार करने तथा विविध अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने एवं सामाजिक सौहार्द (Social Harmony) बनाए रखने को उत्प्रेरित करने के लिए 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई है, जिसे समय-समय पर सक्रिय किया जाता रहा है।
3. 1976 में ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकीकरण पर गठित कार्यदल द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द का कार्यक्रम बनाया गया है।
4. भारत सरकार में भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण की आवश्यकता पर जोर दिया है।
5. धार्मिक एवं भाषायी अल्प संख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को खोलने एवं अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार दिया है।
6. विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं जैसे शांति, अखंड भारत आदि द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द (Communal Harmony) के लिए विभिन्न क्रिया-कलाप किए जा रहे हैं।
7. देश के विभिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए विविध अभियान चलाए जा रहे हैं।
8. भाषायी अल्पसंख्यकों (Linguistic Minority) के हितों के सुरक्षार्थ भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के पद का सृजन किया गया है। यह भाषायी अल्पसंख्यकों से जुड़ी राष्ट्रीय एवं वैधानिक योजनाओं के लागू न किए जाने संबंधी शिकायतों का निबटारा करता है।
9. समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है जिसनें अल्पसंख्यकों के बीच सद्भावना बढ़ाने का कार्य किया है, प्रतिभावान छात्राओं को छात्रवृत्तियां देता है और साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाता है।

मूल्यांकन (Evaluation)

बहुलवादी भारतीय समाज (Pluralistic Indian Society) में विविध समुदायों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ-साथ नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ भी चलती रही हैं, जिनके विविध कारण एवं संयुक्त परिणाम रहे हैं। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया (सांप्रदायिकता) के समाधान हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर विविध प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों का कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक संघर्ष में कुछ कमी की संभावनाएँ बढ़ी हैं। स्वतंत्रता पूर्व एवं भारत के बँटवारे के समय गांधी जी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किए गए प्रयास साम्प्रदायिक समस्या को रोकने में काफी हद तक सफल रहे, जिसके कारण दंगे एवं हिंसा में कमी आई थी।

राष्ट्रीय एकीकरण पर गठित कार्यदल द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए किया गया प्रयास काफी हद तक सराहनीय रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना से अल्पसंख्यकों की समस्याओं एवं उनके असंतोष काफी हद तक स्पष्ट हो गए हैं जिनको दूर करने के लिए प्रयास भी किए जाने लगे हैं। विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किए गए साम्प्रदायिक सौहार्द्र संबंधी गतिविधियां भी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ बढ़ाने एवं उनको एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है। मौलाना आजाद एजूकेशन फाउन्डेशन द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा ही है, साथ ही अल्पसंख्यकों में पिछड़ों में छात्रवृत्तियाँ देने एवं साक्षरता अभियान चलाने से विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आधुनिक शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है

(जबकि परंपरागत मुस्लिम मदरसा शिक्षा को महत्त्व देते रहे हैं जो कि विविध धर्मावलाम्बियों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित रही है) जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक विचार के पोषण एवं राष्ट्रीय भावना के जागरण से इनके बीच अन्य धर्म के लिए शंका एवं वैमनस्य में कमी आने की संभावना बढ़ी है।

उपरोक्त प्रयासों से यद्यपि साम्प्रदायिक समस्या में कमी आने की संभावना बढ़ी है किन्तु इन्हें पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन प्रयासों के बावजूद भी आज सांप्रदायिकता भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक समस्या बनी हुई है।

मुजफ्फरनगर दंगा, बाबरी मस्जिद कांड, गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में गुजरात में हुए दंगे, मऊ का दंगा या इलाहाबाद में 'कुरान' फाड़ने पर उभरा साम्प्रदायिक तनाव ऐसे उदारहरण हैं जो उपरोक्त प्रयासों की अपर्याप्तता को परिलक्षित करते हैं। उपरोक्त कमियों के आलोक में निम्न कारक जिम्मेदार रहे हैं:–

1. आज भी मुस्लिम समुदाय एवं हिन्दू समाज में आधुनिक शिक्षा की भावना विकसित नहीं हो पायी है और वह अन्य समुदायों के प्रति शंका से प्रेरित रहती है जो राजनीतिक लाभ के कारण वास्तविक समस्याओं की ओर कम महत्त्व देती है जिससे उनके भीतर आधुनिक दृष्टिकोण एवं अन्य धर्म के प्रति संकीर्ण नजरिया अपनाते हैं।
2. अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एवं उसमें नियुक्तियाँ राजनीतिक होने के कारण वह अपने वास्तविक उद्देश्यों पर ध्यान नहीं दे पाते है।
3. विभिन्न स्वयं सेवी संगठन आर्थिक लाभ के लिए कार्य करते हैं तथा वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं।
4. गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता आदि कारक आज भी साम्प्रदायिक समस्या को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। धर्मस्थ राजनीति ने भारत में साम्प्रदायिक समस्या को और उत्प्रेरित किया है।

अतः इसके लिए कुछ एक अन्य उपायों / सुझावों पर विचार किया जा सकता है:–

1. साम्प्रदायिक मानसिकता वाले राजनीतिज्ञों, दलों तथा व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाएँ और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
2. ऐसे धार्मिक संस्थाओं की पहचान की जाए जो साम्प्रदायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
3. धर्मनिरपेक्षता को सशक्त विचारात्मक स्तर पर जन आंदोलन का रूप दिया जाए और इसके पक्ष में जनचेतना और जनमत निर्मित किये जाने का प्रबल प्रयास करना चाहिए।
4. राष्ट्रीयता या हम सब एक हैं की भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. ईमानदार शैक्षिक एवं सांस्कृतिक नीति का अनुपालन (Compliance) किया जाए, जिससे साम्प्रदायिक वर्गों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान संभव हो सके।
6. परस्पर अविश्वास एवं विद्वेष की भावना को समाप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों के मन से असुरक्षा की भावना को कम किये जाने का प्रयास किया जाय।
7. मुस्लिमों की वास्तविक समस्याओं (रोजगार, गरीबी, साक्षरता आदि) का समुचित समाधान किया जाय (सच्चर समिति की रिपोर्ट)।
8. दोष निवारक उपायों, पुलिस व न्याय व्यवस्था को दुरुस्त तथा अधिक सक्रिय बनाया जाय।
9. दंगों से पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्मित की जाय।
10. मीडिया की भूमिका को सकारात्मक स्वरूप प्रदान किये जाने का प्रयास भी एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक हिंसा भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। धर्म से अधिक साम्प्रदायिक दुष्प्रचार, अफवाह तथा साम्प्रदायिक लामबंदी इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। हाल के वर्षों में भूमंडलीकरण से उत्पन्न पहचान का संकट, धार्मिक कट्टरवाद और धर्म का बाजारीकरण भी सांप्रदायिकता हेतु सहयोगी रहे हैं। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की सफलता तभी साकार हो सकती है जब इस समस्या का उन्मूलन कर दिया जाए, जो कि उपरोक्त सुझावों पर अमल करके तथा मीडिया, आधुनिक शिक्षा और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के सहयोग से सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक जन आंदोलन के द्वारा ही संभव है।

भारत में सांप्रदायिकता : संभावित प्रश्न

1. वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने क्षेत्रवादी भावना के उभार को किस प्रकार प्रोत्साहित किया है? स्पष्ट करें।
2. क्षेत्रवाद की समस्या लोकतंत्र की असफलता को सिद्ध करती है तथा इसका बेहतर समाधान लोकतंत्र के विस्तार द्वारा ही संभव है। स्पष्ट करें।
3. छोटे राज्यों का गठन क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में कहाँ तक प्रासंगिक है? समीक्षा करें।
4. भारत में आधुनिकता के विस्तार ने धर्मनिरपेक्षता के समक्ष किन नवीन चुनौतियों को पेश किया है? चर्चा करें।

5. भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इसके सामाजिक विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। स्पष्ट करें।
6. प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। साम्प्रदायिक हिंसा रोकने हेतु इसके उपादेयता की समीक्षा करें।
7. सांप्रदायिकता से आप क्या समझते है? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों की उपस्थिति सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है?
8. सांप्रदायिकता राजनीति एवं धर्म का एक अवैध गठबंधन है। समीक्षा करें।
9. सांप्रदायिकता लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में किस तरह के अवरोध पैदा करता है? सांप्रदायिकता की समस्या के हल हेतु अपने सुझाव दें।
10. राष्ट्रीय एकीकरण हेतु क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रवाद का संतुलन आवश्यक है, चर्चा करें।

✪✪✪✪✪

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR